राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक–६ दिसम्बर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में मध्यान्ह पूर्व ११–१५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण

श्री अध्यक्ष—Oath or affirmation.

[निम्न लिखित सदस्यों ने शपथ व प्रतिज्ञान ग्रहण किया

(१) श्री तेजपाल सिंह

(२) श्री भैरूं सिंह (बालीदेसुरी)]

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १७

केन्द्रीय सरकार द्वारा वन सम्बन्धी शिक्षा लेने हेतु विदेश भेजने के लिए दो अभ्यर्थियों की सिफारिश मांगना

श्री जगतसिंह झाला (राज श्री हिम्मतसिंह की ओर से)—Will the Forest Minister be pleased to state:—

1. Whether some 6 months back the Central Government asked the Rajasthan Government to nominate two candidates for higher education in forestry and grass lands, out side India, i. e. Australia and Newzealand ?

2. Did the Government send the names and if so, whose names were given ?

3. Have these men gone out and if so, when ?

4. For how much period will the training last and what will be the expenses and who will bear them ?

Page No 2

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मन्त्री, वन मन्त्री की ओर से)—1. Only one candidate was to be nominated.

2. Name of Shri K. K. Gupta, Divisional Forest Officer, Jodhpur, was recommended.

3. No.

4. (i) Training will last 3 to 4 months.

(ii) Exact amount of expenses is not known.

(iii) Rajasthan Government will bear the 'Local Cost' while the Australian Government will bear the cost of passage and tours in that country.

श्री जगतसिंह झाला—जब दो नाम मांगे गये थे तो एक ही का नाम सजेस्ट करने का क्या कारण था ?

श्री रामनिवास मिर्धा—एक ही नाम मांगा गया था, इसलिए एक ही का नाम भेजा गया।

प्रश्न संख्या १८

हनुमानगढ़-अबोहर सड़क पर रूट करने हेतु प्रार्थना-पत्र एवं उन पर लिये गये निर्णय का आधार

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—क्या यातायात मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हनुमानगढ़—अबोहर रोड़ पर रूट हांसिल करने के लिये व कितने और किस किस ने और कब कब प्रार्थना-पत्र पेश किये ?

(ख) उनमें से किन किन को ये रूट दिये गये ?

(ग) जिनको ये रूट दिये गये उनके पास क्या कोई बसें पहले से मौजूद थीं ?

(घ) यदि (ग) का उत्तर हां में है तो उनका रजिस्ट्रेशन नम्बर और बसों की किस्म और बसों के मालिकों के नाम क्या हैं ?

(ङ) यदि वे प्रार्थी उन बसों के मालिक नहीं हैं या वे पहले से किसी दूसरे रूट पर चल रही हैं तो उन्हें परमिट देने का कारण क्या है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मन्त्री)—(क) हनुमानगढ़—अबोहर रूट पर अस्थाई परमिट हासिल करने के लिए प्रार्थना-पत्र देने वालों के नाम व तारीख नीचे लिखी हैं:

नाम	तारीख	नाम	तारीख
१. तिवारी बस सर्विस	९-८-५६	२. घमन्डीलाल	८-८-५६
३. सेवक ट्रान्सपोर्ट कॉपरेटिव सोसाइटी	८-८-५६	४. खुशीराम	६-८-५६
५. गुरदासमल गांधी	२-७-५६	६. जीवन मोटर कॉपरेटिव सोसाइटी	११-८-५६
७. बीरबल सिंह	११-८-५६	८. हेमसिंह	२५-८-५६
९. रनवीरसिंह	२५-८-५६	१०. भगवती सिंह	२५-८-५६
११. फतेसिंह	२५-८-५६	१२. लछमन सिंह	२५-८-५६
१३. गोपीसिंह	२५-८-५६	१४. नरपतसिंह	२५-८-५६
१५. रणजीत सिंह	२५-८-५६	१६. कुन्दनलाल शिवशंकर	२५-८-५६
१७. मखीराम भंवरीलाल	२५-८-५६	१८. रामचन्द्र	२५-८-५६
१९. सोहनलाल	३०-८-५६	२०. मिलखीराम	२३-५-५६
२१. मोहरीलाल	२३-५-५६	२२. अविलासचंद्र अनिलकुमार	२६-६-५६

(ख) निम्न को ४ माह के अस्थाई परमिट तारीख ११-९-५६ को मन्जूर हुए:

(१) सोहनलाल

(२) मोहरीलाल

(३) मिलखीराम

(४) अविनाश चन्द्र अनिलकुमार

(५) बलवीरसिंह मेम्बर जीवन कोपरेटिव सोसाइटी

(ग) व (घ) जिन व्यक्तियों को परमिट दिये गये उन्होंने जो गाड़ियां मीटिंग के समय अपने कब्जे में बताई उनका विवरण निम्न प्रकार है:

[श्री रामनिवास मिर्धा]

गाडी नं०	किस्म	मौजूदा मालिक
१) आर० जे० के० ५५२	फोर्ड १९४६	सोहनलाल
२) आर० जे० के० ५५४	,, ,,	मिलखीराम
३) आर० जे० के० ५५७	,, ,,	मोहरीलाल
४) आर० जे० के० ३३५	,, ,,	बलवीरसिंह
५) अन्डर कन्स्ट्रक्शन		अविनाशचन्द्र अनिलकुमार

(ड.) मोटर वेहीकल एक्ट, १६३६ के अन्तर्गत परमिट प्राप्त करने के लिए केवल गाडी पर कब्जा ही काफी होता है चाहे वह किसी अन्य की मिलकियत क्यों न हो। यदि एक गाडी किसी रूट पर चल रही हो तो उसे वहां से बन्द कर दूसरी रूट पर लगाया जा सकता है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या यह सच है कि जिन गाड़ियों का नम्बर बतलाया गया है वे असल में बसेज़ नहीं थीं बल्कि ट्रकें और जीप कारें थीं?

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या यह सच है कि जो ३३५ नं. आर. जे. के. बतलाया गया है वह ट्रक का नंबर है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—अगर किसी को इस संबन्ध में आपत्ति है तो जो आर. टी. ए ने निश्चय किया है उसकी अपील एस. डी. एम. की कोर्ट में कर सकते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—जिन बसों का जिक्र किया गया वे क्या सब बसेज़ थीं या और अन्य गाडियां भी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह परमिट जो दिये जाते हैं वे आर० टी० ए द्वारा दिये जाते हैं। आर० टी० ए० क्वाजी जुडिशियल बोडी (quasi judicial body) है अतः उसके फैसले में किसी को एतराज हो तो कानून के मुताबिक अपील कर सकते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या आप इस बात की जांच करवायेंगे कि जो परमिट दिये गये है गलत दिये गये हैं और जो नंबर दिये गये हैं वे ट्रक्स और जीप्स के नंबर हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने आपसे कहा आर० टी० ए० क्वाजी जुडिशियल बोडी है, उसके फैसले पर किसी को एतराज हो तो कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।

Page No 5

श्री भैंरू सिंह—आर० टी० ए० में जो सरकारी प्रतिनिधि रहता है क्या उसका यह कर्तव्य नहीं है कि ...

श्री अध्यक्ष—Government has nothing to do with it. Government nominee is not there to...

श्री भैंरूसिंह—उनका कर्तव्य है कि वे सरकार को इत्तला दें।

श्री अध्यक्ष—No, no, no,

श्री जवानसिंह—क्या यह बात सही है कि मेकेनिकल इन्सपेक्टर ने फिटनेस का सर्टिफिकेट देते वक्त इस बात की जांच की थी, जो गाडियों का नंबर दिया गया है कि वे बसों के नंबर नहीं थे बल्कि दूसरी गाडियों के थे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह बिल्कुल जुदा प्रश्न है।

श्री जवानसिंह—प्रश्न यह है कि सरकार ने इस बात की जांच कर ली थी या नहीं कि जो नंबर दिये जा रहे हैं वे बसों के हैं या ट्रकों के या जीपों के हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जिस वक्त परमिट मिलेंगे और जब गाडियां लगावेंगे उस समय यदि दूसरी गाडियां होंगी तो अपने आप पता चल जायगा कि मेकेनिकली फिट हैं या नहीं या जिन विहिकल्स का दर्ख्वास्त में उल्लेख था वे ही हैं या नहीं ?

श्री जवानसिंह—परमिट देने का काम आर० टी० ए का और एस० टी० ए का हो सकता है किन्तु जहां तक संबन्धित अधिकारियों का सवाल है रजिस्ट्रेशन ओथोरिटी कलेक्टर है, मिकेनिकल इन्सपेक्टर ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी जो सरकारी अधिकारी हैं क्या उन्होंने यह मालूम करने की कोशिश की है या नहीं कि जो नंबर दिये जा रहे हैं वे वास्तव में बसों के है या ट्रकों या जीपों के ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था उनका कहना था कि वे बसेज़ के नंबर नहीं थे बल्कि ट्रकों और जीप्स के थे। उस समय मेकेनिकल इन्स्पेक्टर का प्रश्न नहीं उठा था। मेकेनिकली फिट का तो प्रश्न तब उठेगा जब कि वे बसें रूट पर चलने के लिये आयंगी। जहां तक परमिट देने का सवाल है वह तो आर० टी० ए० और एस० टी० ए० दे सकते हैं।

श्री जवानसिंह—मेरा प्रश्न तो सिर्फ यही है कि एसा हुआ या नहीं कि सरकार ने इस बात की जांच की है या नहीं जो नंबर दिये गये बसों के थे या ट्रक्स और जीपों के थे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जांच की कोई आवश्यकता नहीं यह प्रश्न सरकार के सामने उपस्थित ही नहीं हुआ।

श्री संतोषसिंह—इसका मतलब यह हुआ ट्रक्स को भी बसों में लिया जा सकता है।

प्रश्न संख्या १६

पिछले पांच वर्षों के रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया द्वारा सहकारी प्रशिक्षा लेने हेतु अभ्यार्थियों सम्बन्धी सिफारिश मांगना

श्री जगतसिंह झाला (राज श्री हिम्मतसिंह की ओर से)—Will the Minister for Co-operative Department be pleased to state—

(a) How many seats for Co-operative Traning were allotted to Rajasthan by the Reserve Bank of India during the last 5 years and how many candidates were sent for training? Kindly give their names.

(b) Has the Reserve Bank of India laid down any rules to divide the allotted seats between Assistant Registrars and Managers of Co-operative Banks?

(c) Is it a fact that certain candidates selected by the Reserve Bank for training were subsequently selected by the Government of Rajasthan also? If so, why?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मंत्री)—(क) राजस्थान के लिये कोई स्थान निश्चित नहीं किये।

जो उम्मीदवार ट्रेनिंग के लिए भेजे गये उनकी सूची इस प्रकार है:

क्र० सं०	साल	नाम	पद	स्थान
१	१९५२-५३	१-श्री रामनाथ कौल	सहायक रजिस्ट्रार	पूना
		२-श्री तुलसीराम शर्मा	,,	,,
		३-" सुखदयाल जी	,,	,,
		४-" राजमल सिंघी	,,	,,
		५-" दौलतराम सानी	,,	,,

Page No 7

[श्री अमृतलाल यादव]

		६ श्री श्री रतन बिहारी त्यागी	,,	,,	
		७ " बी० डी० गुप्ता	निरिक्षक	,,	
		८ " पी० एन भार्गव	,,	,,	
		९ " बी० आर व्यास	,,	,,	
		१० " एस० डी० बोहरा	,,	,,	
२	१९५४-५५	११ " रामशरण शर्मा	एज्यूकेशन ओफिसर	पूना	
		१२ " जी० सी० सावल	चीफ अकाउन्टेन्ट अपेक्स बैंक	,,	
३	१९५६-५७	१ " के०सी० सिंधी, मैनेजर, भीलवाड़ा कॉपरेटिव बैंक,		पूना	
		२ ,, गोविन्द कांत शर्मा	सहायक रजिस्ट्रार	,,	
		३ ,, बी० सी० काला	,,	,,	अभी शिक्षा पा रहे हैं।
		४ ,, श्री कृष्ण माथुर	,,	,,	
		५ ,, हुकमाराम	,,	,,	
		१ श्री ओमप्रकाश शर्मा,	निरिक्षक	कोटा	
		२ ,, नेमी चन्द जैन	,,	,,	
		३ ,, राधेश्याम शर्मा	,,	,,	
		४ ,, मुरलीधर पारीक	,,	,,	
		५ ,, दुर्गालाल माथुर	,,	,,	
		६ ,, नाथूराम मीना	,,	,,	
		७ ,, रमेशचन्द्र श्रीवास्तव		,,	
		८ ,, रामनारायण उपाध्याय		,,	
		९ ,, कृष्ण चन्द्र गौतम	,,	,,	
		१० ,, प्रभुदयाल गुप्ता	,,	,,	

Page No 8

[श्री अमृतलाल यादव]

११ श्री गौरीशंकर माथुर	,,	,,
१२ ,, शिवकरण पारीक	,,	,,
१३ ,, स्वरूपसिंह	,,	,,
१४ ,, मुकुटलाल	,,	,,
१५ ,, अमोलक चंद्र	,,	,,
१६ ,, अर्जुन सिंह गोड़	,,	,,
१७ ,, विजयराज माथुर	,,	,,
१८ ,, जसवन्तसिंह	,,	,,
१९ ,, सिद्दासिंह	,,	,,
२० ,, देवीसिंह	,,	,,
२१ ,, हिंगल राजवान	,,	,,
२२ ,, मोघाराम मीना	,,	,,
२३ ,, जगदीश प्रसाद शर्मा	,,	,,
२४ ,, मायाराम चौधरी	,,	,,
२५ ,, रमेश चन्द्र	,,	,,
२६ ,, दलीपसिंह	,,	,,
२७ ,, तेजसिंह	,,	,,
२८ ,, रामनाथ शर्मा	,,	,,
२९ ,, नाथूलाल जैन	,,	,,
३० ,, भुपालसिंह उज्जवल	,,	
३१ ,, बंशीलाल पारीक	,,	,,
३२ ,, बालूराम	,,	,,

Page No 9

[श्री अमृतलाल यादव]

३३ श्री हुक्मसिंह ,, ,,

१ ,, नंदलाल भटनागर ,, इंदौर शिक्षा पा रहे हैं,

२ ,, गोविन्द नारायण शर्मा ,,

३ ,, सतीशचन्द माथुर ,, ,,

४ ,, रामस्वरूप सिंह ,, ,,

५ ,, सुरेन्द्र भूषण आचार्य ,, ,,

६ ,, वासुदेव प्रसाद गुप्ता ,, ,,

७ ,, कल्याण प्रसाद ,, ,,

८ ,, हनुमानसहाय जोशी ,, ,,

९ ,, बने सिंह ,, ,,

१ ,, बी० एन० गुप्ता कर्मचारी केन्द्रीय सहकारी बैंक कोटा

२ ,, एम० एम० गुप्ता

(ख) जी नहीं।

(ग) राजस्थान सरकार ने जिन उम्मीदवारों को भेजना उचित समझा उनको भेजा।

प्रश्न संख्या २०

बन्द गलब (तहसील उनियारा) के नहर की खुदाई एवं उससे कृषकों को क्षति

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या बन्द गलब जो तहसील उनियारा ग्राम उनियारा के पास बन रहा है, उसकी नहरों की खुदाई का काम हो चुका है ?

(ख) अगर नहीं तो किस कदर हुआ और किस कदर शेष है और उसके कब तक पूरे होने की आशा है ?

[रावराजा श्री सरदारसिंह]

(ग) काश्तकारान की किस कदर आराजी में होकर यह नहरें खुदवाई गई हैं, उसका कुल एरिया क्या है और काश्तकारान का किस कदर नुकसान हुआ है ?

(घ) इन्हें पीवल व दीगर एरिया का क्या मुआवजा दिया गया है और किस तरह से ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)— (क) नहीं, बन्ध गलब के नहरों का कार्य अभी चालू है।

(ख) करीबन १० प्रतिशत कार्य हुआ है। अनुमान हैं शेष कार्य अगली सिंचाई के पूर्व पूर्ण हो जावेगा।

(ग) कुल रकबा जो कि नहरों के नीचे आवेगा तीन सौ पचास एकड़ है, इसमें करीब ३ हिस्सा काश्तकारान की आराजी है और शेष सरकारी है। नहर के आधीन कुछ भाग में लोगों ने आदेश के विपरीत जमीन जोत ली थी, उसके लिये यथोचित मुआवजे की कार्यवाही की जायेगी।

(घ) नहरों की हद के पत्थर मौके पर लगा दिये हैं। उनके नक्शे (लेन्ड प्लान्स) तैयार हो रहे हैं। उचित मुआवजा लेन्ड एक्वीजीशन एक्ट के मुताबिक राजस्व विभाग की मन्जूर के बाद दिया जावेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह—माननीय मंत्रीजी ने फरमाया कि "नहीं" वहां पर नहरें खुद चुकी हैं, खडी फसलों में होकर वे नहरें निकल चुकी हैं, क्या यह सही है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—दस प्रतिशत नहरों की खुदाई हो चुकी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या नहरों की दस प्रतिशत खुदाई होने पर जमीन एक्वायर करने का नोटिस जारी किया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—लोगों को हिदायत दे दी गई थी कि फलां फलां जमीन नहरों के काम में आवेगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह—किसके द्वारा हिदायतें दी गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—राजस्व अधिकारियों द्वारा।

रावराजा श्री सरदारसिंह—जिस जमीन पर नहरों की खुदाई हो चुकी है, उन जमीनों का भी तहसीलदारों और पटवारियों ने लगान वसूल कर लिया है ?

Page No 11

श्री रामनिवास मिर्धा—यह जुदा प्रश्न है। लैन्ड एक्वीजीशन एक्ट के मुताबिक कार्यवाही चल रही है, उसके बाद उचित मुआवजा दिया जायगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह—जब जमीन एक्वायर कर ली गई तो उसका मुआवजा अभी तक क्यों नहीं मिला ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मुआवजे की कार्यवाही चल रही है। कई दफा ऐसा होता है कि कोई जरूरी काम होता है तो बगैर नोटिस दिये ही, लैन्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही किये बिना ही जमीन ले ली जाती है और फिर नोटिस दे दिया जाता है। उनको भी नोटिस दे दिया गया और जहां तक मुआवजा देने का प्रश्न है उसके लिये लैन्ड एक्वीजीशन करने वाले अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—यह मुआवजा कब तक मिल जायगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जब लैन्ड ऐक्वीजिशन ओथोरिटी अवार्ड दे देगी, मुआवजा दे दिया जायगा।

प्रश्न संख्या २१

अक्टूबर, १९५६ में श्रमिकों की दुर्घटना एवं उनमें मृत्यु प्राप्त एवं घायल श्रमिक

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गंगानगर में अक्टूबर, १९५६ में श्रमिकों की कोई दुर्घटना हुई ?

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने आदमियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुये ?

(ग) सरकार उनको मुआवजा देने का क्या प्रबंध कर रही है ?

श्री बृजमोहन शर्मा—(श्रम मंत्री)

(१) जी हां।

(२) दो व्यक्तियों की, राम प्रीत व जगतसिंह की मृत्यु हुई एवं दो व्यक्ति दलवीरसिंह व मनगतसिंह घायल हुये।

(३) वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन एक्ट, १९२३ के आधीन क्षति पूर्ति देने की कार्यवाही हो रही है, शीघ्र ही कम्पेन्सेशन मिलने की आशा है।

Page No 12

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह कम्पेन्सेशन कब तक मिल जायगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कम्पेन्सेशन कमिश्नर तय करेंगे तब । -

प्रश्न संख्या २२

कोटा जिले के कृषकों को कृषि विभाग द्वारा बीज वितरण हेतु गेहूँ की खरीद

श्री जगतसिंह झाला(श्री हिम्मतसिंह अटरू की अनुपस्थिति में)- Will the Agriculture Minister be pleased to state:-

(a) Whether the Agriculture Department has recently purchased wheat for supply of seed to the cultivators in Kotah District ?

(b) How much wheat was purchased and from whom ?

(c) Whether it is a fact that tenders were invited by the department for the purchase of the wheat and if so, at what price the bargain was settled ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(अ) हां ।

(ब) उत्तर संलग्न तालिका में है ।

(स) कृषि विभाग द्वारा कोई टेन्डर नहीं मांगे गये थे । गेहूं की खरीद के लिए टेन्डर मांगने व ऑर्डर देने के लिए जिलाधीश कोषाध्यक्ष और जिला कृषि अधिकारी की एक कमेटी बनायी गई थी ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जगतसिंह झाला—वे कौनसी क्वालिटी के गेहूँ थे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जो नोटिस में उल्लिखित क्वालिटी थी वही गेहूं थे । जिसकी तफसील नोटिस में दी हुई थी वही थे ।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि सी ५६१ की क्वालिटी के वे गेहूं नहीं दूसरे गेहूं थे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सही कि जो अनाज खरीदा गया था वह महगें भाव का था ?

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसी बात नहीं, बाकायदा नोटिस निकाला जाता है जिसमें कलेक्टर, ट्रेजरी ऑफिसर और एग्रीकलचर ऑफिसर मिल कर तय करते हैं वही ग्रेन लिया जाता है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या कलेक्टर टेक्निकल व्यक्ति है जो इस बात को जान सके कि किस क्वालिटी का बीज है ?

(घंटी)

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि फसल के समय के बाद गेहूं भेजा गया जब कि बुवाई हो गई थी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी नहीं ।

प्रश्न संख्या २३

श्री अध्यक्ष—श्री अवनिकुमार मुकर्जी ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २४

भूतपूर्व राजस्थान व अजमेर क्षेत्र में सवारी मोटरों का अधिकतम किराया एवं उसे कम करने की शासकीय योजना

श्री जेठमल चौधरी—क्या यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) भूतपूर्व राजस्थान व अजमेर क्षेत्र में सवारी मोटरों का अधिकतम किराया क्या निश्चित किया हुआ था ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि डीज़ल बसों के आविष्कार से मोटरों के खर्चे में बहुत कमी हो गई है ?

(ग) क्या सरकार उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए किराये की दरें कम करके तमाम राजस्थान में समान किस्म के रास्तों पर समान किराया निश्चित करेगी ?

Page No 14

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मन्त्री)—(क) ८,११ व १४ पाई प्रति मील प्रति सवारी क्रमशः 'ए' 'बी' व 'सी' क्लास मार्गों के लिए।

(ख) मैदानी सड़क (पक्की)—अपर क्लास—८ पाई प्रति मील प्रति सवारी
लोअर क्लास—६ पाई प्रति मील प्रति सवारी

(कच्ची)—अपर क्लास—६ पाई प्रति मील प्रति सवारी
लोअर क्लास—८ पाई प्रति मील प्रति सवारी

पहाड़ी सड़क—अपर— ११ पाई प्रति मील प्रति सवारी
लोअर— ६ पाई प्रति मील प्रति सवारी

(ग) हां; किन्तु डीजल बसों का मूल्य भी पेट्रोल बसों से अधिक है।

(घ) किराये की दरों पर पुनर्विचार करके सारे राजस्थान में समान मार्गों पर समान दरें निश्चित करने के प्रश्न पर तभी विचार करना सम्भव है। जो क्षेत्र अभी नये शामिल किये गये हैं वहां राजस्थान के ट्रान्सपोर्ट सम्बन्धी कानून पूर्णतया लागू कर दिये जांय।

प्रश्न संख्या २५

जागीरों के पुनर्ग्रहण के पश्चात् भी जागीरी क्षेत्रों के कृषकों से दुगुने लगान की वसूली

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या जागीर पुनर्ग्रहण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जागीरें पुनर्ग्रहण होने के पश्चात् भी अभी तक जागीरी क्षेत्रों के काश्तकारों से खालसे के काश्तकारों की अपेक्षा पिलाई का लगान दुगुना वसूल किया जाता है?

(ख) अगर हां, तो किन किन डिस्ट्रिक्ट व तहसीलों में इस तरह दुगुनी पिलाई वसूल होती है और क्यों?

(ग) खालसा तथा जागीरी एरिया की क्या शरह है?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (श्रम मन्त्री)—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Page No 15

[श्री बृजमोहनलाल शर्मा]

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या जागीरदारों के मुकाबले में काश्तकारों से सरकार दुगुनी वसूली नहीं कर रही है ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा—पुनर्ग्रहण की गई जागीरों के एरिया में और सरकार के खालसा एरिया में समान दरें हैं और जहां जागीरें पुनर्ग्रहित नहीं हुई वहां पूर्ववत् है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या माननीय मन्त्रीजी के यह ध्यान में है कि टोंक जिले में पनवाड़ के तालाब से जो आवड़ी नहर जाती है वहां लगान अभी तक डबल वसूल किया जाता है ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा—मुझे इसका ज्ञान नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसका उचित प्रबन्ध करावेगी ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा—जी हां।

श्री अध्यक्ष—बस, श्रीमान् राजपाल के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष,....

श्री अध्यक्ष—I am sorry. Bills for introduction; Shri Badri Prasad Gupta.

राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारी एवं सदस्य पारिश्रमिक) विधेयक, १९५६ (पुरः स्थापन)

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफीसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स) बिल, १९५६ को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—Next.

राजस्थान कॉन्टिन्जेन्सी फण्ड विधेयक १९५६ (पुरः स्थापन)

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कॉन्टिन्जेन्सी फन्ड बिल, १९५६ को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri Chandmal

श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण पर अग्रेतर सामान्य वाद–विवाद

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, श्रीमान् राज्यपाल ने इस सदन में जो अभिभाषण दिया उसके लिये वे निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं। श्रीमान् राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में आबू और अजमेर और सुनेल टप्पा के विलय की चर्चा की है। यह बहुत ही सन्तोष की बात है कि अजमेर जो राजस्थान का हृदय कहा जा सकता है, जो अभी तक राजस्थान से अलग था, राजस्थान के साथ आ गया है और यह और भी सन्तोष की बात है कि आबू जो राजस्थान का मुकुट था और जो राजस्थान से छीन लिया गया था, वह वापिस राजस्थान को मिला है।

माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कृषि उत्पादन के लक्ष्य में वृद्धि करने के बारे में भी चर्चा की है और वह उत्पादन लक्ष्य अन्न, के सम्बन्ध में ६ लाख टन से बढ़ाकर ७.८ लाख टन किया गया है, इसी तरह से गन्ना और कपास के उत्पादन लक्ष्य में भी वृद्धि की चर्चा की गई है और इस वृद्धि के सम्बन्ध में जो तरीका अपनाया जाने वाला है उसके सम्बन्ध में भी कुछ चर्चाएं की हैं।

यहां तक अन्न के उत्पादन वृद्धि के लिये तरीके अपनाने के सम्बन्ध में जो माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में चर्चा की है उसमें उन्नत अन्न के बीज के सम्बन्ध में भी चर्चा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्नत प्रकार के बीज की जो बात कही गई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन इस तरीके से कृषि उन्नति में क्या सहायता मिलेगी इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां अवश्य हैं, जिन पर मैं खास तौर से प्रकाश डालना चाहता हूं। उन्नत प्रकार के बीज का वितरण बाडी के जरिये होता है। भूतपूर्व जयपुर स्टेट ने इस बाडी को फी मन ढाई सेर रक्खा था, राजस्थान बनने के बाद यह बढ़ाकर पांच सेर कर दिया गया, पर राजस्थान सरकार को इससे भी संतोष नहीं हुआ और उसने गत वर्ष फिर इसको पांच सेर से बढ़ाकर साढ़े सात सेर कर दिया। अब यह बाडी जो बीज के लिये वसूल की जाती है इसके ऊपर जो खर्चा आता है वह सारा किसान का होता है यानि सेन्टर से किसान को बीज ले जाना पड़ता है और वापिस सेन्टर पर पहुंचाना पड़ता है। ६ महीनों के लिये साढ़े सात सेर एक मन पर बाड़ी लेने का मतलब यह हुआ कि ६ महीने का १८।।।) रु० व्याज उनसे लिया गया। अब इस पर माहवार व्याज का हिसाब फलावें तो ३ रुपया २ आना सैकडा प्रति माह तक पहुंचता है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिये कि उन्नत प्रकार के बीज देने में राजस्थान सरकार द्वारा यह जो पहल की जा रही है उसमें राजस्थान सरकार को अपनी मुनाफावृत्ति जो दिनो दिन बढ़ती जा रही है, उसको भी कम करना चाहिये। सरकार की ओर से समय समय पर जब इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाये जाते हैं तो यह कहा जाता है कि हम 'नो लौस नो प्रोफिट' के आधार पर बीज वितरण करते हैं। अगर यह सही है तो कहना पडेगा कि सरकार की यह वितरण–व्यवस्था बहुत ही खर्चीली है कि जिसकी वजह से यह कहा जाता कि इतनी बढ़ी हुई दर लेने के बाद भी, यह 'नो

[श्री चांदमल मेहता]

लौस नो प्रोफिट' के आधार पर है। सरकार को चाहिए कि वह इस वितरण प्रणाली की छानबीन करे और इसमें जो कठिनाइयां हैं, या कि जो गैरवाजिब खर्चा है उसे कम करें ! सरकार को यह भी चाहिये कि जब जयपुर स्टेट ढाई सेर प्रति मन की बाडी पर बीज वितरित कर सकती थी तो फिर क्या वजह है कि राजस्थान सरकार उस ढाई को पहले तो पांच करती है और फिर उसी को साढ़े सात सेर तक ले जाती है। सरकार को इस सम्बन्ध में निश्चित कदम उठाने चाहिये और बाढ़ी की यह बढ़ी हुई रेट कम कर देनी चाहिये। यदि सरकार को इसमें छानबीन करने के बाद कोई प्रशासनिक व्यय कम करने की नहीं जंचे तो सरकार को इसमें कुछ घाटा खाकर भी कम कर देना चाहिये, उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति के खातिर।

दूसरी बात, इस उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति के लिये सिंचाई के साधनों के सम्बन्ध में जो बताया गया है उस पर भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। कहा गया है कि ऐसे तरीके अपनाये जावेंगे कि जिनसे सिंचाई से तत्काल लाभ हो। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है और होना भी यही चाहिये कि जिनसे तत्काल लाभ हो सके उन तरीकों को पहले लिया जावे और जिनसे तत्काल लाभ न हो उनको बाद में लिया जावे। लेकिन होता कुछ उल्टा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि किशनगढ़ सब डिविजन में करीब दो सौ और ६ तालाब थे जागीर रिज़म्पशन के पहले और चालीस-पचास तालाब और आ गये हैं बाद में। पर मुझे दुख के साथ कहना पडता है कि आज इन ढाई सौ के करीब तालाबों में २०० से अधिक बे मरम्मत पड़े हैं और उनकी हालत यह हो गई है कि कुछ की नहरें, कुछ को मोरियां खराब हैं, कुछ में पानी खराब जाता है और प्रतिवर्ष यहां विधान सभा में भी इसके बारे में आवाज बुलन्द की जाती है, पर सरकार पर इसका कोई असर नहीं होता ! यहां आकर इसी तरह की बातें जब मैंने देखीं तो मेरे दिमाग में केवल एक ही बात आई कि ये सब बातें केवल सरकार की कहने की हैं, अमली जामा पहनाने के लिए नहीं हैं, अगर ये बातें अमली जामा पहनाने के लिये होतीं तो कोई वजह नहीं थी कि किशनगढ जैसी छोटी सी स्टेट होते हुए भी, जिसने पानी की कीमत महसूस की और इतनी बडी संख्या में तालाब बनायें उनको आज राजस्थान की सरकार, अपना इतना बडा स्वरूप होते हुए, इतने विस्तृत साधन होते हुए और करोडों रुपये इन पर खर्च करते हुए, इन तालाबों में से ७५ और ८० प्रतिशत तालाबों को ठीक नहीं करा पाई और उनकी हालत आज भी खराब पडी हुई हैं, उनकी मरम्मत नहीं कराई जाती। मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि इस सिंचाई के महकमे में भ्रष्टाचार का बडा भारी बोलबाला है और बुरी तरह से रेंड टेपिज्म भी चल रहा है और इन चीजों ने उत्पादन के लक्ष्य में बुरी तरह से बाधा ही पहुंचाई है। जब काश्त को पानी देने का मौका आता है तो सिंचाई के कर्मचारी जब तक उनको भ्रष्टाचार के रूप में पैसा नहीं मिले, तब तक फसल को पानी नहीं देते और नतीजा यह होता है कि पानी होते हुए भी फसलें सूख जाती हैं और जब मौका यह आता है कि तालाब को खाली करके उनके पेटे में फसल करनी है तो उस हालत में पेटे को फसल बोने के लिये खाली नहीं करते और परिणाम यह होता है कि प्रतिवर्ष लाखों मन अनाज का नुकसान होता है।

Page No 18

[श्री चांदमल मेहता]

मै अपना अनुभव खास तौर से किशनगढ़ सब डिवीजन के बारे में और खास तौर पर तालाबों के सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूँ। अराई तहसील में तालाब हैं। तालाब कोडिया में पानी आता है और उस पानी द्वारा जमीन की सिंचाई उसको दूसरे तालाब में खाली करके की जाती है। किशनगढ़ में पहले यह व्यवस्था थी कि सिंचाई के लिए पहले उस तालाब को खाली कर दिया जाता था और उससे उस तालाब के पेटे की एक हजार बीघा जमीन की सिंचाई होती थी लेकिन सिंचाई विभाग में ऐसा भ्रष्टाचार है कि वह तालाब खाली न हो और वह तालाब जब तक खाली न हो तब तक कि उसके लिए कर्मचारियों को उचित रकम न मिल जाय और वह तब होता है जब उसके लिए रकम मिल जाती है। पिछले विधान सभा के सेशन में मैंने इस सवाल को उठाया था और खासतौर से ध्यान आकर्षित किया था। वहां की पंचायत ने खाली करने का हुक्म दिया लेकिन कुछ लोग पहुँचे और उसको रुकवा दिया। मैं स्वयं दुबारा चीफ इन्जीनियर के पास पहुंचा कि इसके लिये हुक्म दे दिया जाय, हुक्म दे दिया लेकिन फिर बंद करवा दिया। इस प्रकार तालाब को खाली न करने से जहां पन्द्रह हजार मन धान काश्त होता था, उसका नुकसान हुआ, यह हुआ सिंचाई विभाग के अधिकारियों की गड़बड़ी के कारण।

यहीं नहीं और भी बड़ी गड़बड़ियां सिंचाई विभाग में होती हैं। यहां तक कि जहां बारिश शुरू होती है तो तालाब की मोरियां बन्द कर देनी चाहिए लेकिन वे मोरियां बन्द होती नहीं हैं और नतीजा यह निकलता है कि उन तालाबों का पानी निकल जाता है। इस साल भी यही हुआ। माननीय अध्यक्ष, जब विधान सभा में सवाल पूछे जाते हैं तो माननीय मंत्री नीचे के अधिकारियों द्वारा जो तैयार किया हुआ जवाब होता है वह गलत जवाब दे दिया जाता है और इसको चैलेंज करते हैं तो माननीय मन्त्री महोदय हिम्मत नहीं करते और हिम्मत नहीं की कि वे चैलेंज को स्वीकार करते और आयन्दा इस प्रकार का मौका नहीं देते। जिस जमीन को पानी पिलाया जाता है तो उसकी सिंचाई वसूल नहीं होती है और जहां एक बार पानी पिलाया तो चार चार बार पानी पिलाने की सिंचाई की वसूली के लिए परेशान किया जाता है।

पिछली फसल की बात है कि चने की फसल को किशनगढ़ तहसील में एक बार पानी दिया और रजिस्टर में चार चार पानी लिख दिया। जो इसके जानकार हैं वे यह नहीं समझ सकते कि चने की फसल को कहीं चार चार पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन यह लिख दिया गया और उसका नतीजा यह है कि आज गांवों में उसकी वसूली की जा रही है बड़े जोरों से कुर्कियों के जरिये। जहां सिंचाई की वसूली करनी चाहिए वहां तो नहीं किया गया और उसको छोड़ दिया गया। इसलिए मैं नम्रता पूर्वक माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो एक तरह से समान दृष्टि है उनकी, जो अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं उनके लिए और जो अधिकारी इमानदार हैं उनके लिए, न उनको सजा देना चाहिए और न हीं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उस समान दृष्टि का उनको त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस प्रान्त के हित में इस

[श्री चांदमल मेहता]

विभाग को वे त्याग दें ताकि सिंचाई विभाग का लक्ष्य जिसे कृषि उत्पादन के लक्ष्य की ओर जाना चाहिए, वह पूरा हो सके।

अब मैं उस विषय पर कहूँगा जो भूमि- सुधार के सम्बन्ध में कहा गया है और जिसमें टीनेन्सी एक्ट की चर्चा की गई है। इसमें कोई शक नहीं कि टिनेन्सी एक्ट एक क्रान्तिकारी कानून है और इससे राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ कि टिनेन्सी एक्ट में राहत के साथ साथ एक व्यवस्था और की गई है कि जमीन काश्त करने वाले काश्तकार को उस जमीन से कोई हटा नहीं सकता लेकिन उस धारा को रखते हुए भी बड़ी बेदखलियां हुई हैं और वह धारा १५ इस माफिक है कि जो इस तारीख से जिस जमीन पर काश्त कर रहा है वह अगर खुद काश्त टोनेन्ट नहीं है तो खातेदार टिनेन्ट बन जाता है, लेकिन सरकार ने इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की है कि जिनको ओटोमेटिकली खातेदारो के हक्कूक प्राप्त हो जाते हैं उनको मिल जांय और उसका नतीजा यह हुआ है कि उनको ट्रेसपासर्स माना जाने लगा है। किशनगढ़ सब डिवीजन में तो यह हालत हुई है कि जो काश्तकार जिन जमीनों पर काश्त करते आ रहे थे, दो तीन पुश्त से काश्त करते आ रहे थे उनको भी पर्चे न मिलने से ट्रेसपासर्स मान कर बेदखल किया गया है। उनको बेदखल ही नहीं किया गया है, लेकिन यह धमकी दी गई है कि वे ट्रेसपासर्स हैं और उनसे मुआवजा वसूल किया जावेगा। एकीकरण के पहले किशनगढ़ स्टेट में यह व्यवस्था थी कि जमीनें नीलाम होती थीं और जो जमीन खरीदते थे वे उसके मालिक माने जाते थे और जब सेटलमेंट नही हुआ तो कुछ लोग अधिकारियों से मिलकर पर्चे करा लिये। उनको खातेदारी के पर्चे किये गये, जिन्होने खरीदी थी या जिन्होंने सेटलमेंट के अधिकारियों से मिल कर पर्चे ले लिये। इस हालत में उन काश्तकारों का खातेदारी टिनेन्ट का अधिकार था लेकिन उनको वह अधिकार नहीं दिया जा रहा है और उनको बेदखल किया जा रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया है लेकिन इस बात का पता चला है कि वह सर्कुलर सेक्रेटेरियेट की फाइल से निकल कर बाहर नहीं गया है। यह स्थिति किशनगढ़ में ही नहीं है। जहां तक मैंने जानकारी हासिल की है यह स्थिति उदयपुर में है, यह स्थिति बूंदी में है और अन्य स्थानों में भी है मैं बहुत नम्रता पूर्वक यह निवेदन करूंगा कि हालांकि राजस्व मंत्रीजी नहीं हैं, उप मंत्री आ गये हैं यह एक महत्वपूर्ण विषय है। टिनेन्सी एक्ट में इस बात की व्यवस्था करना जरूरी है कि किसी को बेदखल नहीं किया जाय, बडी तादाद में जो बेदखलियां हो रही हैं, उनको रोका जाय और नयी धारा के अन्तर्गत खातेदारी के हक मिलते ही उनके लिए पर्चे बनाये जांय।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करूंगा, जिसके बारे में बड़ी तारीफ की गई है, पुलिस विभागके बारे में। यह कहा गया है कि बड़ी तादाद में या तो डकैतों को सरेन्डर करने के लिए मजबूर किया या

[श्री चांदमल मेहता]

उनको मारा गया। यह मैं मानता हूँ कि डकैतों में कमी हुई है। लेकिन जहां चोरियों का सम्बन्ध है उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। (घंटी)सरकारी रेकार्डमें तो चोरियोंकी तादा कम मिलेगी। पुलिस विभाग के कर्मचारी बड़े चतुर हैं और इतने निपुण हैं कि सरकार को झांसा देना मामूली बात है। इस तरह का रेकार्ड रखते हैं। चोरी की रिपोर्ट होती है तो या तो वह दर्ज ही नहीं होती है जब तक कि पैसा न मिले और अगर दर्ज होती भी हैं तो भी उन्हीं घर वालों को परेशान किया जाता है। जिनकी वजह से चोरी जिसके घर हुई है वह यह महसूस करता है कि यह रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते तो ही अच्छा था। माननीय अध्यक्ष, मैंने एक क्षेत्र के बारे में राजस्थान सरकार के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया था और बताया था कि किस तरह से पुलिस विभाग पर से विश्वास जाता रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि किशनगढ़ तहसील के नरवर के आस पास के इलाके में २८ चोरियां हुई हैं और उनमें से चार चोरियों की ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, उसमें से एक का पता लगा। इस सम्बन्ध में डी० आई० जी० पी० को मौके पर समझा कर कन्विन्स करना चाहा कि आपके पुलिस विभाग का विश्वास उठता जा रहा है, जहां २८ चोरियां हुई हैं वहां ४ ही दर्ज हुई। उन चोरियों में एक बड़ी महत्वपूर्ण चोरी हुई और पुलिस भी इस नतीजे पर पहुँच गई है कि वास्तव में चोरी हुई। सरपंच को डी० आई० जी० पी० ने दुबारा हुक्म दिया। लेकिन जिन पर महत्वपूर्ण आदमियों की दृष्टि होती है उनसे पुलिस के कर्मचारी घबराते हैं। मजबूर होकर सरपंच के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। निवेदन करने का मतलब यह है कि पुलिस की कार्यवाही होती है तो उसको दबा दिया जाता है। एक और चोरी के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो कि किशनगढ़ में हुई। स्थिति यह हुई कि पता चलने की स्थिति आ गई।.परसों एक चोर को गिरफ्तार किया। लेकिन ऐसी जगह से असर पहुँच रहा है कि अगर ऐसा केस बनाया तो तुम्हारी खैर नहीं। थानेदार की मुसीबत है कि केस चलाये तो दुविधा और नहीं चलाये तो दुविधा। जहां सरकार यह मानने लगी है कि पुलिस में सुधार हुआ है तो मैं निवेदन करूंगा कि ओवर कॉन्फिडेन्स में नहीं रहना चाहिये, उनको यह मानकर चलना चाहिए कि जो आंकड़े हैं वे सही नहीं हैं और आगे तरक्की करने की जरूरत है।

एक और पहलू पर निवेदन करना चाहता हूँ और खास तौर पर निवेदन करना चाहता हूँ कि निजी उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की आज क्या स्थिति है? वैसे सरकार ने मजदूरों और किसानों के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाये हैं। मजदूर और किसान स्टेट की रीढ़ की हड्डी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो उद्योग सरकारी उद्योग और सरकार के नियंत्रण में हैं और उनमें मजदूर काम करते हैं उनकी सोचनीय स्थिति है। मैं खास तौर पर निवेदन करना चाहता हूँ पी० डब्ल्यू डी० की सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों के बारे में। एकीकरण के पूर्व सड़कों पर बारह मासिये रहते थे और उनके लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून थे? किन्हीं में बुराइयां थीं और किन्हीं में अच्छाइयां थीं। एकीकरण के बाद यह हुआ है कि जितनी बुराइयां थीं उनको तो अपना लिया गया है और जितनी अच्छाइयां थीं उनको तिलांजली दे दी गई।

Page No 21

[श्री चांदमल मेहता]

आज स्थिति यह है कि सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक वे मजदूर हैं जो स्थायी तौर पर सड़कों पर काम करते थे और दूसरे वे मजदूर हैं जो अस्थायी तौर पर रखे जाते हैं। अस्थायी तौर पर काम करने वाले मजदूरों में ऐसे मजदूर भी हैं जो १०-१५ और २५ साल से नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनकी सर्विसेज़ आज तक टेम्परेरी मानी गई हैं, उनको पर्मानेन्ट होने का मौका नहीं दिया गया है। दूसरे, फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले जो मजदूर हैं, वहां यदि वे दो साल तक भी काम करते हैं तो पर्मानेन्ट मान लिये जाते हैं, लेकिन जो मजदूर २०-२५ साल से काम करते आये हैं और पहले वाली रियासतों के जमाने में सेन्ट्रल पी०डब्ल्यू०डी० के मातहत नेशनल हाइवे में नौकर थे वे सेन्ट्रल पी० डब्ल्यू० डी० में काम करने वाले आदमी पर्मानेन्ट माने जाते थे। लेकिन राजस्थान के निर्माण के बाद नेशनल हाईवेज़ भी राजस्थान पी० डब्ल्यू० डी० के मातहत जब आये तो उसका नतीजा यह हुआ कि वे टेम्परेरी माने जाने लगे।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

डॉ० श्री मंगलसिंह—माननीय अध्यक्ष,.... ....

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—जल्दी कब तक खत्म कर रहे हैं?

श्री चांदमल मेहता—मैं बहुत जल्दी ही खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक प्वाइन्ट ही और निवेदन करके खत्म कर दूंगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि पी० डब्ल्यू० डी० के मजदूरों को न तो समान वेतन मिलता है, न तरक्की मिलती है और न छुट्टी मिलती है, न त्योहारों की छुट्टियां मिलती हैं। यहां तक कि १५ अगस्त के दिन भी उनसे काम लिया जाता है। बहुत मुश्किल के बाद में उनको साप्ताहिक अवकाश मिलने लगा है। यहां तक मौका आया है कि अगर कोई मजदूर शनिवार को ड्यूटी पर नहीं आता है तो रविवार के साप्ताहिक अवकाश की भी गैरहाजरी कर देते हैं। अभी एक मजदूर सम्मेलन हुआ था, पी० डब्ल्यू० डी० में काम करने वालों का जयपुर डिविज़न के। शनिवार को सम्मेलन हुआ तो नतीजा यह हुआ कि जो रविवार का अवकाश का दिन था उस दिन की गैरहाजरी कर दी गई। मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि जहां राजस्थान सरकार ने मजदूरों के सम्बन्ध में समय समय पर बड़े महत्वपूर्ण कानून बनाये हैं तो राजस्थान सरकार को सोचना होगा कि पी० डब्ल्यू० डी० के मजदूरों के बारे में भी कि उनको क्या सुविधाएं दें, चूंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है। जब कि आम चुनाव होने वाले हैं तो उसके बाद नई सरकार बनने वाली है, तो इस सरकार का परम कर्तव्य है कि नई सरकार बनने से पहले ही पी० डब्ल्यू डी० के मजदूरों की कठिनाइयों पर गम्भीरता के साथ विचार करें और उनके लिए सुविधाएं प्रदान करें।

[श्री चांदमल मेहता]

अन्त में मैं एक ही प्वाइन्ट निवेदन करना चाहता हूँ और वह प्वाइन्ट यह है कि राजस्थान के निर्माण के साथ में जो छोटे छोटे राज्य थे वे समाप्त हुए और उन छोटे राज्यों की राजधानियों को महत्व देने के सम्बन्ध में समय समय पर सरकार की तरफ से कई आश्वासन दिये गये। वे आश्वासन पूरे नहीं हो पाये हैं। उन छोटे राज्यों की राजधानियों में किशनगढ़ भी एक है। किशनगढ़ के सम्बन्ध में जो बात पहले की गई उसको छीनने की कोशिश की गई। किशनगढ़ को जिला बनाने के सम्बन्ध में मांग थी। परबतसर, सांभर आदि सब डिविजनों से भी यह मांग थी कि किशनगढ़ को एक जिला बनाया जाय, लेकिन उनकी मांग को ठुकराया गया। इस हद तक चीज की गई कि किशनगढ़ के एस० डी० ओ० को कलेक्टर के अधिकार दिये गये थे वे अधिकार भी छीन लिये गये। उसको यद्यपि कलेक्टर का हैडक्वार्टर नहीं बनाया गया था लेकिन कुछ ऑफिसेज़ वहां रखे गये थे। अब अजमेर के विलय के बाद में वे ऑफिसेज़ भी वहां से हटाये जाने की तैयारी है। किशनगढ़में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर रहता था जयपुर के डिस्ट्रिक्ट का वह डिस्ट्रीक्ट मेडिकल एन्ड हैल्थ ऑफिसर भी, जिसके जरिये हमें एक अच्छे डाक्टर का फायदा मिलता था, वह भी छीन लिया जायगा। इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स वहां रहता था तो अजमेर के विलय के साथ वह भी चला जायगा। मैं बहुत ही नम्रता के साथ माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है कि आपने बहुत जल्दी ही किशनगढ़ को अजमेर के साथ मिला दिया, क्या ही अच्छा होता जबकि आम चुनाव के बाद में फिर से तमाम जिलों और तहसीलों का पुनर्गठन होता उस वक्त में इसका भी निर्णय किया जाता। उसी हालत में यह मुमकिन हो सकता कि किशनगढ़ को जिला बनाते...

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री अध्यक्ष—Order ! order !!

श्री चांदमल मेहता—मैं एक मिनिट में ही खत्म कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—Order ! order please !! Dr. Mangal Singh.

डॉ० श्री मंगलसिंह—माननीय अध्यक्ष, माननीय राज्यपाल ने जो कृपापूर्वक इस सदन में भाषण किया उस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव एक माननीय सदस्य ने रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। राज्यपाल महोदय के भाषण में जो सर्वांगी उन्नति दिखलाई गई है वह उचित ही है। शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर और सुरक्षा के ऊपर तथा दूसरे विभागों के ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह बराबर हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है और इस साल भी वह उसी प्रकार से बढ़ा है। यह बात दूसरी है कि शिक्षा के क्रम में जो परिवर्तन होना चाहिए, चिकित्सा के प्रबन्ध में जो तब्दीली होनी चाहिए और सुरक्षा के बारे में भी जो पुलिस की खोज सम्बन्धी नये नये तरीके और आधुनिक प्रकार की नई खोज निकल रही हैं उसके ऊपर जो

[डॉ० श्री मंगलसिंह]

खर्चा होना चाहिए, वह हुआ नहीं मालूम होता है । आशा है इस ओर भविष्य में अधिक ध्यान दिया जायगा ।

एकीकरण के बारे में जो राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है वह बहुत ही ठीक कहा है, वह सरदार पटेल की दूरदर्शिता की नीति और राजाओं के त्याग और देश प्रेम का चिन्ह है, जागीरदारों के सहयोग को भावना और दूसरे अंग जो हमारे राज्य में हैं उन सबके ही सहयोग से यह सम्भव हुआ कि एकीकरण ऐसे सुन्दर ढंग से हो सका । आज हमारे बीच में अजमेर के माननीय सदस्य लोग आकर बैठे हुये हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है और आबू के मिलने की बात भी जो अत्यन्त सन्तोषवर्धक है, हमको मिली । आबू और अजमेर जिन्हें एक प्रकार से राजस्थान का मुकुट और हृदय कहा जा सकता है उनके आ जाने से, राजस्थान सर्वांग पूर्ण राज्य होगया जिसका स्वप्न हम देख रहे थे वर्षों से वह आज पूरा होता है, और हम सभी इन नये आने वाले माननीय सदस्यों का स्वागत करते हैं ।

अब एक बात जो किसानों और उनकी भलाई के बारे में माननीय राज्यपाल ने कही है उस पर कुछ कहूँगा । हमारे राज्य में जितने अच्छे अच्छे कानून, किसानों के लिए, इतने थोड़े समय में बनाये गये हैं वह शोभा की बात है और बधाई की पात्र है । हमारी सरकार की ओर से राज्यपाल ने इसका जिक्र अपने भाषण में किया है । राजाओं को समझा-बुझा कर, उनके त्याग की भावना को उनके सामने दर्शा कर सरदार पटेल ने राजी कर राजस्थान का एकीकरण किया और नरेशों ने भी त्यागपूर्ण भाव से अपनी अपनी इकाई को इकट्ठा करने को जो राजी हुए वह भी एक प्रसन्नता की बात है और वह किसानों के ऊपर से वजन हटाने के लिए पहला कदम था । दूसरे जागीरदारों, महाजनों और बोहरों और दूसरे कर्ज देने वालों को या और भी लोग जो किसानों की कमाई का कुछ हिस्सा बांट लिया करते थे उन सभी लोगों को अलहृदा करने का श्रेय हमारी सरकार को है । परन्तु एक बात मुझे यहां छोटी सी यह कहनी है कि राजस्थान के कुछ हिस्से में जमीदारी प्रथा भी है । मैं यह मानता हूं की राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से में जमीदारी नहीं है और इसलिये उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को लोग नहीं जानते । किसानों को जमींदारो के कारण कितनी तकलीफ है यह महसूस नहीं होता और इसी तरह से संभवत: हमारी सरकार ने भी इस जमीदारी की मुसीबत का सामना करने की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि देना चाहिये था । लेकिन जिस हिस्से में जमीदारी है जैसे भरतपुर, धौलपुर, अलवर और कुछ थोड़ी इधर उधर को जगहों में जमींदारी है, उस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जहां जमीदारी है वहां के किसानों को बेदखल करने की कार्यवाही चल रही है, लाठी के बल से और दूसरे तरीकों से उनको जमीन से बेदखल करने का प्रयत्न किया जारहा है और कहीं कहीं वे लोग सफल भी हो रहे हैं । मैं चाहूंगा कि इस कानून को तरजीह दी जाय और जमींदारी जो आज शायद भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश में नहीं है, या ऐसा कहूं कि ऐसा शायद ही कोई अभागा

[डॉ० श्री मंगलसिंह]

प्रदेश होगा या अंग होगा जिसमें यह जमीदारी प्रथा प्रचलित है। किसी भाई ने कहा है कि गंगानगर में भी जमीदारी है और वहां के जमीदार प्रभावशाली हैं और सरकार के कृपा-पात्र हैं और शायद इसी कारण से जमीदारी कानून को ढ़िलाई में डाला जा रहा हैं। मैं नहीं समझता कि यह बात सही होगी। मैं समझता हूं कि यह सूचना गलत है, मैं यह मानता हूं। लेकिन इस प्रकार का लांछन क्यों लगाया जाय और क्यों यह कलंक का टीका बना रहे? मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की चीज नहीं रहनी चाहिये। जिससे लोग हमारी सरकार की इस प्रकार से टिप्पणी कर सकें।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। सुरक्षा प्रबन्ध जो इस प्रदेश में सरकार ने किया है वह प्रशंसनीय है। राज्यपाल जी ने अपने भाषण में सुरक्षा में जो कठिनाइयां थीं उनकी ओर इशारा किया है और इस दिशा में बताया कि हमारे यहां ७०० मील लम्बी पाकिस्तान की सरहद का किनारा सुरक्षा में पहली बाधा है, दूसरी बाधा हमारे यहां का पहाड़ी इलाका है, तीसरी बाधा चलते फिरते बालू के टीले हैं और चौथा चंबल का खार है। ये कठिनाइयां विशेषरूप से सुरक्षा के बीच में आती बताई और साथ ही साथ यह भी उन्होंने कहा कि सन् ४६ में हमारे यहां ३५८ डाके पड़े थे और अब पिछले ८-१० महीनों में केवल ४६ डाके पडे हैं। यह उन्नति बड़ी प्रशंसनीय है और उसके लिये कोई भी सरकार बधाई की पात्र हो सकती है। लेकिन मैं उन चार बाधाओं में से बालू के टीलों के बारे में तथा पहाड़ी इलाका या सरहद के ७०० मील के बारे में अधिक नहीं जानता कि वहां आज क्या वातावरण है। हां, चंबल के खार के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि सुरक्षा का आज वहां क्या हाल है। मैं बहुत लम्बी कथा न कहकर केवल ८-१० महीने की बात ही कहूंगा। इन दिनों में कितने डाके पड़े और आज वहां क्या वातावरण है सुरक्षा की दृष्टि से। आज से ८-१० महीने हुए होंगे इन्द्रावली गांव में जो राजाखेड़ा तहसील में है, एक डाका पड़ा। डाकू ३-४ हजार का माल ले गये और एक बच्चे पर गोली छोडी जो बच्चे के बालों को उड़ाती हुई उसके ऊपर से निकल गई और बच्चे की जान बच गई। सांवलीया का पुरा राजखेड़ा तहसील का एक गांव है, वहां डाका पडा और संगीन डाका पड़ा, जिसमें ६ आदमी गोली से मारे गये और इस तरह से गांव में तहलका मचा कर डाकू गांव से चले गये। इसी प्रकार आज से २-२॥ महीने पहले काछीपुरा में भी डाका पड़ा। अब पिछले महीने नवम्बर की २४ तारीख को डाकू लोग लाखन आदि मध्यभारत की तरफ से चंबल को पार करके आये और मुतावली गांव के पास जिस समय आ रहे थे उस समय उनको ऊंट पर बैठे हुए २ पुलिस के कॉस्टेबल मिले। डाकुओं ने उनको पकड़ा और ऊंट उनसे छीन लिया गया और डाकुओं के सरदार लाखन ने अपने कुछ साथियों से कहा कि इन कॉस्टेबल्स को हवा खिला लाओ। वे उनको चंबल की तरफ ले गये। वहां से ४ फर्लांग की दूरी पर ले जा कर खूब मार लगाई उनकी कोहनियां तोड दी गईं और हाथ पांव जकड़ दिये गये और उठाकर घुटनों तक पानी में गिरा दिया फिर घुटने तक पानी के अन्दर चम्बल में एक शिला पर खड़ा कर दिया गया और उन दोनों को

[डॉ. श्री मंगलसिंह]

गोली के घाट उतार कर गिरा दिया गया। फिर डाकू लोग उनके ऊंट को लेकर मुतावली गांव में आये और वहां उन्होंने गांव के लोगों से आटा, घी आदि सामग्री एकत्रित की, फिर खाना बनाया और खाया। पांच घंटे वहां ठहरने के बाद वे पश्चिम की ओर चल पड़े और वहां गांव में घूमते हुए रात को गांव में ठहरे। उस गांव का नाम इस समय मुझे स्मरण नहीं है। वह ठाकुरों का गांव है। उसमें रात को ठहरे और सुबह ५।। बजे वहां से चल दिये और गुर्जा गांव में २५ तारीख को सुबह ४।। बजे पहुंचे। वहां गूजरों के यहां एक बारात आई हुई थी। डाकुओं में से कुछ लोग लड़की वालों के यहां पहुंचे और कुछ बारात में पहुंचे और वहां पहुंचकर हर एक बाराती को जगाया और उन्होंने बारातियों को कहा कि मुझको पुलिसवाला मत समझ लेना, मैं लाखन डाकू हूं, सब लोग अपना २ सामान, पैसे, घडी, आदि जो कुछ भी तुम्हारे पास हो वह सामान निकाल कर आगे रख दो और उसके बाद मैं सब की तलाशी लूंगा और जिसकी जेबमें एक पैसा भी मिलेगा उसको शूट कर दूंगा। यह बात लाखन खुद कह रहा था और दूसरे कमरे में उसके साथी यही स्वांग रच रहे थे। इतने में गोली चलाने की आवाज आई। लाखन ने कहा किसको मारा। लडकी वाले के यहां। इन्दर गूजर को डाकूओं ने कहा भगवानसिंह कहां है? भगवानसिंह वहां की पंचायत के सरपंच हैं और जितने गूजर चम्बल के किनारे रहते हैं उन सब में सबसे ज्यादा सम्पन्न और सबसे ज्यादा सज्जन नौजवान गूजर है, उसको वहां बुलाया और जब वह पास गया तो उसको कहा कि हम पुलिस वाले नहीं, डाकू हैं। उसने सामने की झोंपडी की ओर देखा तो उसने देखा कि कुछ डाकू स्त्रियों के बदन से जेवरात छीन रहे थे और उन्हें पीट रहे थे और उनकी बेइज्जती कर रहे थे। भगवानसिंह ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो? इतना कहना था कि भगवानसिंह को गोली का शिकार बना दिया गया। उसके बाद उसके बाप ने कहा कि, हैं-हैं क्या करते हो तो उसको भी गोली के घाट उतार दिया गया। यह कांड हो गया। उसके बाद इसकी इत्तला धौलपुर आती है। दूसरे दिन सुबह दो-तीन ट्रकों और जीपों में पुलिस पार्टी पहुँचती है और उसके पहुँचने के थोडी देर बाद में कलेक्टर साहब, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के साथ उस गांव में पहुँचे। पहले बारात के निवास स्थान पर गये।

वह बारात धौलपुर की थी और वह वापिस आ चुकी थीं। हम वहां जाकर क्या दर्दनाक दृश्य देखते हैं। वहां हम लड़की वालों के यहां जाते हैं कि वहां वे विधवायें, जिनकी चूडियां टूटी हुई थीं, स्त्रियों की बेइज्जत किया गया था, उनके गहने छीन लिये गये थे, उन स्त्रियों के साथ हरिजनों की स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा, वे भी अपने हाथ बतला रहीं थीं, जिनकी चूडियां टूट चुकी थीं और गहने लूट लिये गये थे। भगवानसिंह आदि की स्त्रियों ने भी रोकर दर्दनाक किस्सा बतलाया कि किस तरह उन्होंने अपने पति और ससुर को मरते हुए देखा, वह दर्दनाक किस्सा हमने अपने कानों से सुना। उन्होंने यह भी बतलाया कि उनके मकान में से तीन मन चांदी और सैकडों तोले सोना डाकू लूट कर ले गये हैं। भगवानसिंह को और उसके पिता को मार दिया गया था, यह वे नहीं कह सकती थीं, दिल भर गया और गले रुंध गये। लेकिन गांव वालों में से एक ने बताया कि किस तरह से कितना उनके साथ अन्याय हुआ है। उनके आदमी मारे गये, उनके सोने और चांदी की

[डॉ. श्री मंगलसिंह]

चीजें चली गई। वे स्त्रियां इससे ज्यादा नहीं बता सकीं क्योंकि उनका गला रुंध गया, लेकिन लोगों ने बताया कि डाकू लोग हर जगह गये, हर घर में, चमार, कुम्हार, मेहतर के घरों में वे गये और घर के कोने कोने को, व्यक्ति व्यक्ति को उन्होंने लूटा और इस प्रकार यह लूट दो ढ़ाई घंटे तक चलती रही। हम वहां पहुँचे और वह कमरा भी देखा जहां पर कि लूट हुई थी, वहां हमने देखा कि १०-११ ट्रंक खुले पड़े हैं। हमको यह बतलाया गया कि दीवाली के पूजन के लिए गहने और सोना चांदी जमीन में से निकाला गया था, वह सब सामान वे वापिस नहीं रख पाये थे। पुलिस की रिपोर्ट से मालूम होता है और मुझे दुःख इस बात का होता है कि बड़े बड़े अफसर यह कहते हैं कि इतना सारा धन कहां से आया, वे रिपोर्ट गलत बताते हैं। मैं मानता हूँ कि वह रिपोर्ट कुछ गलत हो सकती है, उन अफसर का कुछ हद तक ख्याल ठीक हो सकता है लेकिन उस गूजर के पास आज भी २०० भैंसें हैं जो दूध दे रही हैं। वह गूजर मामूली गूजरों की तरह नहीं था, वह मामूली आदमी नहीं था। उसके पास ५००-६०० गाय-भैंसें रहती आई हैं तीन पुश्तों से। खैर, यह भी हो सकता है कि उन्होंने भूल से तीन मन चांदी कह दी हो, बजाय दो मन के लेकिन इसमें शक नहीं है कि इतना बड़ा डाका शायद इन दिनों में नहीं पड़ा होगा, इतने बड़े डाके में इस प्रकार की दुर्दशा नहीं हुई होगी। इसके बाद हम लोग वहां गये जहां कि बारात ठहरी हुई थी, वहां पर वे दोनों लाशें पड़ी हुई थीं। एक लाश के सीने में से गोली निकल कर आरपार निकली हुई थी। दूसरी लाश के सामने से गोली निकली हुई थी। वहां पर डाक्टर भी हमारे साथ था। उन्होंने भी लाश को देखा और बड़ी कठिनाई के साथ उन्होंने उन लाशों को श्मशान ले जाने की इजाजत दी। वहां से हम लोग लौट कर आये और उस वारदात की पूरी तरह जांच पडताल भी पूरी ही नहीं हो पाई थी कि बसेड़ी में २७ तारीख को जब विकास सप्ताह मनाया गया था, उसके अन्दर कलेक्टर साहब के साथ मैं भी वहां गया था। रास्ते में हमें एक लाश को ले जाते हुए कुछ लोग मिले, उन लोगों ने बतलाया कि बसेडी की तरफ जरगा गांव, या और किसी गांव से वह लाश लाई गई है, जिसका सिर गायब है। मुझे दुःख है कि इस समय तक, जब तक हम वहां से चले, उसका पता नहीं चल पाया था कि वह किसकी लाश थी और उसको किसने मार दिया था। दो दिन के बाद बागथर, जो बसेडी तहसील में है और जिसकी आबादी १५००-२०००होगी, वहां भी डाका पडा, और हजारों का माल डाकू लेकर चले गये और गायब हो गये और उनका भी बड़े दिनों तक पता नहीं लगा। जब मैं वहां से चला हूँ तो मालूम हुआ कि आगरे की पुलिस ने कुछ लोगों को आगरे के किसी होटल में गिरफ्तार कर लिया है जब कि वे कुछ गहने और सामान बेच रहे थे, इस प्रकार की सूचना मुझे मिली। इस बात की भी तलाश होगी कि वे कौन आदमी थे।

इसके पश्चात् जब मैं जयपुर गया तब चार तारीख को क्या होता है? जिस दिन, जिस वक्त हमारे माननीय राज्यपाल इस सदन में भाषण दे रहे थे, उस समय बाड़ी के पास से होकर डाकुओं का गेंग निकल रहा था और उसको वहां के लोगों ने देखा जो कुछ लोग गांव की तरफ आ रहे थे। उन्होंने बाड़ी के कस्बे में इत्तला की कि डाकू लोग इस गांव की तरफ उमड़-घुमड़ कर

[डॉ. श्री मंगलसिंह]

आ रहे हैं और उनका इस तरफ आने का डर है । इस पर सब लोग सशंक हो गए और वहां के सब बाजार बन्द हो गये ।

(घंटी)

अध्यक्ष महोदय, क्षमा कीजिए, मैं अपना भाषण दो-चार मिनट में खत्म कर दूंगा ।

इस प्रकार गांव में तो डाका न पड़ा और डाकू आगे बढ़ते हुए महरोली गांव में पहुंचे । वे वहां कोई २-२।। बजे पहुंचे । बाड़ी से टेलीफोन आया कि वहां डाका डल रहा है, इसलिए शीघ्र ही मदद भेजिए । २-२।। बजे की बात है कि धौलपुर में खबर मिली कि यहां कि पुलिस बसेड़ी चली गई है, आप बसेड़ी को खबर कीजिए । वह टुकडी वहां पर सात बजे लौटती है और जो दूसरी टुकडी धौलपुर आई हुई थी, वह उस गांव के पास पहुंच भी गई थी । मेरी सूचना यह है कि उन डाके वालों को उन्होंने देखा कि डाके वाले पोटली बांध कर उस टुकडी के सामने से होकर जा रहे थे । और पुलिस वालों ने उन्हें अपने सामने से जाते हुए देखा । ऐसा मालूम होता है कि पुलिस वाले यह इन्तजार कर रहे थे कि जब डाकू लोग अपना काम खत्म करके गांव के बाहर चले जायगे तब हमारा काम आरम्भ होगा । इस प्रकार से डाकू लोग पुलिस के सामने से होकर खरामा खरामा चले गये । जब यह सूचना मुझे मिली तो मैंने यहां की पुलिस के बड़े से बड़े अफसरों को टेलीफोन द्वारा पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास कोई खबर नहीं है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है । मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप पता तो लगाइयेगा । इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि जब धौलपुर बाड़ी बसेडी से टेलीफोन के द्वारा उन्हें लूट की सूचना मिलेगी, जब वे प्रबन्ध करेंगे । यह आपके यहां का सुरक्षा का एवं प्रबंधकों का एक नमूना है । मैं कह रहा हूं कि मेरे पास टेलीफोन आया है, मैं इस सदन का एक सदस्य हूं और इसकी जानकारी मैंने उनको दी, वह शायद मुझे जानते भी हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जब कि एक जगह पर डाका पड रहा है, तो वहां से कम से कम वे मालूम तो कर सकते थे, उस समय फोन करके वहां से मालूम कर सकते थे उस समय करीब ७-८ बजे थे, कोई रात के २-२।। नहीं बजे थे । मैंने रात को ही गृह मंत्रीजी से भी बात करने की कोशिश की लेकिन मैं असमर्थ रहा । सुबह जब गृह मंत्री को चार बार फोन किया तो हर बार यह कहा गया कि आप १० मिनिट के बाद फोन कीजिये, इस वक्त वे खाली नहीं हैं । गृहमंत्री जी से मेरी मुलाकात यहां सदन में होती है, तो उस वक्त मैंने उस वाकये का जिक्र किया कि इस तरह की बात है । उन्होंने जल्दी से जल्दी उसका उपाय सोचने की बात कही । यह बात हो रही थी, मेरे और गृह मंत्रीजी के बीच यह कल की बात है, जब कि मैंने गृह मंत्रीजी से यह बात कही और वे फिक्र में थे और जब हम यहां से लोट कर सिविल लाइन्स में गये तो वहां एक और सूचना मिली कि एक डाका और पड गया है पांच तारीख को उन्होंने यह सूचना दी है । जब मैं पहले वाले डाके के बारे में जानने के लिये इच्छुक था कि कौन मारा गया और क्या हानि हुई, लेकिन उस वक्त तक उसके बारे में कुछ पता नहीं लग सका था । आज मुझे बतलाया गया

[डॉ. श्री मंगलसिंह]

कि वहां मारा तो कोई नहीं गया है लेकिन डाका अवश्य पड़ा है और पुलिस उसका पीछा कर रही है। वहां पर पुलिस ने गोली चलाई है और डाके वालों ने भी गोली चलाई है,कोई इधर का मरा है और न कोई उधर का मरा है। इस दूसरे डाकेसे मुझे और अधिक चिन्ता हुई। आज अभी मुझे गृह मंत्रीजी ने सूचना दी है कि वह दूसरा डाका जो पांच तारीख को पडा बतलाया जाता है, वह बात सही नहीं है। मेरे पास भी सूचना आई है कि वहांसे डाके वाले निकल कर तो गये हैं लेकिन वहां डाका नहीं पड़ा है।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जब इतनी सुरक्षा का प्रबन्ध कर दिया है तब इस प्रान्त में, जो हमारे राष्ट्र का एक अंग है, उसमें इस प्रकार का वातावरण क्यों हो ? आज तीन चार दिन से बाड़ी कस्बे के सब लोगों को नींद नहीं आती है। वहां के सम्पन्न व्यक्ति अपने घरों में सोते नहीं हैं, कभी इधर और कभी उधर जाकर सो रहे हैं, मुझे यह सूचना मिली है कि २४ तारीख को पुलिस के दो सिपाहियों को किस निर्दयता के साथ मारा गया है और इस प्रकार से मानव जाति की हत्या हो रही है। क्या मैं यह सोचूं कि इस मानव संहार से किसी को दुःख नहीं होगा ? क्या कोई ऐसा व्यक्ति हमारी सरकार के अन्दर नहीं है जो इस नरसंहार को मिटा सके ? क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको नरसंहार और मनुष्यों के मरने से उसके दिल में दुःख न होता हो ? क्या इस सदन में, गवर्नमेंट में, कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, (करतल ध्वनि) जो इस प्रकार से मानव संहार को देखकर अपनी जगह छोड़ दे। मुझे दुख है, इस बात का, इन शब्दों को कहने में लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं इतनी कड़ी बातें कह रहा हूं लेकिन मैं क्या करूं, इस तरह का नरसंहार देखते हुए, इस तरह का आंतक देखते हुए और हमारी सरकार जो दूसरे हिस्सों में सुरक्षा का इतना सुन्दर प्रबन्ध कर रही है तो हमें क्यों इस तरह वंचित और अलहदा रखा जा रहा है ? सरकार ने केन्द्र के सामने, रीओर्गेनाइज़ेशन कमीशन के सामने इस बात को स्वीकार किया है कि धौलपुर के अमनो-अमान की सुरक्षा रखने और प्रबन्ध करने में इनको कठिनाई होती है, इसलिये आगरे का कुछ हिस्सा खेरागढ़ हमको दे दिया जाय ताकि वे वहां सुरक्षा का इन्तजाम कर सकें। जब सरकार यह महसूस करती है कि वहां की सुरक्षा का प्रबन्ध सरकार नहीं कर सकती तो क्यों नहीं हमको प्रान्त परिवर्तन करने देती और इसे वहां की आर. ए. सी. की टुकडी ने जो वहां लगी हुई है वहां के डी. वाई. एस. पी. को कह दिया कि ऊपर से हुक्म आयेगा तब हम आपके साथ हमला करने चलेंगे तो वहां इस तरह के जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं हैं, कलेक्टर, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस जैसे जिम्मेदार व्यक्ति भी नहीं हैं, वे अगर वहां हों तो आर. ए. सी. की टुकड़ी को काम में ले सकते हैं और वहां पर सरकारी कर्मचारी आपस में एक दूसरे की बात न मानें और इन कारणों से हमारी जान को खतरा पैदा हो, यह सब हमारी बर्दाश्त के बाहर है।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह वहां शीघ्रातिशीघ्र समुचित प्रबन्ध करे।

जो काम अच्छे हुए हैं उनको हम बराबर अच्छा बतायेंगे। यह जो सब कुछ मैंने निवेदन किया है इससे मेरा यह मतलब नहीं कि ऐसा ही सब जगह सुरक्षा का अभाव है। पर मैं यह कहना

[डॉ श्री मंगलसिंह]

चाहता हूं कि जब सब आनन्द से सर्दियों में गरम कपड़े पहने हुए बैठे हैं तो क्या एक हिस्से को शर्दी में ठिठुरने दिया जायगा ? दूसरे हिस्से को भी उसका भाग मिलना चाहिये। इसी चीज को सरकार के दृष्टिकोण में लाने के लिये मैंने यह कड़वी बातें कही हैं।

वैसे मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और उस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जो अभिभाषण कृपा पूर्वक राज्यपाल महोदय ने यहां दिया और उसके लिए धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया उस प्रस्ताव का हर एक व्यक्ति समर्थन करेगा। धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका सब समर्थन करेंगे ही क्योंकि यह हमारी सभ्यता है कि जो चीज हमको दी जाती है उसको हम स्वीकार करें तो धन्यवाद देते ही हैं और अगर उस चीज को अस्वीकार करें तो भी धन्यवाद देते हैं, कोई चाय की प्याली पेश करता है और यदि उसे स्वीकार नहीं भी करते हैं तो भी कहते हैं 'No, thanks'' (नहीं चाहिये, धन्यवाद)

(हंसी)

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

तो मैंसमझता हूं सदन में कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जो धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन न करे।

श्री अध्यक्ष—श्री महेन्द्रसिंह पंवार।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार:—श्रीमान्, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण हमारे सामने दिया, उसके संक्षिप्त रूप को देखते हुए सबसे बड़ी सराहना यही होगी कि उसके विषय में भी अपनी प्रतिक्रिया संक्षिप्त रूप में निवेदन कर दूं।

धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने उसका अधिकृत या अनधिकृत लम्बीकरण अवश्य किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि राज्यपाल के अभिभाषण का जो मुख्य ध्येय हुआ करता है उसको जरा नजरअन्दाज कर दिया गया है। सरकारी पिछली नीति का विश्लेषण करना यह सरकारी क्षेत्र के पदाधिकारियों का कार्य हो सकता है पर राज्य के राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है, अक्सर उसका दायरा यह होता है कि राज्य सरकार की आने वाले वर्षों में जो नीति होती है, आने वाले वर्षों में, शासकीय नीति में जो नये मोड़ आने वाले हैं उनका हिन्ट सदन को कराया जाय ताकि सदन उन पर अपने विचार प्रकट कर सके, पर जहां तक मैं समझता हूं, यह निर्विवाद सत्य है कि इस सरकार का शासन काल अब इतना सूक्ष्म रह गया है कि चुनाव के अतिरिक्त सरकार को अपने सामने और कोई कार्य दिखता ही नहीं है। इसीलिये शायद धन्यवाद के प्रस्ताव के प्रस्ता-

[श्री महेन्द्रसिंह पंवार]

वक महोदय ने धन्यवाद के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए जो भाषण दिया वह सिवाय चुनाव भाषण के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, सरकार ने पिछले वर्षों में जो किया उस पर प्रबलता से जोर दिया गया। सरकार की उस सारी नीति की जो पिछले अर्से में रही है उसके एक एक काम की आलोचना-विवेचना करें तो इतना उपयुक्त नहीं होगा और वैसे सरकारी पक्ष के सदस्य ने अभी, 'No, thanks' के भाव से धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन किया है उसमें काफी ऐसी बातें आ गई हैं, जिन बातों के लिये धन्यवाद देने के लिये खड़े हुए उनका सच्चा रूप सदन में प्रकट होगया है।

जो बातें अभिभाषण में और धन्यवाद के प्रस्ताव को रखते समय प्रस्तावक महोदय ने कहीं उन सब बातों को लेकर अपना विवेचन करने के बजाय कुछ मोटी मोटी बातों तक ही अपने विवेचन को सीमित रखकर कुछ बातें मैं सदन के सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात जो अभिभाषण में और धन्यवाद के प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने प्रस्ताव रखते समय कहीं वह विकास की योजनाओं के सम्बन्ध में कही हैं।

विकास की योजनाएं जो इस राज्य में या दूसरे राज्यों में चल रही हैं वे केन्द्रीय सरकार की प्रेरणा से चल रही हैं. प्लानिंग कमीशन से जो प्रेरणा आती है उसी के बुनियादी आधार पर विकास योजनाएं बनती हैं। उसमें आंकड़ों को देकर सरकार की गरिमा बताई जाती है कि इतना इतना काम हो रहा है, पर जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने अपना मत प्रकट किया उन आंकड़ों से निर्धारित कर लेना कि बहुत बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं यह शायद गलतफहमी में डाल सकता है।

इस विषय में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई है और शायद इसके सिलसिले में समझें कि तरकारी की खरीद को विकास की योजना कह दी जाय तो कोई अनुपयुक्त बात नहीं।

एक नागरिक को एक घरेलू नौकर की आवश्यकता हुई। उसको एक व्यक्ति ने कहा कि आपकी नौकरी करने को तैयार हूँ पर उसने विचित्र शर्त यह रखी कि मैं १५ रुपया माहवार लेने को तो तैयार हूँ लेकिन बाजार से तरकारी खरीदने का कार्य मेरे जिम्मे रखा जावे, अन्यथा मैं ४० से कम तनख्वाह में नहीं रह सकता। तो इस प्रकार रुपयों के दुरुपयोग की परिपाटी पड़ जाती है, पर घर में तरकारी कितनी आती है इसको देखें तो जितना व्यय किया गया है वह सच्चे विकास कार्यों में खर्च नहीं किया गया है बल्कि उस रुपये का अपव्यय हुआ है।

योजना के जितने अंग हैं उसमें कितना रुपया खर्च किया जाता है यह विशेषता की बात नहीं। यह विशेषज्ञों का कार्य है, सड़कें बनाना, सिंचाई के साधन बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, विशेषज्ञ जो

Page No 31

[श्री महेन्द्रसिंह पंवार]

रीति, जो तरीके बताते हैं उनको हमारे एग्ज़ीक्युटिव महकमे कार्यान्वित कर देते हैं। देश में अगर जनतन्त्र प्रणाली नहीं होती तो हमारे देश के विशेषज्ञ और पर्मानेन्ट सर्विसेज़ के लोग इन कार्यों को अच्छे सुन्दर रूप में चला सकते थे जिस रूप में ये कार्य आज चलाये जा रहे हैं। जो असली बात इसके पीछे देखने की है वह यह है कि जनतंत्र शासन प्रणाली में क्या नई चीज पैदा हो जानी चाहिये और देश के विकास में इस बुनियादी चीज को पनपाने में क्या किया जा रहा है। मैं ये साफ शब्दों में कहूँगा कि जनतंत्र की सरकार जो कायम होती है वह विशेषज्ञों की सरकार नहीं होती है, न उनका काम एग्ज़िक्युटिव का काम है। हमारी चुनी हुई सरकार का कार्य होता है कार्य की देख-भाल करने का, निरीक्षण करने का और देश के लिए नई नीतियों की प्रेरणा का। यदि हम इसमें सफल होते हैं तो ज्यादा सुन्दर सुधार होते हैं। श्रीमान्, कुछ लोग अपने देश की बढ़ाई करते हैं और कहते हैं कि यह कर दिया, मगर फाइलों में ही। मैंने स्कूलों में, किताबों में पढ़ा है कि कोई देश ईंट, मिट्टी, पत्थर और चूने से नहीं बनता, असली देश उसकी जनता से बनता है। इसके लिए यह देखा जाता है कि देश का कार्य संचालित करने वाले कौन लोग हैं, उनका चरित्र कैसा है? उनके चरित्र से देश संचालित होता है। आज जो कार्य देश में हो रहा है उसको करने वाले कौन हैं, जो कार्य हो रहा है वह किस ढ़ंग से हो रहा है, नैतिक स्तर क्या है, किस तरह से वे रुपयों का उपयोग करते हैं? अगर यह सारा जन समुदाय इस नैतिक स्तर से अपना काम अंजाम नहीं दे रहा है तो जो रुपया देश में खर्च हो रहा है उन सारे रुपयों का देश में दुरुपयोग हो रहा है। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ और मैं फिर उसी मिसाल को दोहराऊंगा। हम अच्छे से अच्छा भोजन बनावें और उसको अपने मेहमानों को खिलाने के लिये बुलावें मगर जिस चम्मच से हम उस भोजन को परोसें या परोसते हैं-यदि वह गंदा है तो मेहमानों को अच्छा भोजन दिया हुआ भी गंदा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह अच्छा भोजन भी चम्मच गन्दा होने के कारण गन्दा हो जाता है। इसी तरह से जितने पब्लिक ट्रेजरी से रुपये हम खुले हाथ विकास के लिये फेंक रहे हैं, अगर वे हाथ जिनसे हम रुपया विकास कार्य के लिये फेंक रहे हैं शुद्ध नीयत से उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वह धन के दुरुपयोग के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता। जितने बड़े आंकड़े हमको देखने को मिलते हैं उतना ही धन का दुरुपयोग है। मुझे बडी खुशी होती अगर राज्यपाल के भाषण में यह बात अंकित होती कि सरकार नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये कौन से नये ढ़ंग की कल्पना करती है कि जिससे ऐसी शिकायत ही पैदा नहीं हो जिससे कि अभी शासन के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से चलाने का आरोप है, रुपयों को बरबाद करने का आरोप लगाया जाता है, वे बिल्कुल बेबुनियाद हो जावें और भविष्य में नहीं लगाये जावें।। इसके बारे में क्या नया तरीका अजमाया जा रहा है? सरकारी कर्मचारियों की भर्ती का क्या तरीका है और जो कार्य करते हैं उनकी तरक्की का क्या तरीका है? अभी कुछ डॉक्टरों और कुछ मजदूरों के वेतन का प्रश्न आया था। मजदूरों को वेतन नहीं मिला। इस प्रकार के आरोप सरकार के खिलाफ जो आते हैं वे सारे के सारे सरकार के नैतिक स्तर की ओर इशारा करते हैं। इसके बारे में अगर कुछ कहते तो वाकई में समझते कि किसी ठोस दिशा में कदम उठा रहे हैं और सोच रहे हैं। प्रस्तावक

[श्री महेन्द्रसिंह पंवार]

महोदय ने महज पिछली बातों का जिक्र करते हुए बताया कि हमने क्या क्या किया और उसको साबित करने के लिये आंकड़े प्रस्तुत किये। मगर इसके लिये तो मैं कहूंगा कि यह उनका चुनाव भाषण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता कि सरकार उन आंकडों में कुछ हेर फेर कर सकेगी। अब मैं थोड़े समय में दूसरी बातों का उल्लेख आपके सामने करूंगा।

माननीय राज्यपाल महोदय ने इस बात पर हर्ष प्रकट किया कि आबू और अजमेर के जिले राजस्थान में आ गये। एक माननीय सदस्य ने अंकित किया कि एकीकरण होने के पश्चात् भी कुछ प्रादेशिक भावनाएं हम लोगों में बनी हैं। मैं जो अजमेर के विषय में बात कहूंगा वह प्रादेशिक भावना से नहीं बल्कि समूचे राजस्थान के हो जाने के तौर पर कहूंगा।

अजमेर के आने के बाद एकीकरण की समस्या जो हुई है उन चीजों में कुछ अन्याय की आवाज आती है। हमारे कानों में अन्याय को आवाज पड़ती है और अजमेर के लोगों ने महसूस किया है कि सर्विसेज़ के इन्टीगेशन में जिस स्तर का न्याय मिलना चाहिये वह नहीं मिला। कुछ तो दोष हमारे भूतपूर्व अजमेर सरकार का इसमें रहा है, उनको पहले ही इन मामलों को इन्टीग्रेशन कमेटी के सामने बहस करके तय कर लेना चाहिये था। मगर अब अजमेर राजस्थान में आ गया है अतः पुरानी अजमेर सरकार की गलतियों की तरफ ध्यान न देकर न्याय की उपेक्षा नहीं करें तो उचित होगा। अजमेर के लोग राजस्थान में शामिल हो गये हैं और अब भूतपूर्व अजमेर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है और उन पर विचार करना चाहिये। मैं सर्विसेज़ के इन्टीग्रेशन के बारे में ज्यादा डिटेल्स में न जाकर मैं मोटे-मोटे सिद्धांत सरकार के सामने रखना चाहूँगा। अगर उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो जितनी शोहरत पैदा हो रही है वह खत्म हो जावेगी। उनके इन्टीग्रेशन में सरकार को उस सिद्धांत को सामने रखना चाहिये कि बजाय छोटी-मोटी चीजों के कि वह अस्थाई कर्मचारी था ? अजमेर सरकार ने उसको कनफर्म नहीं किया इसलिए निकाल दिया जाए, मूल सिद्धांत यह हो कि यदि अजमेर का एकीकरण नहीं होता और अजमेर अलग ही राज्य कायम रहता तो उन कर्मचारियों को क्या सुविधायें मिलतीं और उनको आगे क्या सुविधाऐं मिलने वाली थीं, उनकी क्या तनख्वाह होती और क्या उनकी दूसरी कन्डीशन ओफ सर्विस होती जो एकीकरण न होने से निश्चित रूप से उनको मिलने वाली थी उससे यदि उन लोगों में कमी होती है तो इससे यह समझना चाहिये कि विशेष हानि एकीकरण से हो रही है, जो नहीं होनी चाहिये। यह हानि राजस्थान के साथ आये इसलिये उनको हो रही है, अगर वे अजमेर में होते तो नहीं होती। अगर राजस्थान सरकार के नीचे आये हैं इसलिये उनको नुकसान होता है तो उस चीज को हमें सोचना है। अगर वे अजमेर में रहते और अजमेर में रहते हुए भी जो हानि उनको होती तो उसके लिये कोई शिकायत नहीं।

श्रीमान्जी, अजमेर के बहुत से कर्मचारियों को पीरामल होटल में रखा है। मैं कहूँगा कि उनको रहने के लिये बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। मगर वह सुविधा उनको निश्चित समय

[श्री महेन्द्रसिंह पंवार]

के लिए ही दी गई है। उनके लिए इतने थोड़े से समय में अपने कुटुम्ब को लाना और मकान किराए पर लेना बहुत मुश्किल है। सुनते हैं कि यहां रेन्ट कन्ट्रोल की वैसी सुविधा नहीं है और किराए की निश्चित दरें भी नहीं हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा कि सरकार को चाहिए कि किसी ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करे जो मकानों की व्यवस्था करें। इसके अलावा थोड़े से समय में उन लोगों के लिए अजमेर से अपने कुटुम्ब को लाना संभव नहीं है क्योंकि वे भी बाल बच्चेदार हैं और उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। अगर अजमेर राज्य की बात होती तो कोई बात नहीं थी मगर जयपुर राज्य की शिक्षा व्यवस्था दूसरी है, अतः वे अपने बच्चों को सुविधापूर्वक यहां नहीं ला सकते। इसलिये उनके लिए मीरामल होटल में रहने की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।

कुछ निम्न फिरके के कर्मचारियों के विषय में और कहूँगा। मैं वैसे अधिक समय नहीं लूंगा। मैं बहुत ही जल्द समाप्त करने की चेष्टा में हूँ। चपरासियों के बारे में जो मुझे कहना है वह यह है कि कुछ अजमेर के चपरासियों को जयपुर लाया गया है और जयपुर के कुछ चपरासियों को अजमेर व दूसरे स्थानों को भेजा गया है। मैं समझता हूँ कि इस व्यवस्था से शासन में कोई अधिक दृढ़ता पैदा हो या इससे शासन-व्यवस्था में अधिक नए इफिशियेन्सी आये ऐसी बात नहीं है। इससे तो मैं आपको बताऊं कि इस निम्न स्तर के लोगों को जो बहुत ही गरीब तबके के हैं असुविधा अधिक होती है। वहां के यहां आते हैं और यहां के वहां जाते हैं, इससे तो लोगों को एक प्रकार की अनावश्यक असुविधा में पटकना है। अगर इस सिलसिले में इस प्रकार की व्यवस्था हो सके कि यहां के निम्न स्तर के कर्मचारी वहीं ही रहें और वहां के वहीं ही रहें तो इस प्रकार की असुविधा नहीं रहती जो आज इस स्तर के लोगों को अनुभव हो रही है। इस प्रकार की व्यवस्था से निम्न स्तर के लोगों को बहुत असुविधा हो जाती है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसलिये ही इसको अर्ज कर रहा था।

एक दूसरी बात जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ वह है इस इन्टीग्रेशन के विषय में जो सिद्धान्त रखा गया है उसके सिलसिले में है। १ नवम्बर, सन् १६५५ को जो लोगों की तनख्वाहें मिल रहीं थीं वे ही उनको दी जायंगी और इस १ नवम्बर, १६५५ के बाद के जो आदमी नियुक्त किये गये हैं और जिनको प्रोमोशन्स दिये जा चुके हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जायगा, ऐसा एक प्रकार का सिद्धान्त माना गया है। इस सिद्धान्त में मुझे कोई वैधानिकता नहीं दिखाई देती है। अगर उनमें १, नवम्बर १६५५ के पहले के हैं उनको तो यह सुविधा दी गई है कि उनकी पे स्केल वगैरह प्रोटेक्ट हो जायंगी और दूसरों को यह सुविधा नहीं दी गई है। इसमें तो कोई वैधानिकता नहीं है। हां, अगर अस्थाई कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दी जाती तो यह तो एक सिद्धान्त की बात हो सकती थी। मगर जब आपने इस सिद्धान्त को मान लिया है कि अस्थाई कर्मचारियों को सुविधायें देनी हैं तो ये सुविधायें कुछ कर्मचारियों को तो दी जायं और कुछ कर्मचारियों को न दी जायं, तो इसमें तो मुझे कोई वैधानिकता नहीं मालूम होती। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस इन्टीग्रेशन के महकमे से इस चीज को और इस सिद्धान्त को जिसमें अवैधानिकता है खत्म किया जाना चाहिए। साथ ही

[श्री महेन्द्रसिंह पंवार]

एक मिसाल भी मैं आपको बताऊं और वह यह है कि किसी किसी मामले में तो यह बहुत ही अन्यायपूर्ण चीज हो जाती है। १ नवम्बर, १९५५ के बाद अगर किसी को तरक्की देकर एक ऊंचे पद पर और ऊंची ग्रेड में लिया गया है और उसकी तनख्वाह बढ़ जाती है तो उसको तो आप नीचे उतार देते हैं और दूसरी ओर वह कर्मचारी जो नया ही उस स्थान पर भरती होता है तो उसको आप ले लेते हैं। तो इस प्रकार से इस नये भरती किये जाने वाले अस्थाई आदमी को तो आप सुविधा दे देंगे और उस पुराने आदमी को जो कि उस ग्रेड पर प्रोमोट किया गया है उसको यह सुविधा नहीं देंगे; क्या कारण है? क्योंकि १ नवम्बर, १९५५ तक तो इस स्थान पर आया ही नहीं, इसीलिये उसको आप फिर वापिस डिग्रेड कर देंगे। १ नवम्बर के बाद जिसको तरक्की मिली उसको तो आपने पुरानी स्केल में ही ढकेल दिया और नये आने वाले कर्मचारी को आपने ले लिया। तो यह एक बहुत ही इर्रेगुलेरिटी की चीज है। तो मैं समझता हूँ कि यह १, नवम्बर, १९५५ के बाद वाली जो बात है वह इस सिद्धान्त से बाहर निकाल दी जानी चाहिए।

मैंने सुना है कि हमारे पंचायत के महकमे के कर्मचारी हैं, करीब ३७५ हैं वे, उनको नौकरी से अलग कर दिया गया है। इन कर्मचारियों के निकाल देने के बाद भी अनेक विभागों में भर्तियां जारी हैं। आखिर वे क्लर्क लोग हैं, कई पढ़े लिखे हैं। उनको भरती नहीं किया जा रहा है बल्कि यहां पर कई विभागों में नई भर्तियां हो रहीं हैं। वैसे यहां के अधिकारियों को चाहिये तो यह था कि जो अजमेर के कर्मचारी नौकरियों से निकाल दिये गये हैं उन्हीं को ही यहां पर लिया जाना चाहिए। और पहला मौका उन्होंको देना चाहिये वहां के लोगों की योग्यताओं को भी ध्यान में रखा जाकर नौकरियों पर लिया जा सकता है। वहां के चपरासी भी कई नान-मेट्रीकुलेट्स हैं। साथ ही वहां के एल० डी० सी० और यू० डी०सी० भी ग्रेजुएट हैं उनको नौकरी से अलग कर दिया गया है। तो इस प्रकार यह तो स्वाभाविक ही है कि अजमेर के लोग इस चीज को एक दुःखपूर्ण चीज महसूस करें। तो मैं समझता हूँ कि अजमेर की भावना से न देख कर और प्रान्तीय भावना से न देखकर राजस्थान की न्याय बुद्धि से देखें तो यह एक उपयुक्त चीज होगी।

श्रीमान्, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि इस राज्य में अजमेर के मिल जाने से और अन्य दूसरे इलाके मिल जाने से जो कानूनी मतभेद इन इलाकों में थे उनको भी मिटाने की चेष्टा की जा रही है, मैं समझता हूं कि इस विषय में जल्दी ही कदम उठाये जायेंगे और मैं कहूंगा कि विशेष रूप से जागीरदारी उन्मूलन का जो कानून हमारे यहां बना है और यहां राजस्थान में जो जागीरदारी उन्मूलन कानून बना है उसमें जमीन-आसमान का अन्तर है और इन दोनों को सामने रख कर जल्दी ही कार्यवाही की जायगी तो वह एक अच्छी चीज होगी। उसमें विशेष रूप से रिहेबिलिटेशन की जो एक मद है और इस राजस्थान के विधेयक में विद्यमान है उसको जल्दी से जल्दी अजमेर के लिए भी लागू किया जाय तो वह एक सराहनीय कदम होगा।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

[श्री महेन्द्रसिंह पंवार]

श्रीमान्, मैं केवल दो तीन मिनट और लूंगा।

एक चीज मुझे विशेष रूप से कहनी है और वह है लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में। क्योंकि लॉ एण्ड ऑर्डर का यहां इतना सिलसिला उठा इसलिये इसके बारे में मैं भी कुछ कह देना उचित समझता हूं। अजमेर जिले में तो लॉ एण्ड ऑर्डर की विशेष समस्या नहीं है लेकिन लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में जो बातें मैंने यहां सुनीं उनसे मालूम होता है कि लॉ एण्ड ऑर्डर की राजस्थान में भारी समस्या है। जिस प्रकार से वह टैकल की जा रही है और जिस प्रकार से उसका निपटारा किया जा रहा है उसकी कुछ मिसालें मैं सदन के सामने देख चुका हूं और वे सदन में आई भी हैं। मैं उन चीजों में अधिक न जाकर, लॉ एण्ड ऑर्डर की मेरी समझ के मुताबिक सच्ची नीति यह है कि जन-हित और जन-सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाय। आज अगर हम प्रशासनिक सुधार इस प्रकार से नहीं करते हैं कि जनता के करों का बोझ कम हो तो हम ठीक नीति पर नहीं चल रहे हैं क्योंकि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा कि नये करों के लगने की आशा है। नये कर लगाने से सरकारी खजाने तो बढ़ते जाते हैं और जनता की जेब से पैसा खींचा जाता है, तो यह एक प्रकार से स्लिटिंग दी प्रावोग्शन ऑफ मनी है। जिन लोगों के पास में लाखों रुपया है उनका रुपया लूटने के लिए तो डाकू लोग तलवार और बन्दूक चलाते हैं मगर जो कर लगाया जाता है वह तो लोगों के घरों में बिना डाका डाले कर की कैंची से उनकी जेबों से रुपया निकालते रहते हैं और यह रुपया सरकारी खजानों में बढ़ता ही चला जाता है और फिर सरकारी खजानों में रुपया बढ़ भी जाता है, लेकिन उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बिना तलवार और बन्दूक के डाका चलता रहता है। तो उस दृष्टि से हम सोचें तो जहां तक डकैतियों का सवाल है मैं इस सिलसिले में एक चीज अर्ज करूंगा कि हमें उस पुराने तरीके पर आ जाना चाहिए।

मैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं कि उसके जमाने में पिण्डारी और डाकू जैसे दुष्टतर और पिशाच लोगों को देश से खत्म कर दिया गया तो आजकल जो जनता पर डाका डाला जा रहा है उसको खत्म कर देना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे यहां एक सी० आई० डी० का महकमा कहलाता है। इस महकमे का आजकल काम है केवल राजनैतिक पुलिस की हैसियत से काम करना। इसका काम केवल रह गया है कि फलां पार्टी का आदमी आज कहां गया और कहां आया। वह लोगों के पीछे पीछे फिरते रहते हैं। यह आज एक बिल्कुल ही अनावश्यक चीज है। अगर आज हम अपने पुराने इतिहास पर आ जांय कि सी० आई० डी० का महकमा कायम क्यों हुआ था, इसका नाम वास्तव में पहले था क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, देश में जो जन विरोधी लोग थे उन लोगों के मूवमेंट्स को वह वाच करें और उनके बारे में मालूम करें कि आज उनकी प्रतिक्रिया क्या रही, वे आज क्या करने जा रहे हैं तो उन लोगों को वाच किया जाय। अगर सी० आई० डी० के महकमे को यह काम दिया जाय कि कौन कहां जाता है, क्या करता है वह भी केवल जन विरोधी लोगों का मूवमेंट देखने के लिए तो यह महकमा वास्तव में जनहित का सच्चा कार्य कर सकता है। लेकिन जब तक हमारा सी० आई० डी० डिपार्टमेंट एक

[श्री महेन्द्रसिंह पंवार]

राजनैतिक पुलिस की हैसियत से काम करता रहेगा तब तक ढांचा वैसा का वैसा ही बना रहेगा। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। मैं इस सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अब नेक नीयति और ईमानदारी से बाकी बचे हुए समय में काम करे। अब थोड़े ही दिनों में हमारे आम चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों के अन्दर वह ईमानदारी का बर्ताव करें। इसलिए मैं सुझाव करूंगा कि इस थोड़े से समय के अन्दर एक प्रशासनिक तरीके से काम करें। खास तौर से मेरे कहने का तात्पर्य है कि आम चुनावों के अन्दर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करें, जो मशीनरी हमारी दूसरी योजनाओं में लगी हुई है वह चुनाव के अन्दर प्रेरणा का काम करे। तो मैं समझता हूं कि अगर हम इस प्रकार से काम करते रहेंगे तो एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री कल्याण सिंह।

(अनुपस्थित)

Shri Kalyan singh is not here. He loses his chance.

(विराम)

Shri Ganpati Singh.

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के बाद जो वातावरण देश में बना उससे कम से कम राजस्थान में एक प्रकार से उत्साह पैदा हुआ। राजस्थान का जो ढांचा अभी तक बना हुआ था जिसको डाक्टर साहब के शब्दों में यह कहा जाय- वह अब तक जब कि अजमेर और आबू उसमें शामिल नहीं थे तब तक यह बिना मुकुट और दिल के था अब जब कि आबू और अजमेर इसमें सम्मिलित कर दिये गये तो यह हमारा राजस्थान मुकुट और दिल वाला राजस्थान बन गया, इसके लिए लोगों के दिल में एक प्रकार का उत्साह था और हम यह सोचते थे कि हमारा राजस्थान पार्ट 'ए' स्टेट हो जाने के बाद हमारे प्रान्त के अन्दर सर्वांगीण तरक्की होगी, लेकिन राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण हमारे समक्ष दिया जिसमें हम सोच रहे थे कि राज्यपाल महोदय पिछले पांच साल में हमने जो कार्य किये और आयन्दा करने जा रहे हैं उसका सिंहावलोकन करेंगे। लेकिन उनके भाषण में इन बातों का सिंहावलोकन न होकर के एक छोटा सा सात पृष्ठ का भाषण पन्द्रह मिनिट में हमारे समक्ष पढ़ दिया। उसके लिए मैं अगर यह कहूं कि वह ड्राई भाषण था, कलरलेस भाषण था तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। कारण इसका क्या है? मेरी हमेशा से यह शिकायत रही है सरकार से और इस सरकार से कि इसने हमेशा सदन के प्रति उपेक्षा की वृत्ति रखी है, हमेशा अवहेलना पूर्ण रुख और रवैया रखा है। आज जब कि

[श्री वेदपाल त्यागी]

हमारी इस असेम्बली का यह अन्तिम अधिवेशन है, यह लास्ट लिंक है, यह असेम्बली फिर नहीं मिलेगी, आइन्दा जो चुनकर आयेंगे वे ही मिलेंगे, आयन्दा क्या रुख रहेगा यह मैं नहीं कह सकता, किन्तु आज तक जो सरकार का रुख रहा है वह तो उपेक्षा वृत्ति का रहा है उनको चाहिए था कि सदन के समक्ष उन कार्यों का जिनको आगे करना चाहती है या किया है उसका कोई विवरण प्रस्तुत करते। मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने दो तीन बातों की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है, उसमें एक बात यह भी है कि सरकार को इस बात का गर्व है कि अपने पिछले पांच सालों में जो भूमि सुधार किये हैं उनपर उसको गर्व है। उस अभिभाषण में इस संबन्धी जो उल्लेख है कि इस दिशा में की गई प्रगति किन्हीं अंशों में तो सानी नहीं रखती। अगर हम इन पिछले पांच सालों की पृष्ठभूमि को देखने का प्रयत्न करें तो हमें यह विदित होजाता है कि इसका गर्व सरकार को नहीं बल्कि यह तो समय की मांग रही है और उसने यह काम कराया है। भूमि पर अपना गुजारा करने वाले लोग हैं उनके बीच में जो लोग आते थे उनको हटा दिया गया। यही कारण था कि राजाओं का अन्त किया गया और जागीरदारी प्रथा का अन्त किया गया, यह उद्देश्य लेकर हमारे सामने टीनेन्सी एक्ट आया, लेकिन जो टीनेन्सी एक्ट को बुनियादी चीज है, वास्तव में जिसे भूमि सुधार का कानून कह सकते हैं उसमें जो बुनियादि चीज है, वह हम नहीं पाते। जैसा हमारे साथी कम्युनिस्ट सदस्य ने बतलाया था कि जो खुदकाश्त की परिभाषा उसमें की गई है वह इस बात की द्योतक है कि चाहे आदमी कलकत्ते में बैठा हुआ हो, दिल्ली में बैठा हुआ हो, अगर उसके पास पैसा है वह खुद काश्त कर सकता है और टीनेन्सी कानून के अनुसार वह काश्तकार की डेफिनिशन में आता है। यह तो आज सरकार के हाथ में कानून बनाने का अधिकार नहीं वरना उसका वश चले तो वह तो लेबर की भी यह डेफिनिशन कर सकती है कि जो नौकर रख कर किसी से भी काम करवा सकता है वह लेबर कहलवायेगा। जिस तरह से खुदकाश्त की परिभाषा टीनेन्सी एक्ट में की गई है उसी प्रकार लेबर भी डिफाइन कर सकते हैं, अपने पैसे के बल पर, पैसे से श्रम कराने वाले को श्रमिक कह सकते हैं, इस तरह से यह गर्व करने को कोई बात नहीं है।

इसके अलावा टीनेन्सी एक्ट में जो धारायें रखी गई हैं उससे जो हलचल किसान वर्ग में पैदा हुई है, जो असुविधायें उनको पैदा हुई हैं, जो आपने हॉफ हार्टेड मेजर लिये हैं यह कोई गौरव की बात नहीं है। यह तो समय की मांग थी इसको आप रोक भी नहीं सकते थे वरना जिस तरह से ढांचा बनाया और जिस पृष्ठभूमि में बनाया और जिस वर्ग से हाथ मिलाकर बनाया उस बात को अगर हम सोचें तो आपकी यह मजबूरी थी लेकिन यह किसी भी प्रगतिशील व्यक्ति के लिए गौरव की चीज नहीं कही जा सकती।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अलबत्ता इस अभिभाषण में विकास के बारे में जरूर कुछ कहा गया। यद्यपि श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात को ज्यादा नहीं बतलाया लेकिन इस संबन्ध में

[श्री वेदपाल त्यागी]

जिन माननीय सदस्य ने धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया उन्होंने आंकडे बता कर यह बताया कि पिछले तीन सालों में हमने इतना रुपया खर्च कर दिया और इस एक साल में इतना खर्च कर दिया। हो सकता है, यह रुपये का व्यय करना गौरव की बात हो और वास्तव में गौरव की बात भी है, अधिक व्यय करना गर्व की बात है, लेकिन आप पिछले तीन सालों से कम्पेरिजन क्यों करते हैं ? प्रथम पंच वर्षीय योजना में जितना रुपया आपको मिला था क्या वह आपने खर्च कर दिया या आगामी द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जितना रुपया मिलने वाला है क्या आप इस स्थिति में हैं कि उस पूरे रुपये को आप खर्च कर पायेंगे या नहीं ? क्या आपने इतनी तैयारी कर ली है कि जितना रुपया दूसरी पंच वर्षीय योजना में मिलने वाला है वह खर्च कर सकेंगे या नहीं ? यह बात आपको बतानी चाहिये थी राज्यपाल के अभिभाषण में। यह बात ठीक है कि आपने कुछ चन्द घंटों में ही तीन करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त कर लिया, उसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। इसका कारण क्या है, इसके अन्दर अगर हम जाने की कोशिश करें तो हमें यह पता चलेगा कि इसका कारण है आज की सरकार का ऐसे तत्वों से गठबन्धन है, ऐसे तत्वों के बल पर चलती है या चलना चाहती है जो पैसा कमाते हैं और जो यह चाहते हैं कि सरकार को इस तरह से पैसा देकर वे अपना इन्वेस्टमेन्ट करते हैं। इस तरह से सरकार उन पैसे वालों से लाभ उठाना चाहती है और वास्तव में देखा जाय तो देश प्रेम से प्रेरित होकर पैसा देने वाले पैसा नहीं देते बल्कि वे तो एक प्रकार से इनवेस्टमेन्ट के तौर पर देते हैं। अगर देश प्रेम से प्रेरित होकर यह दिया जाता तो वास्तव में सराहनीय कहा जा सकता है।

मैं इस बात में सहमत नहीं हूं कि जो पैसा खर्च किया गया वह एक प्रकार से खड्डे में गया, कल एक इधर बैठने वाले सदस्य ने कहा था, मैं इससे सहमत नहीं हूं, मसूदा ने आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा था मैं उससे सहमत हूं। उन्होंने कुछ बुनियादी चीजें हमारे सामने रखीं। उनकी तरफ मैं जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो रुपया आप व्यय कर रहे हैं वह वास्तव में देश का निर्माण नहीं करता। देश का निर्माण इन बातों से नहीं आंका जा सकता कि हम इतना व्यय कर रहे हैं या हमने इतना व्यय किया है या इससे भी नहीं आंका जा सकता कि फलां फलां जगह से इमीजिएटली कितना रिटर्न आने वाला है। वास्तव में यह बात होनी चाहिये कि जो बुनियाद आज बनने जा रही है और जिस प्रकार वह बुनियाद खड़ी की जा रही है निर्माण कार्यों की उसका रिटर्न आने वाले समय में भी मिलता रहेगा या नहीं। यह बात हमें देखनी होगी। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि जो भी व्यय होना चाहिये वे ऐसे व्यक्तियों द्वारा होना चाहिये जो नैतिकता से व्यय करें। लेकिन आज जो हम व्यय कर रहे हैं उसमें कितना रुपया बरबाद जा रहा है, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जिन क्षेत्रों में काम हो रहा है वे कहते हैं कि हमारे यहां इसमें काफी गड़बड़ियां हुई, जल बोर्ड आपने बनाया उसका जो खर्चा हो रहा है, वास्तव में उस कार्य के लिये जो रुपया रखा हुआ है वह ऐसे कामों में लग रहा है जिसे हम कह सकते हैं कि यह पैसे का

[श्री वेदपाल त्यागी]

दुरुपयोग है। वह कुछ लोगों को पालने के लिये व्यय हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा मेरे पास जहां तक खबरें हैं, जल बोर्ड की मिटिंग में चेयरमेन उसके जो है किसी जगह वार्ता के लिये तो वहां के सेक्रेटरी कहते हैं कि आपको क्या अधिकार है जांच करने का। आज जो भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं उनको दबा दिया जाता है। वास्तव में बात तो यह है कि जो रुपया व्यय हो रहा है वह एक प्रकार से खराब हो रहा है, बहुत कम रुपया निर्माण कार्यों में खर्च हो पा रहा है। आज अगर कोई इन्जीनियर ३० हजार के काम को ३ लाख में करता है तो वह इन्जीनियर हमें नहीं चाहिये। हमें तो वह इन्जीनियर चाहिये जो ३० हजार का काम २९ हजार में कर सके, तो हम उसके काम को वास्तव में सराहने योग्य काम कह सकते हैं, अगर कोई ३० हजार के काम को ३ लाख में करता है तो उसे सराहने योग्य कार्य नहीं कहा जा सकता। यही आज हमारे निर्माण कार्यों में हो रहा है। ऐसी हालत में मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने जो पिछले वर्ष में इतना व्यय किया है उसके लिये गर्व करते हैं तो आपको यह देखना चाहिये कि जो आपने व्यय किया, वास्तव में वह अच्छे कार्य के लिये व्यय किया गया और जिस कार्य के लिये अलोटेड था उसके लिये किया गया, कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, अगर दुरुपयोग हुआ है तो यह कोई गर्व करने की बात नहीं रहेगी।

इसके अतिरिक्त मैं इस बात की ओर भी संकेत करना चाहता हूं कि जिसकी ओर बार बार संकेत इस सदन में हुआ है और जिसका बार बार हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने प्रतिकार करने की कोशिश की है और जुबानी यह बताने की कोशिश की है कि यह गलत है। पर मैं कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से विकास कार्यों के लिये आप स्थान चुनते हैं, जिस ढंग के विकास कार्यों के लिये क्षेत्र चुनते हैं, उनमें विकास कार्यों को एक नेशन के आधार पर, एक नेशन किस तरह आगे बढ़े ऐसा कुछ आधार नहीं है, पर इसमें क्षेत्रीय आधार ज्यादा प्रबल है और यही वजह है कि बहुत सी जगहों पर विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं, पर कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहां अनाप-शनाप खर्च हो रहा है, आउट ऑफ प्रोपोरशन खर्च हो रहा है और उसका पता नहीं क्या रिजल्ट आ रहा है। उसमें से बहुत अधिक रुपया व्यर्थ जाता है। इसलिये यह क्षेत्रीय भावना से प्रेरित होकर ब्लॉक्स खोलने या और तरह के कामों में रुपया व्यय करने की स्कीमें बनाना यों ही जारी रहीं तो जो हम खर्च कर रहे हैं और जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये खर्च कर रहे हैं उसकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी।

इसके अतिरिक्त मैं और एक बात की ओर संकेत करना चाहूंगा कि अभी जो ब्लॉक्स खोलने की योजना रक्खी है और यह तय किया है कि किस आधार पर खोलना चाहिये, उसमें एक बात यह भी रक्खी गई है कि जहां सिंचाई के कार्यों में सफलता ज्यादा मिल सके वहां खोलने चाहिये और यह ठीक ही आधार रक्खा है। लेकिन जिस वक्त आप उन आधारों को कार्यरूप में परिणित करने जाते हैं उस वक्त दूसरे आधार आपके सम्मुख आते हैं और आपको दूसरे आधार

[श्री वेदपाल त्यागी]

बनाने पड़ते हैं और वे आधार हैं आपके वे लोग जिन्हें आपको खुश रखना है, ताकि वे आपको आपके इलेक्शन में मदद दे सकें, आप उन लोगों को किसी तरह से इमदाद दे सकें, या आप जिन लोगों को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते ये भी आधार हैं। इसके अलावा और इलाकों के लिये कोई स्कीम आपके पास नहीं, माइनर इर्रिगेशन स्कीमें भी आप नहीं चला सकते। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि इनको आगे बढ़ाने का क्या तरीका आपने सोचा है? आज सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने विकास योजनाएं बनाई हैं। उन पर लाखों रुपया आपने व्यय किया पर इसके लिये आप कतई बधाई के पात्र नहीं हैं, क्योंकि यह रुपया आपका नहीं, सेन्टर का था और आप तो केवल एक तरह से एजेन्ट के रूप में काम कर रहे थे। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट आपको रुपया खर्च करने के लिये दे रही है क्योंकि शासन की बागडोर आपके हाथों में है। पर वास्तव में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को सुझाने का ऐसा भी कोई उल्लेख है, क्या आपके पास जहां कि मेजर सिंचाई का काम हो रहा है वहां से दूर इलाकों में भी पानी पहुँचाया जा सके, माइनर सिंचाई के काम भी चल सकें।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी शुरू ही किया है, अगर घंटी गलती से बज गई है तो मुझे बता दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं।

श्री वेदपाल त्यागी—तो फिर अभी तो मुझे बोलना है। तो मैं यह निवेदन करूं....

श्री उपाध्यक्ष—पांच मिनिट।

श्री वेदपाल त्यागी—पांच नहीं साहब, मुझे तो अभी और भी बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष—और भी कई बोलने वाले हैं अभी।

श्री वेदपाल त्यागी—उपाध्यक्ष महोदय,.........

श्री उपाध्यक्ष—संक्षेप में।

श्री वेदपाल त्यागी—तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि इसमें भी संकुचित भावना, क्षेत्रीय भावना से काम न करें।

इसके अतिरिक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ यह कहा जाता है कि एकीकरण हम कर रहे हैं ठीक तरह से कर रहे हैं, तो एकीकरण तो आपको करना ही होगा, चाहे फिर उसे आप ठीक तरह

[श्री वेदपाल त्यागी]

से करें या न करें। पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं जिससे वास्तव में मुझे तो अत्यन्त दुख होता है कि जो शक्ति आज राज्य की आपको मिल रही है, कानून के द्वारा या आपके ऐसे ओफिस में बैठने के द्वारा उसका दुरुपयोग आप न करें। इसका दुरुपयोग कई रूपों में हमारे सामने आता है और मैं कुछ ऐसे उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि जिनमें से साफ हो जाता है कि आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग अपनी प्रशासनिक भावनाओं से नहीं परन्तु बदले की भावनाओं से भी करते हैं और इस प्रकार के कोर्ट्स के जजमेन्ट भी हुए हैं। हमारे प्रान्त के उच्चतम न्यायालय के जजमेन्ट ऐसे हुए हैं जिनमें यह करार किया गया है कि मैलिस (बदनीयत) से काम किये गये हैं और मैलिशियस तरीकों को अपना कर लोगों को बर्खास्त किया है। यद्यपि मैं कह देना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष से मुझे कोई ग्रज या ग्रीवान्स नहीं है, लेकिन सरकार में यदि कोई भी आदमी बैठा हुआ अपनी उस शक्ति का दुरुपयोग करता है और सरकार के माननीय मुख्य मंत्री महोदय को उसकी सूचना मिलती है तो उनका यह परम कर्त्तव्य है, दूसरे मन्त्रियों का भी कर्त्तव्य है कि वे उन को ऐसा करने से अवश्य रोकें। अभी २ थोड़े दिन हुए उच्चतम न्यायालय से एक फैसला हुआ है सिरोंज के केस में। सिरोंज की म्युनिसिपैलिटी के चेयरमेन को पांच-सात चार्जेज़ लगा कर बरखास्त कर दिया गया। उन चार्जेज़ में से दो एक चार्जेज़ का मैं उल्लेख भी कर देता हूं जिससे पता लगे कि किस तरह से यह एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है। वह चार्ज एक तो यह है कि गल्ला आने लगा। गल्ले पर कर है तो उस कर को वसूल करने के लिये उस म्युनिसिपेलिटी ने सात आदमियों को नौकर रक्खा। उन पर इसको लेकर यह चार्ज लगाया गया कि तुमने बिना बजट की मन्जूरी के उनको नौकर क्यों रक्खा? यद्यपि उनको नौकर रखने के बाद बोर्ड के सामने उन कागजों को रक्खा गया और उनको रैक्टीफाई भी करा लिया गया। बजट उस वक्त तक आया नहीं था, जब कि गल्ला अप्रेल के महीने में आना शुरू हो जाता है। ३१ मार्च को बजट खतम होता है और एक या दो अप्रेल को उन्होंने इनको नौकर रक्खा और उन्हीं दिनों में गल्ला भी आना शुरू हो जाता है। अब यह कहा गया कि बजट की मन्जूरी के बिना, चूंकि उनको नौकर रखा गया, इसलिये यह नेग्लीजेन्ट है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि बजट मंजूर होकर न आये और वास्तव में फिर वह बजट भी दो महीने तक मंजूर होकर आया भी नहीं, और ऐसी हालत में वह किसी को नौकर न रख कर २० हजार जो कर के रूप में वसूल होने वाला था उसको वसूल न करके २० हजार का नुकसान करा दे तो यह नेग्लीजेन्सी होगी या सात आदमियों को नौकर रखकर यह बीस हजार की वसूली कर लेना नेग्लीजेन्सी हो गई? सवाल उठा और आखिर किया क्या कि उन चेयरमेन महोदय को सरकार ने बर्खास्त कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से हाई कोर्ट के उस फैसले के चन्द शब्द पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ कि जिससे पता चले कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं और इनके कारनामों को हमारा उच्चतम न्यायालय किस नजर से देखता है और बावजूद इसके भी किस तरह का बर्ताव ये करते हैं। वैसे तो सारा फैसला ५० पृष्ठों में है पर उसमें से मैं थोड़े से शब्द ही सुनाना चाहता हूँ जिससे पता चल जावे कि यह गवर्नमेंट किस प्रकार अपनी प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग करती है:—

[श्री वेदपाल त्यागी]

"The petitioner, in the present case, has alleged malafides of the Government. It is stated in the petition, which is supported by an affidavit, that the petitioner is the Secretary of the Praja-Socialist Party and as such was acting as the leader of the Opposition in the last Municipal Board. He brought about a vote of non-confidence against the then Chairman Shri Maulana Abdul Rahim, who was vice-President of the Tehsil Congress Committee, but despite the aforesaid resolution of non-confidence, the Government did not take any action. The petitioner, however, got Shri Abdul Rahim declared incompetent to act as Chairman by bringing a suit in the Munsiff's court, Sironj. It was stated that he thus incurred wrath of the congress party and with in a few days of his election as Chairman the Tehsil Congress Committee of Sironj wrote to the District Congress Committee, Kotah, for bringing about the removal of the petitioner from the office of chairman, which alone, it was stated, would prop up the prestige of the congress in that region. It was stated in the letter at the end that if this was not done, the congress party could not hope to win the various elections in future and it was prayed that the hon'ble leaders of the congress would pay heed to their representation. This document is dated 26th January, 1955. There were various matters in the representation of the Tehsil Congress Committee and the Secretary of the District Congress Committee, Koath, wrote a letter in respect of one subject on 23rd April, 1956, to some person enclosing the representation of the Tehsil Congress Committee. The said letter fell in the hands of the petitioner and has been produced in this court as Ex. P. 46. There is also the allegation of the petitioner that he opposed Shri Brij Sunder Sharma, the present Finance Minister of the Government of Rajasthan, in the bye-election of Sironj and also appeared as witness against Shri Brij Sunder Sharma in the election petition field by Pt. Abhinna Hari and it was order to humuliate him that the present order was passed. The Government has not chosen to deny specifically the aforesaid allegations which are contained in paragraphs of the petition.

On the strength of the affidavit of the petitioner and the documentary evidence submitted by him, it must be held proved that soon after his election as Chairman, the Tehsil Congress Committee was working to bring about his down fall by any means, and it was sought to be made question of the prestige of the Congress party in that region and the Congressmen in the authority were being approched for the purpose at Jaipur. The second allegation that the petitioner, who does not belong to the Congress party, brought about the downfall of the previous Chairman Shri Abdul Rahim, who was leading member of the Congress party, must also be held to be proved. It must also be held proved that the Govt. did-

[श्री वेदपाल त्यागी]

not take any action on the passing of the no-confidence motion, and allowed Shri Abdul Rahim to continue until he was prevented from doing so by a decree of the court of Munsif in a suit brought by the petitioner. That it would have been necessary for the petitioner to bring a suit in order to put an end to the activities of Shri Abdul Rahim even after a proper vote of no-confidence has been passed against him makes it clear that the Government had no hesitation in supporting a man of the Congress party, and in such a situation the Govt. must have felt annoyed by the petitioner, and a bias against the petitioner may be inferred."

ये हैं आपके कारनामें कि उस आदमी को जिसके खिलाफ नो-कॉन्फिडेन्स मोशन पास हुआ उसको ओफिस में बनाये रखा और जिसने सूट दायर किया उनको हटाया, उससे नाराज होकर हटाया। उसके लिए आगे हाईकोर्ट ने कहा है........

(घन्टी)

श्री वेदपाल त्यागी—Should I sit down ?

श्री उपाध्यक्ष — Put the reference.

श्री वेदपाल त्यागी—I was quoting the text of the judgement and the House may be interested. Of course, I took more time. That latitude may be allowed.

श्री उपाध्यक्ष—Be brief please.

श्री वेदपाल त्यागी—This is the finding of the High court. " As a result of the careful consideration of the entire facts and circumstances of this case, we have no hesitation in coming to the conclusion that the action of the Government in removing the petitioner Shri Keshrimal from the chairmanship of the Municipal Board of Sironj was not bonafide , and the basic facts which enabled the Government to exercise the power of removal did not exist in the present case. It may also be stated that every one of the acts mentioned in charges 1, 2, and 7 was confirmed by the Board, and no question of neglect of duties of the Chairman arose. The findings on charges Nos. 3, 5 and 6 were contrary to actul facts, and charges Nos. 4 and 7 do not amount to neglect of duties, in view of the special circumstances narrated above."

[श्री वेदपाल त्यागी]

ये वे सरकम्स्टान्सेज़ हैं जिसमें एक आदमी को यह कह कर कि तुम चोर हो, उसको फांसी पर लटका दिया जाय. कोई सुनने वाला नहीं है।

"Before concluding it may be observed that the Constitution of India states by a solemn resolution of the people of India to constitute India into a Sovereign Democratic Republic and to secure to all its citizens Justice, social, economic and political; Liberty of thought, expression, belief, faith and worship, Equality of status and of opportunity; and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In this democratic set up there will always be occasions when persons not belonging to the party who may hold the reins of Government, may come forword for election in the local bodies and be successful in being elected to responsible positions. It could not have been the intention of the Legislature that such persons, who may be rank outsiders so far as the party in power is concerned, should be removable on the arbitrary decision, that circumstances existed which would authorise the Govt. to remove such out-sider inspite of the real merits of the situation. Any other interpretation would enable the Government to remove such an outsider, however, able and zealous he may be in the performence of his duties by a simple assertion of the existence of facts authorising removal, and thereby deprive him not only of the chairmanship but also the membership of the Board. This power could then be excercised to such an extent as would involve the elimination of all members who do not belong to particular party by the simple rule of bringing about their election to the post of Chairman or Vice-chairman, and thereafter exercising the power under section 22(10) for their removal."

तो यह हैं सर्कमसटान्सेज़ कोई भी आदमी जो आपकी पार्टी का नहीं हो यदि चुनकर आ जाय तो सिर्फ यह कह कर कि वह नेग्लीजेन्ट है और इस प्रकारके फेक्ट्स बताकर जो बेसिक फेक्ट्स से सम्बन्ध नहीं रखते हैं आप निकाल दें। यह एक ही मिसाल नहीं दे रहा हूं। मैं दो मिसालें और देना चाहता हूं। वह है डोग के चेयरमेन की। वह आदमी कांग्रेस पार्टी का था। लेकिन वह इस ग्रुप का नहीं था जो आज कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। उसको यह कहा जाता है कि तुम पर ये चार्जेज़ लगाये जाते हैं, जवाब दो नहीं तो हटा दिये जाओगे। उसने कहा कि मुझे चार्जेज़ दे दीजिये, मैं उनका जवाब दे दूंगा। लेकिन उसको चार्जेज़ नहीं दिये गये। उसने हाईकोर्ट में चाराजोरी की भी क्लाज फोरके लिए भी यह कहती है कि दो नोटिस देंगे तब हटाया जा सकेगा। आप नोटिस भी नहीं देते। इस कारण रिट मन्जूर किया। उपाध्यक्ष महोदय, रिट मन्जूर होने के बाद एक स्थिति पैदा होती है। शक्ति गवर्नमेंट के हाथ में है और गवर्नमेंट उसका दुरुपयोग करने के लिए उतारू हो रही है, ५ तारीख को उसका फैसला होता है और १३ तारीख को जजमेंट हाईकोर्ट का लेजा कर पेश किया

[श्री वेदपाल त्यागी]

जाता है। पहले तो माननीय मंत्री मिलने से ही इन्कार करते हैं और जब कहा जाता है कि यह कन्टेम्प्ट है तो उसको दो महीने लटका कर ३-१० को चार्ज दिलाया जाता है और दूसरे दिन ही नोटिस दे दिया जाता है क्यों कि वे तो टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर हटाये गये थे। यह है आपका तरीका।

किस प्रकार हमारे इलेक्शन्स में कृपा पात्र जो बने हुए हैं दखल देते हैं और किस तरह मिनिस्टर उनके हाथों में खेलते हैं और खुल कर खेलते हैं, इस बात का ध्यान न रखकर कि क्या सही है और क्या गलत है वे उनको तरजीह देते हैं। यह बारां म्युनिसिपल बोर्ड का केस है। उसकी ३० मार्च, सन् ५६ को अवधि समाप्त होती थी। २० मार्च, सन् १९५६ को गवर्नमेंट का ऑर्डर निकलता है, वह ओर्डर मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा ताकि पता चले कि किस प्रकार से काम हो रहा है। यह है ओर्डर :

"No. F(B)/(27)LSG/52. Jaipur, dated the 20th March, 1956.

Whereas the term of the members of the existing Municipal Board, Baran expires on 26th March, 1956.

And as it would take some time before the new Board is constituted after elections.

Now, therefore in exercise of powers conferred by section 2 of the Rajasthan M. B. (Extension of Terms) Act, 1952, the Government of Rajasthan is pleassed to extent the terms of the members of the existing M. B. of Baran upto the 30-6-56 till the new Board takes over the charge which may ever be earlier.

By order of

H. H.

Z. S. Jhala.

31, March, 1256."

यह ओर्डर इश्यू होता है और दूसरा ओर्डर ९ अप्रेल को जारी होता है। वह यह कहता है,
"No. F 1 (B) (27)/LSG/52 Jaipur the 9th April, 1956.

Whereas the terms of the members of the M. B. of Baran has expired on the 31st March, 1956."

[श्री वेदपाल त्यागी]

हालांकि मियाद एक्सटेन्ड करदी गई जून, ५६ तक। इसमें उसका हवाला नहीं दिया जाता और उसको दबा दिया जाता है क्योंकि, हमारे एम. एल. ए. साहब नहीं चाहते थे कि टाईम बढ़ाया जाय।

"As whereas the Govt. is of the opinion that the said M. B. of Baran is now not competent."

(कुछ रुक कर)

Not Competent.

(पुनः)

"And whereas it is necessary to run the administration of the said M. B. Baran.

And whereas the general election for the reconstitution of the said Board are due to be held on the 12-8-56.

Now therefore, the Government of Rajasthan hereby orders :

(1) That under cl. (a) and (b) of sub-section (2) of sec. 203 of the Rajasthan Town Municipalities Act, 1951 (Act No. 23 of 1951) the members of the said Board shall vacate their offices immediately."

आगे कोन्सीक्वेन्सेज़ हैं, वे लिखे गये हैं।

मैं इन ओर्डर्स को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं कि किस प्रकार हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है। चंद लोगों को खुश करने के लिए कानून का ध्यान नहीं रखती, चन्द लोगों को खुश करने के लिए न्याय का ध्यान नहीं रखती, और चन्द लोगों को खुश रखने के लिए सही और गलत चीजों का ध्यान नहीं रखती है और यह कहा जाता है कि हम लोग बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, अभी डाक्टर मंगलसिंहजी भाषण दे रहे थे वे यह कह रहे थे, मैं उसको गौर से सुन रहा था, कि क्या इस गवर्नमेंट में इस बात को कोई महसूस करने वाला नहीं है कि लोग मर रहे हैं और यहां लालबहादुर शास्त्री की तरह कोई मिसाल पैदा नहीं कर सकता है? मैं यह कहूंगा और आपको कहूंगा कि इतनी नैतिकता नहीं है। चाहे हमारी गलतियों के कारण से, चाहे नीचे के कर्मचारियों की गलतियों के कारण से लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, लोग खतरे में हैं तो हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए जैसा कि लालबहादुर शास्त्री ने उदाहरण रखा। लेकिन न्याय का फैसला है, यह मेलाफाइड (melafide) नहीं है, इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मुख्य मन्त्री नहीं, तो मन्त्री महोदय तो इस्तीफा देदें? वे छोटी छोटी बातों से प्रेरित होकर इस प्रकार

[श्री वेदपाल त्यागी]

सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। उनके प्रति आंच आने पर उन्हें कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है।

आप भले ही नहीं दिखाइये वह नैतिकता जो लालबहादुर शास्त्री ने दिखाई है किन्तु कम से कम वह अनैतिकता भी न दिखाइये कि आज जो सदन के सामने ये वाकेयात पेश किये गये हैं उसके बाद भी कुर्सी पर कायम रहें। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी यदि आप कुर्सी पर कायम रहते हैं तो मैं समझता हूं कि अनैतिकता की पराकाष्ठा है और नैतिकता की अवहेलना है, चेलेन्ज है। मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इन हालात में क्या थैन्क्स दें हम राज्यपाल महोदय को? किस बात पर थेन्क्स दें? आज मुझको समय दिया जाय तो संभवतः दूसरी और बातें इसी प्रकार की कह सकता हूं, मिनिस्ट्री को बता सकता हूं वे गुट्टबाजी से काम लेते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न तो यह मेरा काम है कि मैं तमाम समय इस सदन का अपने लिये रख लूं और इन तमाम किस्सों को कहता फिरूं। मैंने तो इस सदन के समक्ष उदाहरण के रूप में दो तीन बातें रखी हैं। मैं जानना चाहता हूं उनसे जो नैतिक स्तर का दावा करते हैं और कहते हैं कि हमको बताइयेगा अगर कोई गलती हो तो हम ठीक करेंगे, ऐसे आदमियों को दंडित करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यद्यपि मैं मानता हूं कि जिन मंत्री महोदय के बारे में मैं कह रहा हूँ उनके लिए मेरे दिल में भी सोफ्ट कोर्नर है, लेकिन सोफ्ट कोर्नर को, जब न्याय करना होता है, तो काम में लाने की जरूरत नहीं है। हम जब न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, तो जब दूसरे लोगों के सामने न्याय की तराजू से तोलने का उदाहरण रखते हैं, तो कोई भी क्यों न हो, हमारा निकट से निकट का रिश्तेदार ही क्यों न हो, हमको वही बर्ताव करना चाहिए जो न्याय वारन्ट करता है, न्याय मांगता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो उदाहरण मैंने रखे हैं उनको देखते हुए अगर यह सदन माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहे तो दे, लेकिन मैं उनमें शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि इससे मुझको संतोष नहीं है। यह ठीक है कि प्रजातन्त्र में कुछ लोग मिलकर राज्य चलाते हैं, सबकी संयुक्त जिम्मेदारी होती है। आज जिस प्रकार की संयुक्त जिम्मेदारी को निभा रहे हैं उसे हम जानते हैं, जो पार्टी निभा रही है वह भी हम जानते हैं कि क्या हो रहा है? लेकिन जहां इंडिविजुअल एक्शन्स हैं उनके लिये कठोरता नहीं रखी जाय, उनके ऊपर नियन्त्रण नहीं रखा जाय और उनको इस तरह से खुले आम काम करने दिया जाय तो उनकी अनैतिकता की पराकाष्ठा होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आज समय बहुत हो चुका है और आप (उपाध्यक्ष) तीन दफा घंटी बजा चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि चौथी दफा भी आपको घंटी बजाने की जरूरत पेश आये। मैं सिर्फ यह निवेदन करूंगा कि इस हालत में, प्रस्ताव को अपोज़ करने के लिए खड़ा हुआ हूं और अपोज़ करता हूं।

श्री जगतसिंह झाला—श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने यहां जो पधार कर भाषण दिया, और जिसके ऊपर हमारे मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा उसके विरोध में मैं भी चन्द शब्द निवेदन कर देना चाहता हूं।

[श्री जगतसिंह झाला]

श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने अपना जो अत्यन्त संक्षिप्त भाषण दिया है वह भाषण केवल संक्षिप्त ही नहीं बल्कि सारहीन भाषण है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो उलझी हुई समस्याएं हैं उनके ऊपर राज्यपाल महोदय भाषण के अन्दर कुछ प्रकाश डालते तो मान सकते थे कि वह भाषण सारहीन भाषण नहीं है बल्कि सारयुक्त भाषण है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां २४ तारीख को जो प्रस्ताव पास किया गया और जिस प्रस्ताव में यह बात रखी गई कि राजस्थान से हजारों की तादाद में गौ-निकासी को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई जायगी और वह कमेटी शीघ्र ही इस बात के लिए विचार करेगी कि हमारे राजस्थान से गौ-निकासी शीघ्र ही बन्द करदी जाय। लेकिन हमें बड़े दुःख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि यह जानबूझ कर चुनाव के स्टन्ट को समझ कर प्रस्ताव को पास नहीं किया गया था और आगे बढ़ाया गया है। मै निवेदन करता हूं कि राजस्थान से हजारों की तादाद में निकास होने वाली गायों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है और उस कमेटी के प्रस्ताव को जो २४ तारीख को पास किया गया था आज डेढ़ महीने का अर्सा होगया लेकिन सरकार ने एक दिन भी मीटिंग उसकी नहीं बुलाई। सरकार उसके बारे में उदासीन है। सरकार चाहती है, हमारा गोधन हजारों की तादाद में बाहर जाय और बाहर जाकर न केवल बेचा ही जाय बल्कि काटा जाय। यह हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात पहुँचाने के लिए ही सारा प्रयत्न किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा गौधन हजारों माइल्स का सफर करके बम्बई, मध्यप्रदेश और पाकिस्तान में जाता है और वहां जाकर हमारी उन गायों का वध होता है। हमारा इस बात में सौभाग्य है कि राजस्थान के अन्दर गोवध नहीं होता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारा गोधन इस प्रकार से बाहर भेजा जाय और बाहर जाकर उनका वध किया जाय।

दूसरा एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां ईसाई मिशिनरीज़ के बढ़ते हुए, प्रचार को रोकने के लिए, जो कि लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं उसके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। मध्यप्रदेश के अन्दर एक आयोग नियुक्त हुआ था। उस आयोग की रिपोर्ट से साफ जाहिर हुआ था कि मध्यप्रदेश में, जो कि पहले मध्यभारत था, ईसाई मिशिनरीज़ धर्म परिवर्तन करती हैं। यहां पर मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करता हूँ कि उल्टी स्थिति है। राज्य सरकार ने ईसाई मिशिनरीज़ को प्रोत्साहन दिया है। हमने देखा है कि एजुकेशनल कॉन्फ्रेन्स के अन्दर ईसाई मिशिनरीज़ को, सेन्ट जेवियर के पादरियों को ही सारे अच्छे २ ऊंचे अधिकार दिये गये और उनसे काम लिया गया। जिस सेन्ट जेवियर स्कूल के अन्दर हमारे राष्ट्रीय झन्डे का अपमान होता है, उन पादरियों के साथ में अगर आप इस तरह का बर्ताव करते हैं तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमारी सरकार किस नीति पर चलती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों बातों के ऊपर जो कि बहुत जरूरी बातें थीं राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है और हमें कहा जाता है कि राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद दो, तो हम किस तरह से दे सकते हैं? यह सामान्य प्रश्न नहीं है। यह हमारी जनता का प्रश्न है, राजस्थान की जनता का मुख्य प्रश्न है। इसके ऊपर प्रकाश डाले जाने की आवश्यकता थी।

[श्री जगतसिंह झाला]

अब मैं राज्यपाल के भाषण की उन बातों पर निवेदन करना चाहता हूं जिनके बारे में उन्होंने अपने भाषण में फरमाया। पंचायत विभाग के बारे में उन्होंने फरमाया कि पंचायतों को एक आना कर के रूप में इकट्ठा करके देना स्वीकार किया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़ के अंदर सम्मेलन हुआ था उसमें स्वायत्त शासन मंत्रीजी भी मौजूद थे और उस समय सौभाग्य से मैं भी मौजूद था। उसमें मंत्री महोदय ने अपने भाषण में फरमाया था कि केवल उन्हीं पंचायतों को एक आना फी रुपया कर उठाने की छूट होगी जो बिना किसी लड़ाई झगड़े के चुनकर आई हुई होंगी। मैं इसका विरोध करता हूं। यह कोई केवल आपका ही शासन नहीं है कि आप इस तरह से जाकर प्रचार करें। राज्य सरकार के अन्दर हमें और दूसरी पार्टियों को भी खड़ा होने का अधिकार है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि यह दुख की बात है कि प्रजातन्त्र के युग के अंदर इस प्रकार की बातों का उल्लेख होता है। आपने स्पष्ट रूप से फरमाया था कि केवल उन्हीं पंचायतों को एक आना रुपया देंगे जो किसी तरह की लड़ाई के बिना बिल्कुल ठीक रूप से चुन कर आई हैं, तो आपका मतलब उससे यह था कि उन पंचायतों में केवल कांग्रेस के व्यक्ति आयें यदि आपका यह मतलब था तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्वस्थ परंपरा नहीं होगी। प्रजातन्त्र के ऊपर कठिन कुठाराघात होगा।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि हमारे यहां भ्रष्टाचार दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिये राज्य सरकार प्रोत्साहन नहीं दे रही है, ऐसी बात कैसे मान ली जाय जब कि ऐसे व्यक्तियों को जो कि भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाते हैं रिइन्स्टेट कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वह मिसाल है श्री देवीलाल इन्सपेक्टर एक्साइज़ की वे एक मिनिस्टर साहब के बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार हैं अगर आप फरमायें तो मैं मिनिस्टर साहब का नाम भी अर्ज कर दूंगा, लेकिन चूंकि वे मिनिस्टर साहब यहां बिराजमान नहीं हैं इसलिये मैं नाम निवेदन करना नहीं चाहता। उनकी इस तरह की घटना है कि मावली के स्टेशन पर उनको ५०) रु० के नोट एस. पी. के दस्तखत करवा कर दिये गये और उनको पकड़ा गया, उनके बयान हुए। बयान मजिस्ट्रेट के सामने हुए। उन बयानों में उन्होंने कुबूल किया, लेकिन इतना होने पर फिर से डिपार्टमेंटल कार्यवाही होती है वह डिपार्टमेंटल कार्यवाही न जाने किस पक्ष को ध्यान में रख कर की गई कि उनको बरी कर दिया जाता है और वापिस उनको रिइंस्टेट करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है।

ये वे ही देवीलालजी हैं जो एक दफा पहले प्रतापगढ़ में आदिवासी विद्यालय के मेनेजर थे और वहां पर उन्होंने अपनी तनख्वाह के साथ चपरासी की तनख्वाह भी ले ली थी, उस चपरासी को नौकर नहीं रखा गया था। एक दो महीने तक ही नहीं बल्कि पूरे साल भर तक वे तनख्वाह लेते रहे। वहां से उनको बर्खास्त किया गया। मंत्री मंडल में उनके रिश्तेदार होने के कारण वापिस उनको नौकर रख लिया गया। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इससे खाली उदयपुर में ही नहीं

[श्री जगतसिंह झाला]

बल्कि सारे उदयपुर डिविजन में तहलका मचा हुआ है। यदि मुख्य मंत्रीजी निष्पक्ष हैं तो दूसरे लोगों के रिश्तेदार को इस तरह से क्यों प्रोत्साहन दिया जाता है ? आप स्पष्ट शब्दों में यह बतलावें कि इस तरह की कार्यवाही क्यों हो रही है ? क्यों रिश्वत के मामले में मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और केवल डिपार्टमेंटल कार्यवाही करके उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस तरह की घटनाएं यदि राजस्थान सरकार के सामने होती हैं तो मैं निःसंकोच कहूंगा कि यहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ाने की ओर क़दम उठाया जाता है। यदि इस तरह की बात नहीं है तो क्यों किसी विशेष व्यक्ति के साथ पक्षपात किया जाता है ? कुर्सियों पर बैठने के बाद आपके लिए सब समान हैं, फिर आपका रिश्तेदारों के प्रति पक्षपात क्यों हैं ? मंत्रीजी के प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, हम उनका बुरा नहीं चाहते हैं हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में ऐसी बातें न हों वे एक्साइज डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। यदि उनके डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी बातें होरही हैं तो उनकी जांच होकर उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिये, नहीं तो सारी जनता यह कहेगी कि हमारे मंत्रीजी इस तरह के काम करते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विकास कार्यों में भी पक्षपात बरता जा रहा है। विकास के कार्यों में पक्षपात बरतना अच्छी बात नहीं है। विकास कार्यों में धन-राशि का वितरण बराबर होना चाहिये। मैं बताना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिले में, बड़ी सादड़ी में एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। इस बारे में एक-दो बार ही नहीं बल्कि २५ बार मैंने इस सभा में प्रश्न पूछे हैं और निवेदन किया है कि सिंचाई के लिये वहां कोई काम होना चाहिये, लेकिन आप मेरी मांग को ठुकराते रहे।

एक घटना मैं और निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर राजराना साहब का पर्सनल तालाब है, उसको लोग बंधाना नहीं चाहते हैं लेकिन हमारे यहां के एम० एल० ए० जो इस समय यहां पर विद्यमान नहीं हैं और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने लसाड़िया कांस्टिट्यूएन्सी में इस प्रकार की शिकायत की कि वह तालाब राजरानाजी का पर्सनल नहीं है और उसका नाम सिंचाई के तालाबों में आ गया है इसलिये उसको बंधाया जाय। उसके लिये इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई और ७०,००० रु० का एस्टिमेंट हुआ। यह सारी कार्यवाही जान-बूझ कर उस क्षेत्र में मेरे खिलाफ की गई। मैं उस तालाब को रोकना नहीं चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया था कि मैं उस तालाब को रोकना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसको रोका जाय। मैं चाहता हूं कि वहां पर विकास कार्य हो। प्रश्न मैंने यह पूछा था कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उसका नंबर आयेगा या नहीं ? इसका उत्तर उन्होंने दिया कि यह विचाराधीन है। आप उस तालाब को बंधा नहीं सकते जब तक कि आप उसे राजरानाजी से नहीं ले लें। उसे नहीं लेने के कारण उसको उलझा रखा है और बातों में भी आप निष्पक्ष नहीं हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं और वह यह है कि बेगूं की हाई स्कूल को आपने २५,००० रु० दिये हैं जब कि सादड़ी की हाई स्कूल को केवल

[श्री जगतसिंह झाला]

१०,००० रु० ही दिये गये हैं। क्या यह पक्षपात नहीं है ? आप हमारे साथ बुरा बर्ताव करना चाहते हैं। जहां बेगूं हाई स्कूल को २५०००रु० दिये गये हैं तो सादड़ी को १०,०००रु० ही क्यों दिये गये हैं ? इससे स्पष्ट है कि आप अपने मित्रों को प्रसन्न रखने के लिये, आप अपने विरोधियों के क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते हैं।

मैं जागीरदारों के सिलसिले में विशेष निवेदन नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिरोध की भावना आप में है। अब जागीरें खत्म हो गई हैं। जागीरदारों को मुआवजे मिल रहे हैं लेकिन सैकड़ों तालाब जो सिंचाई की स्कीम में शामिल नहीं हैं उन्हें शामिल करने की कार्यवाही जागीरदारों को तकलीफ देने के लिए की जा रही है। ५० बीघा से नीचे के तालाबों को आपने पंचायतों को सौंपा है और जिन तालाबों पर लोगों का खुद का कब्जा है और जो लिस्ट में नहीं हैं उनको लेने के लिए कार्यवाही की जारही है। अब क्योंकि घंटी बज रही है मैं विशेष कहना नहीं चाहता। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय को धन्यवाद नहीं दिया जाय।

कुं० राव श्री गणपतिसिंह—Sir, of course we have to say 'yes' to the Vote of 'Thanks' but in the same manner as the previous speaker has shortly before said 'No, thanks, I do not smoke.' Sir, the mover of the Resolution of Thanks on His Excellency's Address started on a long tirade which was much more than what was contained in His Excellency's Address. To all intents and purposes it was obvious that the start was made for an election campaign in his constituency. It was hardly meant for anybody in the House here to hear.

श्री श्रीभानसिंह—You mean which constituency ?

कुं० राव श्री गणपतिसिंह—The mover's, I mean. Sir, people have spoken here on various points which I might have liked to cover, but it is hardly necessary for me now to go over the ground which is already covered by them. One or two things which somehow slipped the previous speakers' notice, I would l ke to mention here. One has been partly mentioned by a speaker, whose name, I am afraid, I do not know regarding the activities of the dacoities in Rajasthan. But there are two thing which come to one's mind in this connection and those are protection from dacoits working inside the country and projection from any possible attack from outside. The former part has been partly dealt with by His Excellency who has said these words about the inhabitants of this province and the Police—"यहां के निवासियों की मजबूती और बहादुरी।" etc. He was, I suppose, mentioning past things.

[श्री गणपतसिंह]

In His Excellency's Address mentaion has been made about the basic activities of the various Departments, but I am afraid I did not find any reference to how the country, the inhabitants of the country, the youth of the country; and not only the youth, but the whole population of the country, should be trained to look after themselves, to protect themselves. I am not trying to attack anybody. Sir, in this connection, I believe, a scheme was put forward by the Hon'ble Mr. Tyagi. According to it, the Government was prepared to supply rifles free to the various States and the general public were to be invited to go and get training. I did not find any mention either in the papers or here-of course I do not know about this place, I was not in the Assembly, but I have heard nothing about it. I would like to know what has happened to that ?

The gentleman over there shortly before me put before the House certain horrible instances of dacoities. Probably he was aiming at the lack of efficiency of the Police. But, Sir, my contention is that the country ought to be trained the men ought to be trained, the women ought to be trained, to look after themselves to look after their property, to look after their 'Izzat' and their children. What is our Government doing about that ? I read about a weak or 10 days ago some scheme-there was scme mention, I forget now exactly what it was, but I think it said that people in certain departments, able bodied people, youngesters were going to be asked to go and take up training. That is not much. I would like everybody every able bodied man, woman and youth, who is able, to go and work in the field, every Babu Sahib, Minister sahib, who is able to sit at his desk and wield his pen but is unable to move his trigger finger, every man of that sort and others, everyone should be obliged to go and take compulsory training for a week or a fortnight every year. So far as Government servants are concerned, an entry should be made in there service record and that should have effect on their promotion.

Then, Sir, there is another thing in this connection. I am very glad, I am very proud, our India, Bharat Mata, is a soveregin independent State. We are supposed to be free, 'supposed to be,' I say, but sir, will any Hon'ble Member here in the House, among Mintsters, kindly do me the favour of pointing out whether anywhere else, in any country in the world, except India, there is such an anti-national Arms Act and there is a prohibited bore? This is an instance of how we are being treated in an independent, free India. The Indian Arms Act is a stigma on the good name of the sovereign independent India. Sir, the British went. They had the Arms Act because they did not trust the Indians. But there successors are equally distrustfull towards us.

[श्री गणपतसिंह]

My previous speaker was complaining here about the Police not being able to protect our property and persons. Why should not every individual be able to bear arms without any restriction and protect himself ?

Sir, His Excellency has said : "७०० मील भारत पाकिस्तान की सीमा" the police had protected. Has anybody paused to ask, Sir, the reason for the existence of this 700 mile long Indo-Pakistan border ? The police have to look after the Raiyat, the Praja, but who was the cause of this 700 mile long frontier ? Why should it have been there ? That was caused by whom ? Need I say ? By the power hungry party that wields power today (inaudible). Well, Sir, then, with your permission I read out one or two टूटी फूटी कविता:—

"गया विदेशी देश तज, जद न हुओ कुछ जंग।
अंग भंग भारत कियो, रंग लीडरां रंग ॥"

We had, Sir, various "खण्ड्स, विस्तार खण्ड, सेवा खण्ड," but His Excellency did not show the kindness of pointing out by asking:

"खोल्या कोई खंड थे, जिणरो घणों घमण्ड ।
महा खंड थे कर दियो, खंडित भारत खंड ॥
खंडित कर दण्डित कियो, भरत खंड ने आज ।
अब खंडित कश्मीर ने, मत करजो महाराज ॥
पग धर पर धरिया नहीं, करिया बहुत विवाद ।
ताव पडंता आवसी, दूध छटी को याद ॥

It is not a joke, Sir. It is merey burying out head in the sand like the proverbial ostrich, pretending to think that there is no danger. Who here, not in this House, not in the city of Jaipur, not in the State of Rajasthan, but in the whole of this "Mutilated Bharat Mata," is there anybody, who can defend himself ? We are not antagonists of peace. We have love for peace. We do not want to attack anybody. But my contention, Sir, is that we should be able to get training, so that every able bodied man, women and child is able to protect himself.

(घंटी)

Sir,......

श्री मथुरादास माथुर—He takes it as a warning bell.

श्री गणपतिसिंह—May I ask you for the favour of a few minutes more? I would say a few things more with your permission.

(घंटी)

I am sorry. I would not take very long. I only read some thing.

(घंटी)

The Governor, I am sorry, His Excellency the Governor, did not make any mention of the future capital of Rajasthan. I make no secret of it, Sir, that I come from Ajmer, whether anybody likes it or not. I must say that I am from a place that makes me open to be accused of being partial. But, Sir, we heard that there was Committee appointed of members, certain high Ministers, and Congress members, from Ajmer and from Jaipur, they went into the whole affair, and talked and talked probably decided something or did not decide any thing. The whole question is thrown into the cold storage untill after the comming election.

(घंटी)

Sir, you have been very kind to me. I will only repeat what I said to my friends from Ajmer before the merger, on the last date when we met at Aimer; I would merely repeat it:—

"इत्ता बरस दूल्या रमी, इण घर रही उदाम ।
संसद चाली सासरे, संसद सदन सलाम ।।

I speak to the 'Sadan', the building, not to the members;

"इता बरस दूल्या रमी इण घर रही उदाम ।
संसद चाली सासरे संसद सदन सलाम ।।
संसद तजं अजमेर ने अब चाली आमेर ।
हुई हद्द्'डी आंतरे नेड़ी सांगानेर ।।
हिवड़े सूलां चुभ रही, मुखड़े लगी लगाम ।
आप बेचदी आतमा कांग्रेस के दाम ।।

Page No 55

[श्री गणपतिसिंह]

होली खेलो लीडरां धोली टोपी लेर ।
उडे अबीर आंबेर में, उडे धूल अजमेर ॥
नाचो गाओ लीडरां वे निशंक तज लाज ।
नाहरगढ़ मांथ धरो तारागढ़ रो ताज ॥
सैकडां बरस बणी रही राजधानी..."

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष, क्षमा करें यह राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण के किस अंश के सम्बन्ध में काव्य हो रहा है ?

श्री गणपतिसिंह—अजमेर को राजस्थान की राजधानी बनाने के बारे में जो हमारी मांग थी उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया, उसके बारे में मैं यह अर्ज कर रहा हूं। इसके बारे में राज्यपाल के भाषण में कहीं संकेत मात्र भी नहीं किया गया है ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप जरा इस पर ध्यान दें ।

"सैकडों बरस बणी रही राजधानी, उने राजधानी बणातां जरा तो शरमाओजी" ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

Sir, I am afraid I am not able to 'say thanks'. Well, I say thanks, but I cannot join the party in offering it undiluted

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री श्रीमानसिंह—Mr. Deputy speaker, sir,......

(साथ ही श्रीमती यशोदा देवी भी बोलने के लिये खड़ी हुई)

श्री उपाध्यक्ष—श्रीमती यशोदा देवी ।

श्रीमती यशोदादेवी—माननीय उपाध्यक्षजी, आज दो दिन से श्रीमान राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया और उस पर माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा उस पर वाद-विवाद चल रहा है । हमारे राजस्थान की जनता और हम इस सदन के सदस्य यह अनुमान लगा रहे थे कि अब

[श्रीमती यशोदादेवी]

राजप्रमुख की इस सदन से बिदाई होने के बाद हमारे सदन में राज्यपाल महोदय पधारेंगे और उनके अभिभाषण के ऊपर संभव है हमको यहां वाद-विवाद का मौका नहीं आयेगा और हमको भाषण में कई बहुत बड़ी भावनाओं की ओर संकेत मिलेगा, बहुत बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे पर हमारे सामने हमारे माननीय राज्यपाल का बिलकुल निराशाजनक भाषण आया है और आज उस भाषण के ऊपर हमको वाद-विवाद करने का, उनके भाषण की आलोचना करने का फिर आखिरी समय हमारे सामने उपस्थित हो गया है।

माननीय उपाध्यक्ष, विशाल राजस्थान बनने पर सब ओर खुशियें हुई इसके साथ साथ हम यह भी अनुमान लगा रहे थे कि विशाल राजस्थान बनने के साथ साथ हमारे नेताओं के दिल और दिमाग भी विशाल होंगे। माननीय उपाध्यक्ष, धन्यवाद के प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय का भाषण सुन कर तो मुझे यह महसूस हुआ कि सड़ी लाश के ऊपर कीचड़ छिड़क दिया है, उस सड़ी हुई लाश को बदबू आम जनता तक न फैलने पाये इसलिये उसको ढकने की कोशिश की गई है। हमारे सामने योजनाओं के बहुत बड़े बड़े आंकड़े पढ़ कर सुनाये गए, पर वे या तो राज्यपाल के भाषण में होते या हमें यह बताया जाता कि राजस्थान सरकार जब से कायम हुई तब से, ५ वर्ष से जब से कि यह राजस्थान सरकार बनी तबसे लगा कर आज तक, हमारे भारत के प्रधान मन्त्री और राज्यपाल, हिम्मत के साथ हमारे सदन में प्रस्तुत कर देते कि इन पांच वर्षों में हमारी जनता का विकास हुआ या बरबादी हुई। लाखों रुपया सिर्फ मिनिस्टरों की दिल्ली और जयपुर की दौड़ में लगा, पूरे प्रांत में यह विकास का काम करना नहीं हुआ बल्कि अपनी कुर्सी की अदला बदली के लिये दिल्ली और जयपुर के बीच दौड़ लगाई गई, क्या इसमें पैसा खर्च नहीं हुआ ?

हमारे सामने वे बातें रखी गई जो हो चुकी हैं, उन विकास-कार्यों की योजनाओं को जो हो चुकी हैं उनको हमारे सामने रखा गया, पर आगे भविष्य में होगा क्या इसके बारे में कोई योजना हमारे सामने नहीं रखी गई। जो हो चुका है उसके बारे में बड़े २ आंकड़े हमारे सामने रख दिये। हां, राजस्थान में विकास योजनाओं पर राजस्थान सरकार ने इतना खर्च किया है इसके आंकड़े रख दिये, पर मेरी समझ में नहीं आया उपाध्यक्ष महोदय, कि यह रुपया केन्द्रीय सरकार खर्च कर रही है या हमारी प्रान्तीय सरकार ?

तो प्रान्त ने क्या किया ? सेन्टर का यह काम है। प्रान्त ने फिर क्या किया ? जो कल और कारखाने खोलने का विचार किया गया है वह सब शहरों में किया गया है, देहातों में एक भी योजना नहीं बनाई गई है। अतः यह जो भाषण है, वास्तविक चुनाव भाषण है और इस प्रकार के आंकड़ों से वह गांवों की जनता को भ्रम में डालने की कोशिश हमारी सरकार करने की शुरूआत करती है। और माननीय उपाध्यक्ष, पिछले पांच सालों में विकास कार्यों के अन्दर कुछ काम नहीं किया गया। यदि चुनाव के एक साल पहले भी सरकार इस कार्य के लिये पैसा खर्च कर देती तो

[श्रीमती यशोदादेवी]

उससे पब्लिक को संतोष होता। मगर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं लाखों रुपये सरकार विकास के लिये खर्च करती जा रही है। हजारों रुपये ही नहीं, हजारों से लाखों रुपयों की सरकार बातें करने लगी है। लाखों रुपयों की बात कह कर पब्लिक को भ्रम में डाला जा रहा है, रुपयों के बल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं तो यह कहूंगी कि यह हमारी सरकार की गलती नहीं बल्कि यह तो हमारे प्रधान मंत्री की गलती है कि इस मौके पर कई लाख रुपयों को मंजूर करने की कोशीश कर रहे हैं, उनको चाहिये कि वे इस समय लाखों रुपयों को मंजूर करने की कोशिश न करें और अपनी ताकत और सेवा के बल पर चुनाव लड़ें। चुनाव लड़ने के बाद चाहे जीतें या हारें, उनको जो भी विकास के कार्य कराने हों राज्य सरकार से करावें। यह होता है सिद्धान्तिक काम लोभ और लालच में जनता को डाल कर कि हमारी सरकार यह कर रही है, हमारी सरकार वह कर रही है, तीन महीनों के बाद में, मैं बताती हूं कि कहीं सरकार ने रुपया खर्च करने के बावजूद भी हार खाई तो उस जगह के लिये अगर रुपया मंजूर हो भी गया तो वहां पर विकास का काम ५ वर्ष तक नहीं होगा। उस जगह पर सरकार यही कहेगी कि पैसा लेप्स हो गया। आज अपनी भूल सरकार को देखना है। आज एक एक सदस्य अपनी करामात को तोले। श्री जवाहरलाल और महात्मा गांधी की माला के बल से या रुपयों की माला से पब्लिक को नहीं ठगें। हमारे राज्यपाल जितनी बुराइयें थीं उनको स्पष्ट बतला देते तो हमें आज भाषण की आलोचना करने का मौका नहीं आता। मैं जानती हूँ, माननीय उपाध्यक्ष, हमारे राजप्रमुख शासन के बीच में रहते थे और उनके भाषण सीमित होते थे। वे शासन के दल दल में फंसे हुए होते थे इसलिये जो भाषण उनको लिख कर दे दिया जाता था उनको पढ़ना पड़ता था। लेकिन हमारे माननीय राज्यपाल के भाषण से यह पता लगता है कि उन पर भी इस प्रान्त के केबिनेट की हवा पड़ गई है और उसी के आधार पर हमारे सदन के बीच में हमारे राज्यपाल ने एक छोटा सा भाषण पढ़ा है। माननीय उपाध्यक्ष, मुझे एक छोटी सी मिसाल याद आती है। एक मोहर्रम निकल रहा था। उसके मुसलमान इकट्ठे हुए आये थे। मुसलमानों के बीच में एक हिन्दू चला गया और बीच में जाकर देखता है कि वह न तो इधर जा सकता है और न उधर जा सकता है। उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। वह बीच में खड़ा खड़ा देखता है कि मुसलमान लोग कह रहे हैं, 'हाय हुसेन, हाय हुसेन, वह उस समय क्या कहे? वह भी वैसे ही कहे। वह कहने लगा, "आ फंसा आ फंसा, निकलने का रास्ता नहीं रहा"। इसी तरह से राज्यपाल भी इस जाल में आ फंसे हैं और उसके अन्दर हैं। राज्यपाल ने अपने भाषण में एक जगह कहा है कि विकास के कार्यों में पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान है और उनको सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। सरकार ने इस लिए हाल ही में यह निश्चय किया है कि भूमि कर में से एक आना रुपया तक पंचायतों को अनुदान दिया जावे।

क्या हर एक पंचायत में अनुमान लगा सकते हैं माननीय उपाध्यक्ष, ज्यादा से ज्यादा १० हजार रुपये? उसकी आमदनी से कैसे खर्च चल सकता है? और उस पर साल भर में हमारी सरकार ग्राम पंचायतों को ५०० रु० देगी। आज ग्राम पंचायतों में जो पक्षपात और भ्रष्टाचार हो रहा है, वह छुपा नहीं है। एक छोटी सी पंचायत में एम. एल. ए. और मिनिस्टर तक को

[श्रीमती यशोदादेवी]

जाना पड़ता है। अब आप उनको ५०० रु० का लालच दे रहे हैं। मैं यह जानती थी कि हमारे गवर्नर महोदय यह कहेंगे कि हम नये समाज का नारा लगा रहे हैं और निर्माण कर रहे हैं। मैं यह कहूँगी कि पंचायतों को आपको एक आना ही नहीं भूमि कर से जो आमदनी होगी, वह आपको पंचायतों को देनी होगी, आज नहीं तो दो वर्षों के बाद। एक आदमी अपने घर खर्च के लिये खेती करता है उस पर एक पैसा भी कर नहीं लगे। यह व्यवस्था नये समाज की करनी होगी।

(घंटी)

आपकी घंटी बज गई है। मुझे आज्ञा का पालन करना जरूरी है, अतः मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ।

(श्री मानसिंह और श्री मथुरादास के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री ईश्वरीसिंह्— माननीय उपाध्यक्ष, बहुत दिन हुए तमाम आदमियों की आवाज निकल रही है कि मजदूर किसान मजबूत बनें। मगर ये समझ में नही आवे है कर क्या रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष— इनके बाद श्री मथुरादास माथुर बोलेंगे।

श्री ईश्वरीसिंह्— मजदूर किसानों के वास्ते कहते हैं कर रहे हैं मगर के कर रहे हैं? कानून को बहुत बड़ा ऊंचा आदेशों का बनाया है तो काले अठे भाषण देते वक्त बताया मगर मालूम नहीं की ऊंचे कटे जा रहे हैं? किसानों का क्या फायदा कर रहे हैं, बांटा लेते हैं पहले से ज्यादा। मैं यह कहूँगा कि तमाम आदमी कहते हैं कि किसानों की भलाई कर रहे हैं मगर मैं मारे तो सीकर की बात कहूँगा कि सीकर में ४ आना पेली हा वहां पर एक रुपया कर दिया। कहीं १॥) रु० कर दिया। यह फायदा किसानों और मजदूरों को कियो। सारी दुनियां कह रही है कि किसान और मजदूर को फायदा होना चाहिये और उनके लिए अच्छे अच्छे कानून बनाये गये हैं और इनसे किसान और मजदूर बहुत सुखी हो जावेंगे। मगर यह नहीं बताया कि क्या सुखी हो जावेगा। राज्यपाल ने भी कहा। पहले जहां पर एक बैल की निकासी पर १।) रुपया लिया जाता था उसका राजस्थान बनने के बाद और इस गवर्नमेंट बनने यानी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक जोड़ी के १६ रुपये कर दिये। जब १६ रुपयों का विरोध किया तो आपने तीन पैसा रुपया के हिसाब से निकासी कर दिया। एक बैलों की जोडी ५०० रुपये की होती है या ४०० रु० की होती है तो इस हिसाब से २५ रु० या ३० रुपये होते हैं। १६ रुपयों का विरोध कियां तो यह किया। यह सुधार किया?

Page No 59

[श्री ईश्वरीसिंह]

डकैतियें होती हैं यह सभी दुनिया बता रही है। चोरियें भी हो ही रही हैं। मैं यह कहूँगा कि तमाम दुनियां यह कह रही है कि किसान मजदूरों के लिये कानून बनाए जावें जिससे उनको रियायत मिले, मगर एक पैसे की भी किसानों को राहत नहीं दी गई है पेली रा राज्य हा उनसू ४ या ५ गुणा ज्यादा डंड मजूरों और किसानों पर लगा दिये गये हैं।

नौकरी पेशा वालों रो १०० रुपयों में पेट नहीं भरे। रात दिन मंहगाई बढ़ रही है। एक आदमी रे घर में ५ आदमी हैं। मगर सरकार उन्होंने ४५ रु० माहवार दे रही है। ४५ रुपयों में पेट किण तरह सूं भर सके?

तो फिर १६०० रुपया पाण आला और १६ रुपया पाण आला सब एक ही होग्या। अठे तो १६०० रुपया सूं भी पेट नहीं भरे और जो रात दिन खड़ा खड़ा पाग जाता रह उन किसाणां से कहयो जाय कि ४५ रुपया में काम चलाओ। ईमेंहूं कपड़ा भी पहनो, शादी भी करो और दूसरा भी सारा काम करो। तो इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। पहला हजारू चौधरी हा सन सबों ने मार और एक नाथूराम जी मिर्धा ने चौधरी बण दियो वो ही सबां रो गीत गावे...

श्री भैरूंसिंह (१६)—नाथूराम जी को किसानों का चौधरी बना दिया।

श्री ईश्वरीसिंह—तो सरकार कहवे है कि किसानों के वास्ते इतना इतना काम करा है चम्बल आ रही है, भांकडा आ रही है, किसानों के वास्ते फलांनी चीज आ रही है ढिकड़ी चीज आ रही है तो हमें तो देखता देखता आठ बरस हो गया, सुनता सुनता भी घणा टाइम हो गया मगर कांई बात नहीं हुई। हमसे एक सड़क के लिये कहा गया था लेकिन वह सडक एक मील भी कोनी बणी। सालाना लाखों रुपया उजाड़ दिया जाता है। तो मैं भाषण का स्वागत करता मगर मैं विरोध ही करूंगा। ऐसा भाषण को देख दुख तो होता है और होता ही रहेगा लेकिन मैं जानता हूं कि आपने चैन नहीं हुयो होई। चैन तो जब होतो कि जब गरीबां ने सारा फायदा होता। पहलां जो राज्य हुयो वह आज की सरकार से घणों अच्छो हो। पहलां गरीबां को ध्यान ज्यादा दिया जाता मगर अब राज्य धनाड्यो को है। आज जो मेरा साथी है वह तो भूखा मर रिया है और जो पहलां ठाकर लोग हा उनको पूरो पूरो मुआवजो दियो जा रियों है। और उस मुआवजे से वह नौकर भी रखते हैं और आराम से खाते हैं। तो मैं तो आप लोगों से कहता हूं कि इस दशा के अन्दर कदे स्वराज्य नहीं बनना है। स्वराज्य तो जब ही बनना है जब अपनी छाती पर रखोला।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में करीब दो दिन से चर्चा हुई और चर्चा के दौरान में विरोधी दल के नेता और विरोधी दल के कुछ मुखिया लोगों ने भाषण दिए। वैसे श्रीमान् राज्यपाल का भाषण जो इस सदन में प्रथम

[श्री मथुरादास माथुर]
बार हुआ उसमें इस ओर बैठने वाले लोगों को यह आशा थी क्योंकि यह भाषण ऐसे मौके पर हो रहा है कि इस सदन का यह आखिरी जलसा है और तीन महीनों के बाद में इस देश में एक बहुत बड़े पैमाने पर आम चुनाव होने वाले हैं। इसलिए जो कुछ भी भाषण विरोधी दल की तरफ से इस सदन में हुए उन सब में नुक्तेनिगाह यह नहीं रही कि श्रीमान् राज्यपाल का भाषण क्या है बल्कि विरोधी दल के लोगों की नुक्तेनिगाह यह रही है कि हमें यह मौका ढूंढ़ना चाहिए सरकार को और कांग्रेस को बुरा भला कहने का। इसी अन्दाज से यह भाषण हुए। मुझे दुख है कि विरोधी दल के नेता के भाषण से हमें कुछ ऐसी आशा थी कि सही बात को बोलेंगे मगर जब विरोधी दल के नेता इस सदन में खड़े होकर हाउस में बोले तो सदन एकाएक गम्भीर न हो पाया। नहीं तो जब विरोधी दल का नेता इस सदन में खड़ा होकर बोलता है तो सदन के लोग उसे बड़े गौर से सुनते हैं, यह हमारे इस सदन की परम्परा रही है। विरोधी दल के लोग जो कुछ भी कहते हैं उस पर काफी गौर दिया जाता है और हम लोग भी इस बात की कोशिश करते हैं कि हम देखें कि उनकी बातों में कहां तक तथ्य है और अगर उनकी बात सही है तो उसे ठीक किया जाय। दूसरे लोग हैं उनके भाषण भी हमने सुने। मैं अगर विरोधी दल से बोलने वाले लोगों को दो हिस्सों में बांटूं तो अच्छा होगा। मैं उनके भाषणों को दो हिस्सों में बांट देता हूं। एक तरफ वे लोग थे जिनको कि हम राइटिस्ट एलीमेन्ट कहें जो कि समाज को पीछे खींचना चाहते हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो अपने को साम्यवादी कहते हैं और समाज को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं, सभी बातों पर राज्यपाल के अभिभाषण पर जो कुछ भी चर्चायें इस सदन में हुईं उनपर सरकार को भला बुरा कहा गया। मुख्यमन्त्री और अन्य मन्त्रियों को बहुत भला बुरा कहा गया और उसमें नुक्ते-निगाह सिर्फ यह था कि हमें आगे चुनाव में इस तरह यहां पर खींचतान पैदा करनी चाहिए, जिससे हम फायदा उठा सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को कि जो हाउस में पहले कही जा चुकी हैं नहीं दोहराऊंगा। मगर मैं आपके सामने एक चीज बताऊंगा कि मैं एक अखबार कल इण्डियन ऐक्सप्रेस पढ़ रहा था, उसमें मैंने अर्ल एटली के बारे में पढ़ा कि उन्होंने राजस्थान के बारे में क्या लिखा है। वह अभी राजस्थान में आए थे और उन्होंने राजस्थान का दौरा भी किया था। उन्होंने हमारे राजस्थान के कम्युनिटी डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट को भी देखा था और उन्होंने यहां पर हम लोगों से बात चीत भी की थी। उन्होंने राजस्थान के दौरे पर अपने लेख में जो लिखा है उसमें उन्होंने जो बातें कहीं वह एक विदेशी आदमी इस देश में आये और इस देश की सरकार का काम देखे, राजस्थान सरकार का काम देखे, गांवों में जाये और फिर वह नतीजा लगाता है उसकी राय ठीक समझें या विरोधी दल के नेता जो कि भूस्वामी आन्दोलन के नेता भी रहे हैं और अब न जाने कौन से पद पर हैं, उनकी बातों को ठीक मानें या मैं श्री एच० के० व्यास की बातों को ठीक मानूं जिनकी आंखों के आगे हर वक्त विरोधी करना ही रहता है। यह राज्यपाल का पहला भाषण है, हालांकि श्रीमान् राज्यप्रमुख के भाषण तो यहां पर कई बार हुए हैं और चाहे वह कटमोशन्स हों, चाहे बजट पर बहस हो या भाषण पर चर्चा हो हर वक्त उनका एक ही ख्याल रहता है कि कांग्रेस को किस प्रकार से भला बुरा कहें।

[श्री मथुरादास माथुर]

हर काम को नुक्ते निगाह से देखना चाहते हैं और बहुत ही बारीकी से देखना चाहते हैं। लेकिन साथ ही उनके द्वारा तोड़-मरोड़ कर ऐसे फैक्ट्स सामने दिये जाते हैं जो सही नहीं होते हैं। ऐसी बातें कही जाती हैं कि जिनमें कोई तथ्य ही नहीं होता। इस सरकार के जो मुखिया हैं उनके बारे में और साथ ही जो यहां के काम हैं उनके बारे में और जो हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम है उसके बारे में जो उन एटली साहब ने लिखा उसकी आठ दस लाइनें पढ़ कर सुनाता हूं।

श्री भैंरू सिंह(१६)—अखबार पढ़ा हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर—तो फिर मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है ?

कुछ माननीय सदस्य—पढ़ कर ही सुना दो, कईयों ने नहीं पढ़ा होगा।

श्री मथुरादास माथुर—हां सम्भव है कईयों ने नहीं पढ़ा हो इसलिए मैं उसे पढ़कर सुना ही देता हूं :

"Passing the splendid modern teaching hospital and the fine secondary schools for boys and girls, we passed through the picturesque Indian city and then on an elephent..."

I do not want to read the whole of it. Regarding Community Projects he said:

"On our return journey we visited one of the many community projects which all ovder India are transforming the villages. Here a large area was being replanned. The fragmentation of holdings, which is so serious a problem, had been solved by voluntary agreement. Seventy-five per cent of the villagers were members of a co-operative society. We saw seeds being weighed and issued to the members. There was a health clinic with pictures and diagrams inculcating hygienic methods and, of course, a school.

"Motoring back to Delhi for some two hundred miles I could see in the village through which we passed sings of change, new roads and schools, even new houses. New wells were being sunk and farming standards improved. We visited stock-breeding station and were shown the statitics of better milk yield."

......

यह उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के गांवों में जो काम देखा उसके बारे में लिखा है। फिर आगे उन्होंने लिखा है,

[श्री मथुरादास माथुर]

"Rajasthan has a very young but able Chief Minister. ... Generally in India the Ministers, and especially the Chief Ministers, are distinctly aged, a fact deplored by many with whom I have spoken. Rajasthan provides the exception."

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस देश में एक बहुत बड़ा आदमी आवे और वह राजस्थान के बारे में और राजस्थान के मुख्य मंत्री के बारे में कुछ विचार रखे तो वह हमारे लिये गर्व की चीज है। उन्होंने जो कुछ बातें कहीं, कम्युनिटी प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ कहा उसको हम एक तरफ रख देते हैं तो यह ठीक नहीं है। यहां सिर्फ राजनैतिक कारणों से किसी चीज को बुरा कहा जाय, वह आप लोगों के लिये शोभा नहीं देता। मैंने इस चीज का सिर्फ इसलिये उल्लेख किया, इसको रखने से मैं कोई सरकार के मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या इस ओर बैठने वालों के लिये जो एटली ने सार्टिफिकेट दिया है उस तौर पर उल्लेख करूं इससे किसी को महान् समझने का अधिकार नहीं, यह तो मैंने इसलिये रखा कि अगर कोई विरोध किया जाय, क्रिटिसिज्म किया जाय श्रीमान् राज्यपाल के भाषण पर तो उसको सोच-समझ कर और सही जानकारी हासिल करके किया जाय।

हमारे विरोधी दल के नेता ने खास तौर से दो चीजें कहीं हैं, उनके भाषण को सुनकर मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने या तो राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा ही नहीं अगर पढ़ा भी होगा तो समझने की कोशिश नहीं की होगी। उन्होंने खासतौर से दो तरह की चर्चायें कीं, एक तो लॉ एन्ड आर्डर के विषय में उन्होंने काफी बातें कही हैं और यह आरोप भी लगाया कि हम लोग कांग्रेस वाले अपने दल के लोगों को जिताने के लिये चुनाव में डकैतों से काम लेते हैं, यह बात उन्होंने कही। मैं उपाध्यक्ष महोदय, अदब से अर्ज करूं, मैं पुराने इतिहास को दोहराना नहीं चाहता जो आज से एक साल पहले इस सदन में हमें सुनने को मिला था, उस समय जो फिज़ा थी वह फिज़ा मैं वापिस पैदा करना नहीं चाहता। मैं तो यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने इधर बैठने वाले हमारे दल ने कभी भी, किसी भी डकैत से चुनाव में मदद नहीं ली। डकैत वे हैं जो डकैती करते हैं या जिसके खिलाफ डकैती का आरोप हो या जो डकैती के सिलसिले में सजायाफता हों। इस प्रकार का आप एक भी उदाहरण पेश नहीं कर सकते जिसमें हमारे दल के किसी आदमी ने किसी भी डकैत से चुनाव में मदद ली हो।

एक माननीय सदस्य—बलवन्त सिंह।

श्री मथुरादास माथुर—(जारी रखते हुए) आप सांचोर के चुनाव का जिक्र कर रहे हैं और बलवन्तसिंह का नाम लेते हैं। लेकिन आप जिसका नाम लेते हैं वह डकैती के मामले में अदालत से बरी हुए हैं, उन्हें अगर डाकू कहा जाय तो मैं नहीं मानता......

श्री भैरूं सिंह—बरी करवाया गया।

श्री मथुरादास माथुर—(जारी रखते हुए) यह तो मैं नहीं मान सकता कि जुडिशियरी भी इतनी करप्ट हो जो डाकू को बरी कर दे, उस पर तो हमारा कोई अधिकार नहीं।

श्री भैरूंसिंह—प्रोसीक्युशन तो आपके हाथ में है ?

श्री मथुरादास माथुर—आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उस समय तो उस पर मुकदमा चल रहा था, वह बरी नहीं था। मान लीजिये अगर वह बरी भी हो गया और बाहर आकर जनता को यह कहे कि आप कांग्रेस को वोट दो, एक नागरिक के नाते हर कोई यह कह सकता है। जहां एक लाख की कोन्स्टीट्यूएन्सी हो वहां कोई भी नागरिक यह कह सकता है कि फलां पार्टी को वोट दो। मुमकिन है जिन लोगों ने उसको डकैती का काम सिखाया हो उनसे किसी प्रकार उसको असन्तोष हुआ हो और आज असन्तुष्ट व्यक्ति हो उसे खराब और डकैत कहते हों। लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ, कांग्रेस का कभी यह इरादा नहीं रहा है कि वह ऐसे तत्वों से चुनाव में मदद ले। इसके साथ साथ इतना अवश्य कह देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अगले चुनाव में डकैत थे, जिनको पुलिस पकड़ना चाहती थी और जो छिपे हुए थे गढ़ों के अन्दर, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बोर्डर पर जिन्होंने शरण ले रखी थी जो यह चाहते थे कि इस स्टेट में फ्री डेमोक्रेटिक इलेक्शन न हो सकें, जो यह चाहते थे कि यहां प्रजातन्त्र न पनपने पाये, वे ही आज इस तरह की चीज कहते हैं, यह बड़े दुख की बात है। अगर कोई व्यक्ति डकैती के अपराध से बरी हो जाता है और बाद में आकर किसी पार्टी को वोट देने को कहता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। लेकिन आज जिन एन्टी सोशयल एलीमेन्ट्स को पुलिस पकड़ना चाहती है, गिरफ्तार करना चाहती है उनको पनाह देकर, उनको विश्वास में लेकर अगर किसी प्रकार की फिज़ा पैदा की जा सकती है तो वह उधर बैठने वाले दल वाले ही कर सकते हैं, जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा। आज हममें से कई सदस्य ऐसे हैं जो प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के मातहत गिरफ्तार हुए थे किन्तु वे बरी हो गये और आज भी सम्माननीय सदस्य हैं, उनके लिये कोई बुरी बात नहीं, वे चुनाव में भी खड़े हो सकते हैं। मेरे विरोधी दल के नेता को यह ख्याल रखना चाहिये कि इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों पर अगर किसी प्रकार का आरोप लगाते हैं तो वे सोच समझ कर लगायें। अगर वे कांग्रेस की टीका-टिप्पणी करें तो पहले उनको अपना मुख दर्पण में देखकर आना चाहिये। इस प्रकार की बातें कहना कोई अच्छी बात नहीं है।

विरोधी दल के नेता कहते हैं, अगर तनसिंह जी की बात होती तो हम ज्यादा तवज्जुह नहीं देते, किन्तु आज वे विरोधी दल के नेता के पद पर आसीन हैं, अगर वे कोई बात कहते हैं तो हमें उसके लिये सोचना पड़ता है और अगर वे ठीक बातें कहते हैं तो हम उन पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। उन्होंने भाषण देते हुए यह भी कह दिया कि राजस्थान की पुलिस निकम्मी है। हमें इसी पुलिस से काम लेना है, अपने राजनैतिक विरोध के कारण उन्होंने पुलिस के लिये कह दिया कि पुलिस निकम्मी है, उसका कारण उन्होंने यह बताया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती इसलिये उनके ख्याल से निकम्मी है। यह कहां तक ठीक है कि पुलिस जनानखाने

[श्री मथुरादास माथुर]

में नहीं घुस सकी इसलिये पुलिस निकम्मी है। पुलिस के आदमी ऐसे नहीं कि जो बिना इजाजत जनानखाने में घुस सकें, उसके लिये तो जनाना पुलिस की व्यवस्था हुआ करती है। उस समय शायद जनाने पुलिस का इन्तजाम नहीं होगा इसलिये आपको गिरफ्तार नहीं कर सकी....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार—On a point of information, Sir, does the Hon'ble Member mean that the Police did not arrest the Leader of the opposition as a definite policy of courtesy ?

श्री मथुरादास माथुर—No. This is not so. The Leader of the opposition was hiding himself in such a manner that he could not catch the eyes of the Police.

श्री महेन्द्रसिंह—Then it is wrong to say that it was due to courtsey.

श्री मथुरादास माथुर—वह तो महरबानी थी पुलिस की। आपको तो उसके लिए शुक्र-गुजार होना चाहिए था कि आपको पकड़ा नहीं।

श्री तनसिंह—तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी पुलिस डाकुओं और अपराधियों के प्रति महरबान है।

श्री मथुरादास माथुर—यह बात नहीं। जैसा कि कल विरोधी दल के नेता ने कहा था कि मुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती और जनानखाने में पुलिस तलाश करने के लिए नहीं गई; मैं इसका जवाब देते हुए यह अर्ज करना चाहता हूं कि पुलिस यदि आपको गिरफ्तार नहीं कर पाई तो उसके लिए तो आपको पुलिस का शुक्र गुजार होना चाहिये।

श्री महेन्द्रसिंह—सरकार के शुक्र गुजार हैं।

श्री मथुरादासमाथुर—(जारी)वह तो नहीं है। मैं तो अर्ज यहकर रहाथा कि पुलिसको बुरा भला कहना बिना सोचे समझे, यह विरोधी दल के नेता के लिए शोभा नहीं देता। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा और उन्होंने जैसलमेर की एक मिसाल दी कि एक पुलिस अफसर की और उसके जत्थे की एक डकैत से मुठभेड हो गई और उसमें डकैत ने खाली फायर किए और उससे ही पुलिस भाग गई और जिसमें एक डी. एस. पी की मृत्यु हो गई। मेरा खयाल है कि उस पुलिस अफसर के प्रति हमारी सरकार ने पूरी सहानुभूति बतलाई। इत्तफाक से उसमें ऐसा हुआ कि मोर्चा लगाये हुए वह डकैत खड़ा था, उसके हाथ में मोर्चा था, उसके हाथ में राइफल और कारतूस थे। जिसके पास राइफल और कारतूस हो वह पांच पचास आदमी को आसानी से मार सकता है, वैसा ही उसने किया। चूंकि उसके हाथ मोर्चा आया हुआ था, इसमें पुलिस के आदमियों की क्या नाका-

श्री मथुरादास माथुर]

मयाची रही ? पुलिस ने उसका मुकाबला किया इसलिए पुलिस की सराहना करनी चाहिए रात्रि का मौका था और मोर्चा डाकू के हाथ में था फिर भी पुलिस ने मुकाबला किया।

श्री हनुवन्तसिंह—सुबह का टाइम था, यह आप गलत कह रहे हैं कि रात्रि का समय था।

श्री मथुरादास माथुर—(जारी रखते हुए) आप गलती पर हैं शाम का समय था।

श्री हनुवन्तसिंह— मुझे अच्छी तरह से पता है कि शाम के पहले का वाका है ?

श्री मथुरादास माथुर—आपको शायद ध्यान नहीं होगा या आपको जैसलमेर छोड़े हुए काफी अर्सा हो गया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, अदब से यह अर्ज कर रहा था, ऐसी दो-तीन घटनाओं को लेकर एक डकैत के मुकाबले में डी. एस. पी मारा गया, उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना तो दूर रहा उसके लिए पुलिस को नाकाबिल बता दिया, उसके लिए धन्यवाद देना तो अलग रहा, निकम्मी कह देना उचित नहीं है।

श्री तनसिंह—यह आपका व्यू पोईन्ट हो सकता है।

श्री मथुरादास माथुर—उपाध्यक्ष जी, मैं यह अर्ज कर रहा था कि विरोधी दल के नेता ने यह कह कर कि पुलिस निकम्मी है, पुलिस के साथ में न्याय नही किया। जो दलील उन्होंने इसके लिए दी है उससे पुलिस निकम्मी नहीं कहा जा सकती। यह हो सकता है, जैसा कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमारा ७०० मील का बोर्डर है, चम्बल के दर्रे हैं, अरावली पर्वत हैं। ये ऐसी जगहें हैं, जहां इस प्रकार के एलीमेंटस पनाह पाते हैं। हमारी सरहद पाकिस्तान से मिली होने के कारण हमारे यहां से डाके करके डाकू लोग पाकिस्तान चले जाते हैं। आज पाकिस्तान की जो नीति हिन्दुस्तान के प्रति है वह भी हमारे इन तत्वों को पनाह देने का कारण है। मैं बड़े अदब से उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज करूंगा कि लॉ एएड ऑर्डर के विषय में सुधार हुआ है तथा और भी सुधार होना चाहिए। अगले तीन महीनों में और बिगड़ने का खतरा है। यह सब बातें ठीक हैं. पर इनको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, यह कहना चाहिए था कि पुलिस की संख्या बढ़ाई जावे, उनको ज्यादा मदद दी जावे। अगर ऐसा विरोधी दल के नेता कहते तो ज्यादा उचित होता। उनकी आलोचना तो कन्स्ट्रक्टिव होनी चाहिए।

जागीर समस्या के बारे में खास तौरसे उन्होंने जिक्र किया। मैं मानता हूं कि उनके दृष्टिकोण में और सरकार के दृष्टिकोणमे काफी फर्क रहा है, नीति का विरोध हो सकता है। उनका विचार है कि हमारे यहां पर जागीरें कायम रहनी चाहिये, कमसे कम छोटी तो रहनी चाहिये, जब कि हम लोगोंका यह मत है कि इस प्रजातन्त्र के युगमें एक पैसे की जागीर भी नहीं रह सकती। अब यह मतभेद हो सकता

[श्री मथुरादास माथुर]

है। वे जागीरें कायम रखने के लिये आन्दोलन कर सकते हैं, जैसा उन्होने किया भी है और हम अपनी नीति को कार्यान्वित करने के लिये अपने प्रयत्न कर सकते हैं। तो यह बात तो समझ में आ सकती है। पर यह समझ में नहीं आता कि जो खुदकाश्त की जमीन भोमियों को देने की बात कही गई उससे लेने से उनको इन्कार करना, कम्पेन्सेशन के फॉर्म भरने की बात आए तो उसके लिये कहना कि ये फॉर्म मत भरो। मैं मानता हूं कि जब किसी का जरिया छीना जाता है तो उनकी स्थिति खराब हो जाती है। उनकी मदद करनी चाहिये और सरकार इसके लिए तैयार भी है। हमारी भी सहानुभूति उन भूस्वामियों के साथ है। उनमें हजारों की संख्या में मध्यम श्रेणी के आदमी हैं। दो सौ और पांच सौ के पाने वाले जो हैं वे भी मध्यम श्रेणी के हैं और हजार रुपया पाने वाले भी मध्यम श्रेणी के हैं। हमारी सहानुभूति उनके साथ है। पर इस तरह से कम्पेन्सेशन के फोर्म भरने से मना करके, मैं तो यह कहूंगा कि हमारे विरोधी दल के नेता ने और उनके साथियों ने उन भूस्वामियों को गुमराह किया है। वे क्लेम जान बूझ कर नहीं भरते, हम मयाद पर मयाद बढ़ाते चले जा रहे हैं, पर वे नहीं भरने देते। हम लाइजन ऑफिसर मुकर्रर करते हैं, पर वे मना करते हैं तो इस तरह से वे गुमराह करते हैं और उनके कारण ही उनकी स्थिति बद से बदतर हो रही है, इसके जिम्मेदार वे हैं, हम नहीं हैं, सरकार नहीं है। हमने एक कमेटी बनाई, नेताओं को निमंत्रण दिया। पर अब नेता कौन ? वक्त पर नेता बदल जाते हैं तो यह हमारे हाथ की बात नहीं। आज तनसिंहजी हैं, कल उनके खिलाफ भी अविश्वास का प्रस्ताव आ जाता है तो इसका हम क्या करें ? इसका दोष हमारा या सरकार का नहीं है। फिर भी कमेटी बनाने का वायदा किया, कमेटी बनाई पर समय पर आते नहीं, उसमें सहयोग करते नहीं। तो लोगों को इस तरह से तबाह करना, गुमराह करना उनको उचित नहीं लगता। भूस्वामी संघ ने उनका हित तो किया होगा तो किया होगा पर इन छोटे जागीदारों के प्रति काफी बड़ा अन्याय किया है, यह मेरी धारणा है। इसलिये मैं अपने विरोधी दल के साथियों से, भूस्वामियों से और खास तौर पर तनसिंहजी से अर्ज करूंगा, वे नवयुवक हैं, हमें देश की हवा को समझना चाहिये। अगर राजस्थान सरकार में बैठकर सुखाड़ियाजी भी आज यह चाहें कि इस प्रश्न पर कोई समझौता वे कर लें और दो हजार की जागीर भी कायम करना चाहें तो सुखाडियाजी भी नहीं कर सकते, वे फिर भी रह सकते हैं पर जागीरें तो कतई नहीं रह सकती। ये दीवाल के अक्षर तनसिंहजी और हम भी सभी पढ़ सकते हैं। आज समय का तकाजा है, उसके सामने सबको झुकना होगा। आज के युग में ये फ्यूडल सिस्टम के अवशेष, जागीरें एक पैसे की नहीं रह सकतीं। तो उनको समझना चाहिए वे नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, युग किधर जा रहा है, इसको समझना चाहिये और भूस्वामी संघ के नेता की हैसियत से वे उनको ऐसा रास्ता बतावें कि जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधरे। पर इसके विपरीत वे उनको गुमराह कर रहे हैं। जिससे उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो यह सब हो रहा है उनके स्वयं के कारनामों से और इसका भागी हमें बना रहे हैं वे। वे अगर यह सोचें कि सरकार बदल जायेगा तो मैं कहता हूं कि सरकार कायम

[श्री मथुरादास माथुर]

रहेगी कांग्रेस की। मुआवजा अगर वे लेंगे तो यह उनके हित में ही होगा। हम चाहते हैं कि उनको मुआवजा मिले। अभी अभी अजमेर से आये एक साथी ने कहा भी है, हमने नहीं कहा है, आपके साथियों में से कहा गया है कि राजस्थान में जो बर्ताव जागीरदारों के साथ किया गया है वैसा बरताव हमारे साथ करो। मैं और भी कहता हूँ कि मध्यभारत से हमारी हालत अच्छी है, पेप्सू से भी अच्छी है और भी हर जगह से यहां की स्थिति बड़ी अच्छी है। हमने सबसे अधिक रिआयत की है। तो इसका फायदा, नाजायज फायदा विरोधी दल के नेता उठाने का कष्ट न करें।

(घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय की तरफ आप इशारा करना चाहते हैं। मैं चूंकि विरोधी दल के नेता का जवाब देना चाहता हूं इसलिये भी पांच मिनिट तो औरों से मुझे ज्यादा मिलने चाहिये।

इसके अलावा बाकी विरोधी दल के नेता की स्पीच में कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसका मुझे कोई उत्तर देने को सोचना पड़े। यह ठीक है कि तीन करोड़ रुपया तीन घंटे में वसूल हो गया। अब उन्होंने कहा कि यह कैसे हो गया, तो मेरा कहना यह है कि यह तो जादू का खेल है, जो हो ही जाता है। सब जगह होता है। यह तो सरकार की सोलवेन्सी पर होता है।

इसके अलावा विरोधी दल में जो लेफ्टिस्ट एलीमेंट हैं उसने और उसमें भी खास तौर से एच० के० व्यास ने जागीर रिज़म्पशन, लैण्ड रिफोर्म्स और सीलिंग के बारे में कई बातें कहीं। सीलिंग कमेटी के बारे में उन्होंने खास तौर से कहा, खुदकाश्त की डेफीनिशन के बारे में भी कहा। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक फर्स्ट प्लान में लैण्ड रिफोर्म्स की चर्चा की गई है उनको हमने और इस असेम्बली ने भी कानूनों के द्वारा पूरा किया है।

इसके बाद सीलिंग की बात रह जाती है। मैं कह देता हूं कि इस प्रश्न पर देश में दो मत-भेद थे। इसकी फर्स्ट प्लान में भी चर्चा की गई थी। लोग चाहते थे कि यह सख्त हो, कुछ चाहते थे कि नरम रहे और अल्टीमेटली दूसरे प्लान में यह तय हुआ कि सीलिंग कायम होना चाहिये। पर इसके कुछ एग्ज़ेम्पशन्स भी उन्होंने सुझाये हैं, जैसे मैकेनाइज्ड फार्मिंग, सी फार्मिंग आदि के लिये सीलिंग में रियायतें होनी चाहिये, तो अब हम इन सुझावों के बैकग्राउन्ड में यह भी करेंगे। राजस्थान में पहली योजना के समय ही एक सिलिंग कमेटी कायम हो गई थी। मैं भी उसका एक मेम्बर हूं। हमने सारे प्रान्त का दौरा भी किया। हमने एक रिपोर्ट भी तैयार कर दी, पर इस दूसरी प्लान में सुझाये गये तरीकों के अनुसर हमें अब उसमें भी चेन्ज करना होगा। इसलिये वापिस हमें अपनी उस रिपोर्ट को देखना होगा। मैं आपको बता दूं कि उसकी अगली मीटिंग इसी १५ तारीख को होने वाली भी है।

[श्री मथुरादास माथुर]

इसको लेकर यह कहना कि चुनाव आ रहे हैं इसलिये इसको खत्ते में डाल दिया तो मैं कहता हूं, इसका चुनाव से क्या सम्बन्ध ? इसका असर तो बडे बडे जागीरदारों पर पडने वाला है और उनसे कोई हमें वोट मिलेंगे इसकी आशा हमें नहीं है। वे तो आज भी हमारे विरुद्ध हैं, वे आज भी हमें वोट देने वाले नहीं हैं। इतना तो एच. के. खुद समझते हैं और आप भी समझते हैं। इसलिये इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है और फिर हरेक चीज को वोट से तोलना, कहां तक जायज होगा, यह तो कॉमरेड एच० के० खुद ही सोच सकते हैं।

यह भी कहा गया कि खुदकाश्त की डेफीनिशन को बदल दिया। अजीब मुसीबत है। इस पर टीनेन्सी एक्ट पर हुई बहस के वक्त काफी वाद-विवाद हुआ। मेरा ख्याल है कि इस पक्ष के साथ बडा जोर दिया गया कि खुदकाश्त की डेफीनेशन यह होनी चाहिये और उन लोगों के काफी कहने सुनने के बाद इसको लिबरल कराया गया। आखिर यह डेमोक्रेसी है। सबका ख्याल करना पडता है। एक केवल एच. के. के कहने से ही एस्टीमेट नहीं कर सकते।

राजस्थान सरकार ने लैण्ड रिफार्म्स कमीशन मुकर्रर कर रखा है। इसमें सब टीनेन्सी आदि पर विचार होगा तो इस पर भी विचार हो जावेगा, जो बाकी रह गई है। फिर मैं पूछूं हिन्दुस्तान में खुदकाश्त की डेफीनिशन किस राज्य ने इस तरह से एक्सेप्ट कर ली है। किसी का नाम तो आप बताएं कि जिससे हम पीछे रह गये हों। हम इसको भी मन्जूर करेंगे वक्त आते ही। आप बेफिक्र रहिये, इसे भी कानून के रूप में अमल में ले लिया जावेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कह देना चाहता हूं कि खास तौर से अजमेर के साथियों ने बहुत सी बातें कही हैं। खास तौर से इन्टीग्रेशन की वजह से जो डिफीकल्टीज़ हुई हैं उनके बारे में मैं नहीं जबाब दूंगा, इन्टीग्रेशन का जबाब मुख्य मन्त्री जी देंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब राजस्थान बना था तो उस वक्त भी डिफीकल्टीज़ हुई थीं। मैं भी एक छोटी रियासत जोधपुर का रहने वाला हूं और हमारे ऑफीसर्स यहां आये तो उनको तकलीफ हुई। एक घर से दूसरे घर में जाते हैं तो जरा तकलीफ होती ही है। मैं सुझाव दूंगा मुख्य मन्त्री महोदय को, अगर मकानों की कमी है और लैंड लोर्डस आर्बिट्रेरी रेन्ट मांग रहे हैं तो जिस प्रकार से रियासतों का एकीकरण हुआ था और लोगों के लिए यहां के मकानों का रिक्वीज़िशन किया था उसी तरह से रिक्वीज़िशन कर लें, रेन्ट कायम कर दें और उन मकानों को अधिकारियों को अलॉट कर दें। अगर वाकई मकानों की कमी है तो उन अजमेर से आए कर्मचारियों के लिए, अहलकारों के लिये, अधिकारियों के लिए मकान रिक्वीजिशन करके उनको अलाट कर दें।

(करतल-ध्वनि)

[श्री मथुरा दास माथुर]

तनख्वाहों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हूं, लेकिन जो लोग आते हैं वे कहते हैं कि तनख्वाह कम है, अथवा ओफिशियेटिंग थे, लेकिन यहां उस पर ही फिक्स होना चाहते हैं, उनकी आड में सब्स्टेन्टिव को भी नहीं भूल जाना चाहिए, २००) मिलते थे तो नहीं मिलेंगे। अजमेर सरकार ने इन्फलेटेड रूप से तनख्वाहें बढा दीं, वे यहां मिलनी कठिन होंगी। सबस्टेन्शियली जो तनख्वाह थी उसमें कोई कमी नहीं होगी। होगी तो कोर्ट में अपील हो सकती है। लेकिन सबस्टेन्टिव तो एस. डी. ओ. और बन गये ओफिशियेटिंग या एडीशनल मजिस्ट्रेट तो उसके लिये जरूर सवाल आ सकता है। हमारे यहां के लोग भी कहेंगे कि हमको नहीं बना रहे हो, हम एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट हैं। हमको दुख है कि आपको घर छोड़ कर यहां आने से तकलीफ हुई। आप थोडे दिनों के बाद इसको भूल जावेंगे। पहले नए घर में जाने में तकलीफ होती है, लेकिन फिर घर की घरयाणी ही बन जाती है।

[हंसी]

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के इस छोटे से अभिभाषण में पोलिसी बताई गई है। भाषण छोटा है जरूर, इसमें आंकडे नहीं दिये गये हैं और राज्यपाल महोदय का यहां आंकडे देने का काम नहीं है, वे तो पोलिसी स्टेटमेंट को पढ देते हैं। उन्होंने उसको पढ दिया। इस सम्बन्ध में आपको देखना पडेगा, राजस्थान सरकार की इस सम्बन्ध में जो वेरियस रिपोर्ट्स हैं उनको। विरोधी दल के नेता ने कहा इसलिये मैं बैठ जाता हूं? आपको कोई मना नहीं करता। शुक्रिया। आप इस अभिभाषण को उन रिपोर्ट्स के साथ पढ़ेंगे तब ही पता चल सकता है। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भैरोंसिंह(१६)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर कल से जो बहस चल रही है और उस बहस में सत्तारूढ दल के संसदीय दल के मन्त्री व मुख्य सचेतक के जो भाषण हुए उनसे कुछ, उपाध्यक्ष महोदय, सदन में इस प्रकार का वातावरण बना है कि जिस वातावरण के कारण राज्यपाल को धन्यवाद दिया जाय, यह कुछ आवश्यक सा लगता है। अब तक मुख्य सचेतक महोदय ने सबसे पहले सुरक्षा की बात को अपने सामने रख कर जो पुलिस की तारीफ की मैं उसके लिए उनको अवश्य बधाई दूंगा। यह पुलिस की तारीफ यदि और कोई आदमी करता तो निस्संदेह उसके बारे में कुछ सोचने का अवकाश मिलता लेकिन मुख्य सचेतक महोदय पुलिस की तारीफ करें, अवश्य करनी चाहिये, वे पुलिस के कृतज्ञ हैं। पुलिस ने उनके ऊपर अहसान किया है और यदि अहसान नहीं किया होता तो मैं समझता हूं कि वे आज इस सदन में नहीं मिलते, बल्कि और ही किसी दूसरी जगह पर उनको ढूंढना पडता।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

[श्री भैरुसिंह]

और यही हाल, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनके पीछे जो माननीय सदस्य बैठे हैं उनका भी होता और तीसरे माननीय सदस्य ने तारीफ की पुलिस की, जो अपने आपको कांग्रेसी दल के मन्त्री कहते हैं। उनको ही नहीं उनके कई रिश्तेदारों को जेल के सींखचे में देखने का मौका मिलता। जरूर करनी चाहिए उनको तारीफ पुलिस की और आयन्दा भी ऐसा करिये...

श्री **मथुरादास माथुर**—आपको भी करना चाहिए क्योंकि आप भी उस विभाग के नौकर रह चुके हैं।

श्री **भैरोंसिंह**—मैं समझता हूँ कि अभी तक माननीय सदस्य को यह आभास नहीं हुआ कि पुलिस ने उन पर क्या अहसान किये ? मैं चाहूंगा उनकी जानकारी दूं। अगर राजस्थान में ईमानदार सरकार होती, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इमानदार होता और शासन चलाने वाली सरकार इमानदार और मजबूत आदमियों के हाथों में होती तो जब उनकी जीवनसिंह से मुलाकात हो रही थी, जब उनकी जीवनसिंह डाकू से बातचीत हो रही थी उसी समय मुख्य सचेतक, जीवनसिंह और सदस्य दोनों जेल के सीखचों में होते...

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री **मथुरादास माथुर**—उपाध्यक्ष महोदय, इसको मुझे क्लियर करने का मौका दिया जाय।

On a point of explanation, Sir, I was sent to meet Jeewan Singh with the Government Order, with the D. I. G. P., Supdt. Police and therefore the charge is baseless.

श्री **भैरूंसिंह**—मैंने पहले ही कह दिया कि यदि ईमानदार सरकार होती, यदि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह चलाने वाली सरकार होती तो मैं समझता हूं कि आपको वहां भेजती। डी०आई०जी०पी०, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस वहां जाते, जीवनसिंह डाकू से मिलने के लिए बल्कि डी०आई०जी०पी, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और मुख्य सचेतक तीनों को गिरफ्तार कर लाती। आप अहसान मानते हैं पुलिस का, आपको वह अहसान नहीं भूलना चाहिये और अहसान मानते हुए ही उसकी तारीफ भी करनी चाहिए।

मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य खूब आवेश में, जैसे तथ्यों के भंडार हों, यह कह गये कि कुछ ने पिछले इलेक्शन में डाकुओं से सांठ-गांठ करके इलेक्शन जीत लिया, राजस्थान में आज भी वे तत्व हैं और उन तत्वों का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बताऊं कि वे तत्व उनके ख्याल से विरोधी दल में थे, वे तत्व धीरे-धीरे,

[श्री भैंरूंसिंह]

धीरे धीरे ही नहीं, मैं यह कह सकता हूं कि विरोधी दल में किसी प्रकार के तत्व न रह कर पूर्ण रूपेण वे तत्व उनके साथ मिल गये हैं।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

मैं उनकी जानकारी के लिए बताऊं कि ३०-१०-५६ को पलाड़ा में जहां उनकी रिश्तेदारी है, मैं समझता हूं वे इससे इनकार नहीं करेंगे, इसी ३०.१०.५६ को पलाड़ा में जहां उनकी रिश्तेदारी है, उन रिश्तेदारों के यहां ४ डाकुओं को पकड़ा गया है और डाकुओं को तो गिरफ्तार किया है लेकिन उनके रिश्तेदार मौज कर रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बेबुनियाद बातें सदन में नहीं होनी चाहिए। मेरा कोई रिश्तेदार वहां नहीं है और न ही पकड़ा गया है।

श्री भैंरूसिंह—मैं इसको स्पष्ट कर दूं। आप बताइये कि पलाड़ा में आपकी कोई रिश्तेदारी है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—कोई रिश्तेदार नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह—रामनिवासजी मिर्धा की शादी किस जगह हुई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—पलाड़ा में रामनिवासजी की कोई रिश्तेदारी नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह—पलाड़ा में है।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बे-सिर पैर की बातें सदन में नहीं होनी चाहिए।

श्री भैंरूंसिंह—मैं एक चीज़ रख रहा हूं। अगर नहीं है तो आप इनकार करते जाइये।

पलाड़ा में इनके रिश्तेदार हैं, गिरधरलालजी है, उनके काके श्वसुर हैं। उनके यहां ४ डाकुओं को ३०-१०-५६ को गिरफ्तार किया गया, खोजिये कुचामन से आये थे। उनको कुचामन ले गये। चार बजे उनको गिरफ्तार किया और अब तक उस व्यक्ति को जिसने उन डाकुओं को पनाह दी है, उसको पनाह देने के मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। यह मेरा आरोप है। आपके दिल में तो मैं समझता हूं इन्फोर्मेशन है और अगर आप बाहरी इन्फोर्मेशन लेना चाहें तो

[श्री भैरूंसिंह]

यह लेलें। आप आज कहते हैं कि रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि रिश्तेदार हैं और इस वक्त आप भूल गये हैं।

अब आरोप था, माननीय उपाध्यक्ष, दो मित्रों ने आरोप लगाया था, इसलिए मुझे मजबूर होकर यह बताना पड़ा है कि यह तत्व विरोधियों में नहीं है बल्कि यह तत्व सत्तारूढ़ दल में धीरे धीरे पनप रहे हैं। आज के अखबार नहीं, अगर दो सालों के समाचार पत्रों को पढ़ें और उन समाचार पत्रों में जनता की भावनाएं जिस प्रकार से व्यक्त की गई हैं उन चीजों को पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा आभास होता है कि यदि किसी ने सत्तारूढ़ दल में कोई पद प्राप्त कर लिया, उसके बाद में डकैतों से सांठ-गांठ कर ले और लडके उडवाने का यदि काम कर ले, चोरी करवाने में यदि कोई भाग ले ले तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से कम्युनिस्टी प्रोजेक्ट्स के लिये श्रीमान क्लीमेन्ट एटली का सर्टीफिकेट हो उसी प्रकार से कांग्रेस में रहने के कारण सर्टीफिकेट प्राप्त हो जाता है, और उसके कारण से, माननीय उपाध्यक्ष, सारी दुनिया के विरोध के बावजूद, सारी पुलिस के जितने भी इन्टैलीजेन्स आफिसर्स थे उनकी रिपोर्ट के बावजूद, जो चुरू की अदालत में गवाहान ने बयान दिये हैं उनमें भूतपूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री के ऊपर जो आरोप लगाये, राजगढ़ से सूरजभान लड़के को उड़ाने का, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह सबजुडिस केस है, उसके बारे में जिक्र नहीं होना चाहिए। There should be no talkes when the case is sub-judice. उनके ऊपर एलिगेशन का मामला भी कोर्ट मे चल रहा है। It is improper if this is talked in this House.

श्री भैरूंसिंह—यदि आप आगे सुनते तो यह कहने की आवश्यकता ही नहीं पडती। मैं कोर्ट के बारे में नहीं कह रहा हूं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार—On a point of information, Sir, whether this is a fact that there was such an allegation.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—'Whether it is a fact' this is sub-judice.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार—I want to know whether this is a fact that such an allegation was there and the Court is enquiring into the fact whether this allegation is correct or not ?

श्री भैरूंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है, जैसा कि माननीय मन्त्रीजी ने कहा कि कोर्ट इस बात की जांच कर रही है कि आया यह मामला सही है या गलत। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जांच कर रही है अगर कोई, तो निश्चित रूप से यह बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जिन

[श्री भैरूंसिंह]

मुल्जिमों की जांच कर रही है उनमें इनका नाम नहीं है। उनमें यदि इनका नाम होता तो निश्चित रूप से समझता कि सबजुडिस है केस।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—श्री कुम्भाराम पर कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाये हैं और वह मामला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। वह "लड़का उड़ाने" की घटना भी कोर्ट में पेंडिंग है, सबजुडिस है। इसलिए वह एलिगेशन वाला मामला यहां हाउस में लाना ठीक नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने यह बात कही है, मैं समझता हूं कि यह नई जानकारी है कि माननीय भूतपूर्व स्वायत्त शासन मन्त्रीजी पर जो आरोप लगाये गये हैं उनकी अदालत में जांच हो रही है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस एन्क्वायरी ऑफिसर ने सारे मामले की जांच की है उस एन्क्वायरी ऑफिसर ने अपनी तफतीश की फाइल में जो चार्ज शीट तैयार की है उसमें उसने भूतपूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री पर चार्जेज़ लेड डाउन किये हैं और उसके बाद में उच्चाधिकारियों से दरख्वास्त की है (घंटी) कि इनको गिरफ्तार करने का मौका दिया जाय।

(घंटी)

गिरफ्तार नहीं होंगे घंटी क्यों बजाते हैं ?

(हंसी)

तो मैं यह कह रहा हूं कि यदि इन कारणों के आधार पर पुलिस की तारीफ की जाती है।...

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Deputy Speaker, Sir, I challange the statement made by the Hon'ble speaker that there is such a thing in the Police Department, in which Mr. Kumbha R am has been involved. It is absolutely wrong and I challenge the statement, and I would request you to appeal to the Hon'ble speaker that he must think twice before he says. If he has got guts. I had challenged him last time also. Here he can say anything because he has got the protection of the House.

श्री भैरूंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय सचेतक महोदय माणक चौक पर एक मीटिंग कन्वीन करें तो यही शब्द मैं वहां कहने को तैयार हूं। (हंसी) एक तो श्री रामनारायण के खिलाफ.......

श्री मथुरादास माथुर—You make a press statement outside this House and we will see whether it is a fact or not. I cannot call a meeting for it. You may yourself call.

श्री उपाध्यक्ष—भाषण के बारे में ही जो क्रिटिसिज्म हों, आलोचनाएं हों उन पर ही बोला जाय और व्यक्तिगत चार्जेज़ या ऐसे रेफ्रेन्सेज़ नहीं होने चाहिए।

श्री भैंरूंसिंह—मैं बिल्कुल ही नहीं कहने वाला था, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन पुलिस की तारीफ हो गई इसलिए मजबूरन अर्ज यह करना पड़ा और तारीफ भी ऐसे लोगों से हो गई जिनके पुलिस पर अहसान थे।

श्री मथुरादास माथुर—I hope this matter has been discussed in this House and the Home Minister has already made a statement, and even after the Hon'ble Member presses this thing, then, of course I expect a protection from you. The Statement was made by the Home Minister, तो हमको मान लेना चाहिए। उस पर बहस हो चुकी है और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट हो चुका है।

श्री भैंरूंसिंह—मैं जानता हूँ कि मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट हो चुका है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूरी नहीं है कि होम मिनिस्टर साहब जो कुछ कहें उसके बाद भी हमें संतोष हो जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—यह आलोचना अनावश्यक है। जिन बातों पर पहले बहस हो चुकी है वे न कहीं जायं।

श्री भैंरूंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, खैर उनका गुस्सा होना जरूरी है और गुस्से में वे खुद ही एक्सपोज़ हुए हैं। जो बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी वह उन्होंने स्वयं ही कह दी। मुझे सन्तोष है इस बात पर कि वह शायद अब भूलकर भी पुलिस की तारीफ नहीं करेंगे।

(हंसी)

लेकिन दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने आती है जागीर रिज़म्शन की। जागीर रिज़म्शन की बात को लेकर उन्होंने भूस्वामी संघ की आड़ में, मुझे आज इस बात की खुशी है, उन्होंने एक बात स्वीकार करली। उन्होंने यह कह दिया कि छोटे जागीरदारों में असन्तोष है और वह असन्तोष इस कारण से है कि भूस्वामी संघ ने उनको ऐसी प्रेरणा दी है कि मुआवजे के फोर्म मत भरो, खुदकाश्त के फोर्म मत भरो, मुआवजा लेने के लिए जो कार्यवाही होती है वह मत करो, यह उनके कारण से सारा हुआ। लेकिन भूस्वामी संघ और सरकार या भूस्वामी संघ के नेता और सरकार और सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही, माननीय उपाध्यक्ष, ये तीनों अलग २ हैं। सरकार केवल यह कहकर कि भूस्वामी संघ ने ऐसा काम किया, जो कुछ भी कार्यवाही हुई वह भूस्वामी संघ के कारण से हुई है, सरकार की कोई इसमें जिम्मेवारी नहीं है, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बात माननीय सचेतक के द्वारा बिल्कुल ही शोभाजनक नहीं है। उनको चाहिए था कि भूस्वामी संघ के कारण से कोई गड़बड़ होती है या किसी भी व्यक्ति के कारण से कोई गड़बड़ी होती है, लेकिन

[श्री भैंरू सिंह]

यदि छोटे जागीरदारों में किसी प्रकार का असन्तोष है, वह अपने आपको किसी भी प्रकार से ठीक मार्ग पर चलते हुए, बसे हुए नहीं पाते हैं तो ऐसी सूचना गवर्नमेंट के पास होते हुए भी क्या सरकार की यह ड्यूटी नहीं है कि उनको बसाये ?

उनको बसाने की चेष्टा करें। यह कह देना कि आज के युग में जागीरदारी को कोई पसन्द नहीं करता और भूस्वामी संघ जागीरदारी को रखना चाहता है जो ठीक नहीं है। भूस्वामी संघ सबको बहका रहा है और उनको कह रहा है कि कम्पेन्सेशन के फोर्म मत भरो, अगर भर दोगे तो जागीर रह नहीं पायेगी। मैं खुद मानता हूँ और इस बात की ताईद करता हूँ कि आज के युग में जागीरें नहीं रह सकतीं। यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं जागीर रखना चाहें तो भी नहीं रख सकते। लेकिन वे जमींदारी रख सकते हैं। आज का युग इस बात की भी मांग करता है कि जमींदारी खत्म हो। केवल आज ही नहीं बल्कि विधान सभा में जब भी मौका आया, लोगों ने मांग की है कि जमींदारी को खत्म किया जाय और इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेट ट्रीटमेन्ट नहीं होना चाहिये। आप जागीरदारी खत्म करना चाहते हैं तो उसे खत्म करें। इससे इन्कार करने वाले इन्कार करके रह जायेंगे, लेकिन यदि प्रगतिशील कार्य के लिये कदम उठाना है, जिससे फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलनेवाला है तो ऐसा कदम जरूर उठाना चाहिये। लेकिन उन्होंने यह भी मांग की थी कि जमींदारी से भी लोगों का शोषण होता है इसलिये उसकी भी समाप्ति होनी चाहिये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जमींदारी इसलिये खत्म नहीं होती है कि कुछ लोगों का इसमें वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत तौर से मुरब्बे खरीदे हैं। वे लोग दूसरों से काश्त कराते हैं और लगान लेते हैं। वे लोग नहीं चाहते कि उनकी जमीन दूसरों के हाथ में चली जाय। आप कहते हैं कि जागीरदारी नहीं रह सकती। यही बात हम भी कहते हैं और हम जागीरदारी रखने की उम्मीद नहीं रखते हैं। लेकिन अच्छा होता यदि राज्यपाल महोदय अपने भाषण में यह कहते कि जमींदारी नहीं रहेगी तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि गंगानगर में एक भी जमींदार नहीं रह पायगा और भरतपुर के जमींदार और बिस्वेदार.................

श्री मथुरादास माथुर— गंगानगर में एक इन्च भी जमींदारी नहीं है। यह शायद आपको मालूम नहीं है।

श्री भैंरू सिंह—मुझे सब मालूम है।

श्री मथुरादास माथुर— आपको कुछ भी मालूम नहीं है कि वहां कैसी जमीन है He does not know what the land of Rajasthan is ?

श्री नाथूराम मिर्धा— × × × ×

श्री भैंरू सिंह— उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल अनपार्लियामेन्टरी शब्द हैं इन्हें प्रोसिडिंग्ज़ में से निकाल दिया जाना चाहिये।

× × × × श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य-विवरण में से हटाये गये।

श्री वेदपाल त्यागी—It must be expunged.

श्री नाथूराम मिर्धा— मैंने लाउड स्पीकर में नहीं कहा।

श्री वेदपाल त्यागी—It was audible to us and we would like to expunge his word.

श्री उपाध्यक्ष— विदड्रॉ करने चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा—मैंने तो 'बोलना' कहा था उन्होंने × × × × समझा।

श्री भैंरूसिंह—यह बिल्कुल झूठी बात है। × × × × जो मंत्री रह चुके हैं वे इस तरह की बात कहते हैं।

(शेम –शेम)

एक माननीय सदस्य—यह प्रोसिडिंग्ज़ में तो आयगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—आया हो और रेकार्ड में हो तो हटा दें।

श्री तनसिंह—वापिस लेना तो होगा ही, लेकिन बिना सोचे समझे इस तरह से बोललें तो क्या यह वाजिब है ? वे इन शब्दों को वापिस लें। सदन की प्रतिष्ठा को भंग करने का प्रयत्न एक बार नहीं अनेक बार हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर—हमारी मारवाड़ी में फिजूल बोलने को × × × × कहते हैं। यदि कोई फिजूल बोल रहा है और उसको × × × × कह दिया तो क्या हो गया ?

श्री वेदपाल त्यागी— आप ये मारवाड़ में बोलें तो अच्छा हो। लेकिन यह राजस्थान है।

श्री मथुरादास माथुर—राजस्थान में मारवाड़ी बोल सकते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—मैं चेलेन्ज करता हूँ कि 'फिजूल बोलने' को × × × × नहीं कहते।

× × × × श्री अध्यक्ष जी आज्ञा से कार्य-विवरण में से हटाये गये।

श्री मथुरादास माथुर—मैं चेलेन्ज करता हूं, मारवाड़ी में 'फिजूल बोलने' को × × × × कहते हैं।

श्री भैरू सिंह—मुख्य सचेतक महोदय ने × × × × पार्लियामेन्ट्री शब्द कहा है......

श्री मथुरादास माथुर—मैं पार्लियामेन्ट्री नहीं कहता, लेकिन यह कहता हूं कि मारवाड़ी में 'फिजूल बोलने' को × × × × कहते हैं।

श्री भैरू सिंह—मारवाड़ी होने के नाते कई बात पार्लियामेन्ट्री हो जायेंगी जिससे चिढ़ कर वे दूर भागेंगे। मारवाड़ी मैं भी जानता हूं।

ठा. माधोसिंह भैंसवाडा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा श्री नाथूरामजी से निवेदन करूंगा कि इससे सदन में अच्छी परंपरा नहीं रहेगी, × × × × मिटाने के लिये वे अपने शब्दों को वापिस लेलें तो अच्छा होगा।

(हियर, हियर)

श्री मथुरादास माथुर—उन्होंने × × × × लफ्ज कह दिया। इसे भी वापिस लेना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा—मैंने वह सिर्फ, जो बिना फेक्ट्स के बातें कह रहे थे, उसके लिये कहा था कि बिना फेक्ट्स के कह रहे हैं। मेरा यही मतलब था जो मैं कहना चाहता था।

श्री भैरू सिंह—यह प्रश्न तो जटिल रह गया।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने जो स्टेटमेन्ट अपने सम्बन्ध में दिया है उसे मान लेना चाहिये।

श्री भैरू सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने यह फरमाया कि उन्होंने × × × × 'बकना' शब्द का इस्तेमाल किया है और यह आदेश दिया कि प्रोसिडिंग्ज़ में यह शब्द आया हो तो निकाल दिया जाय। अब प्रश्न यह है कि उन्होंने यह शब्द कहा है, इसलिये वापिस लिया जाय। सदन की परंपरा निभाने के लिये और सदन की शोभा के लिये वापिस लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मारवाड़ी प्रयोग ....

श्री भैरू सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मारवाड़ी शब्दों का मैं भी प्रयोग करूं तो अच्छा रहेगा।

× × × × श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य विवरण में से हटाये गये।

ठा. माधोसिंह भैंसवाड़ा—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने × × × × शब्द कहा है तो उसको वापिस लेता हूं। विरोधी पक्षवाले मौका देख रहे हैं, झगड़ा करने के लिये इसलिये मैं नाथूरामजी से अर्ज करूंगा कि सदन की परंपरा के लिये यदि वे वाजिब समझें तो अपने शब्द वापिस लेलें।

श्री उपाध्यक्ष— एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया कि मेरा मतलब यह था कि वे फेक्ट्स के सिवाय बातें कह रहे हैं, यह एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। यदि वे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मेरी मंशा ये शब्द कहने की नहीं थी तो उसे मान लेना चाहिये।

श्री भैरूंसिंह—यह बात तो इस तरह की हो रही है कि कोई चप्पत लगा दे और फिर कहे कि मैंने तो चप्पत इसलिए लगाया कि उसका मुंह लाल हो जाय। (हंसी) मैं चाहूंगा नाथूरामजी से कि वे अपने शब्द वापिस लेलें तो अच्छा हो। वापिस लेलें तो उनके लिये भी शोभा की बात होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि नाथूरामजी × × × × हैं और वे वापिस नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन मैं चाहता था कि ये शब्द वापिस ले लिये जावें।

मैं जिस जागीरदारी सिस्टम की बात अभी सदन में प्रस्तुत कर रहा था वह जागीरदारी प्रथा की समाप्ति या मुआवजे की बात नहीं थी बल्कि जागीरदारों के खिलाफ, जागीरदारी सिस्टम की आड में एक इस प्रकार का वातावरण निर्माण करने की बात है कि जिस वातावरण के कारण हमारे राजस्थान के जागीरदार क्लास के खिलाफ हेट्रेडनेस (hatredness) की भावना का निर्माण किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से यह क्लास जिन्दा नहीं रह सके, इस प्रकार का वातावरण निर्माण करना है। इसके लिये हमारी सरकार की ओर से प्रयत्न किया जाता है। अभी कहेंगे मुख्य सचेतक महोदय कि ऐसा प्रयत्न नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जो प्रयत्न किया जा रहा है उसको गम्भीरता से सोचें तो निश्चय ही यह पता लगेगा कि आज इस प्रकार की एक क्लास के लिये हेट्रेड फैल रही है कि जागीरी सिस्टम को समाप्त करना है, जागीरों के जो उपभोग करने वाले हैं, उन व्यक्तियों को समाप्त करना है। इस प्रकार का प्रचार आज इस हद तक पहुँचा है, मैं निश्चित कह सकता हूं कि आगे चलकर, इस समय जो यह एक वर्गभेद की भावना है, यह एक संघर्ष का रूप लिए हुए खड़ा होगा।

आज के कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने एक शहीद दिवस मनाया था। उस शहीद दिवस पर कई भाषण हुए थे। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर्स भी उस शहीद दिवस पर भाषण देने आये। वह शहीद दिवस डाबरा में मनाया गया था, जहां पर आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी और बाद में मुकदमा विद्ड्रॉ किया गया था। वहां उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकारों के समक्ष इस प्रकार के भाषण दिये गये कि एक दिन वह था कि काश्तकार जागीरदारों से संघर्ष कर रहे थे

× × × × श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य विवरण में से हटाये गये।

[श्री भैरूंसिंह]

और उसमें दो आदमी काश्तकारों के मर गये और दो आदमी जागीरदारों के मर गये। आज उन पर विजय प्राप्त कर ली है और काश्तकारों का राज्य स्थापित हो गया है और वे हमारे मुंह की ओर देख रहे हैं। हमने उन्हें अपंग बना दिया है और वे अपने को समाज में गिरा हुआ समझने लगे हैं। इस प्रकार के भाषण वहां पर हुए...

श्री मथुरादास माथुर—Again I challenge his statement.

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मेम्बर बराबर ऐसी बात कह रहे हैं कि वे बातें उनके मुंह से शोभा देती हैं, उन्हें वे दूसरों के मुंह में नहीं डाल सकते हैं। मैं इन्कार करता हूं कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि दो जागीरदारों के आदमी मर गये और दो किसानों के आदमी मर गये। जागीरदारों के आदमियों के मरने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

श्री भैरूंसिंह—मैंने यह नहीं कहा कि जागीरदारों के दो आदमी मर गये।

श्री मथुरादास माथुर—आपने जो अभी भाषण पढ़कर सुनाया, वह गलत है।

श्री भैरूंसिंह—आपने जो शहीद दिवस मनाया, उसमें ऐसे भाषण हुए।

श्री मथुरादास माथुर—हजारों जगह शहीद दिवस मनाया जाता है और शहीदों के प्रति श्रद्धा सबको होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—जो राज्यपाल के अभिभाषण से सम्बन्धित बातें हैं उसके इधर या उधर की बातें, जो उनसे सम्बन्धित नहीं हैं, वे नहीं आनी चाहिए।

श्री भैरूंसिंह—मैं, शहीद दिवस पर जो भाषण हुए, उनका कथन कर रहा था।

श्री मथुरादास माथुर—मैं चेलेंज करता हूं कि इस प्रकार के भाषण वहां पर नहीं हुए।

(श्री अध्यक्ष, पुनः पीठासीन)

श्री भैरूंसिंह—अध्यक्ष महोदय, डीडवाना क्षेत्र में एक घटना हुई। जब गिरोदा से एक राजपूत डीडवाना जा रहा था, जिस समय वह डीडवाना से दूर निकला तो पांच सात व्यक्तियों ने उसके ऊपर हमला किया। उसकी वहां पर जान निकाल दी, जान निकाल कर उसके टुकड़े टुकड़े किये और टुकड़े करने के बाद उसको कूए में डाल दिया। किस तरह से उस क्षेत्र में जाट और राजपूतों के अन्दर वहां कुछ संघर्ष की सी भावना बनी हुई है...

श्री मथुरादास माथुर—It is also completely incorrect.

श्री अध्यक्ष—I am unable to follow.

श्री मथुरादास माथुर—He is preaching class hatred on the floor of the House to which I take objection, Sir.

श्री भैरूंसिंह—मैं नहीं समझता कि इनमें ओरीजिनल कौनसी चीज है। मैं.....

श्री मथुरादास माथुर—डीड़वाना में जाट और राजपूतों में संघर्ष है, इस प्रकार से सदन में कहना मैं समझता हूं गलत है और निराधार है। हो सकता है कि जाट, राजपूत, बनिया या और कोई मर गया हो। वह सब जुडिस हो सकता है। इस भावना को इस सदन में भड़काना ठीक नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Come to the topics which are under discussion.

श्री भैरूंसिंह(१६)—अध्यक्ष महोदय, बनिया मारा नहीं जाता बल्कि उठाया जाता है।

तो मैं अर्ज कर रहा था...

श्री अध्यक्ष—The trend of the speeches is more of tales and stories than of literary taste.

श्री भैरोंसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जागीर सिस्टम खत्म हो, उनको मुआवजा मिले या न मिले, उनको खुद काश्त जमीन मिले या न मिले, लेकिन जो राजस्थान सरकार के पास साधन उपलब्ध हैं, उन साधनों के द्वारा यदि अच्छी तरह से जागीरदारों की समस्या को सुलझाने की चेष्टा करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि अच्छा वतावरण पैदा होगा। यदि वातावरण में, अध्यक्ष महोदय, गन्दगी आ जाती है और गन्दगी के द्वारा क्लास हेट्रेड की भावना फैलती है तो उस हेट्रेड से संघर्ष की भावना बनती है। मैं समझता हूं कि यदि कोई किसी प्रकार का भी प्रयत्न इस प्रकार का होता है तो वह प्रयत्न अवांछनीय है। हमें यह भुला देना चाहिए कि हमने जागीरदारों के सिस्टम को खत्म किया, वे शोषण करते थे, वे किसानों को तंग करते थे, किसानों को परेशान किया करते थे, मैं समझता हूं कि उस समय परिस्थितियां ऐसी थीं। उन परिस्थितियों के कारण ही ऐसा सम्भव था। आज उन जागीरदारों की जागीरें छीन ली हैं, उन जागीरों को छीन लेने के कारण उनका शोषण समाप्त हो गया है। उन समाप्त किये जागीरदारों के साथ दूसरी किस्म का बिगाड़ किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि यह मानवता के नाते अच्छी बात नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि जो किसी प्रकार का अवांछनीय वातावरण निर्माण करने की बात है, वह न करें,

[श्री भैंरूं सिंह]

तो अच्छी चीज होगी। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि खुदकाश्त की बात को लेकर, जागीरों के मुआवजे की बात को लेकर, जागीरों के एम्प्लोइज़ की बात को लेकर जो भी बातें उत्पन्न होती हैं, उन सब चीजों को हमें ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा, हमें यह मान कर चलना पड़ेगा कि राजस्थान में जब जागीर सिस्टम खत्म हो गया है तो जागीरी एम्प्लोइज़ बेकार न हो जाय। जागीरदारों की अब परिस्थिति ऐसी हो गई है, कि वे उन एम्प्लोइज़ को अब अपने साथ नौकरी में नहीं रख सकते हैं, इसलिए वे सब एम्प्लोइज़ आज दर दर के भिखारी बने हुए हैं उनके बारे में राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी ने एक बार नहीं, अनेक बार आश्वासन दिया है कि जहां तक सम्भव होगा इस प्रकार के कर्मचारियों को राज्य सेवा में लेने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार का जो कथन किया गया था उसको कार्य रूप में परिणित किया जाना चाहिये था। उन लोगों को जो भी धन्धे हैं, उद्योग धन्धे हैं, उनमें काम मिलता, गांवों में जो बेकार पड़े हुए हैं, उनको गवर्नमेंट सर्विसेज़ देती तो जो आश्वासन उन्होंने दिया था, वह निश्चय पूर्वक एक आश्वासन दिया है और उसको कार्य रूप में परिणित किया है, ऐसा मैं समझता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसे जागीर एम्प्लोइज़ को इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया। सीकर के अन्दर २३२ एम्प्लोइज़ को इन्टरव्यू के लिये बुलाया और उनके इन्टरव्यू हुए, उन २३२ एम्प्लोइज़ में से १४ व्यक्तियों को फिट समझा गया लेकिन उनको अब तक नियुक्त नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि उन सारे के सारे एम्प्लोइज़ का कलेक्टर की पोस्ट के लिए अधिकारियों ने इन्टरव्यू नहीं लिया, वे एम्प्लोइज़ कलेक्टर की पोस्ट नहीं चाहते। उन्होने दरख्वास्तें दी थीं कि उनकी योग्यता के अनुकूल जगह दी जाय और उन सबको एब्सोर्व किया जाय। मैं इसकी आवश्यकता समझता हूं। आप देखिये कि २३२ आदमियों को इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया और उनमें से सिर्फ १४ आदमियों को फिट समझा जाता है और उन १४ आदमियों को भी नौकरी नहीं दी गई। वे सब एम्प्लोइज़ धीरे धीरे बेकारी से भिखारी बन दर दर घूम रहे हैं। मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि अजमेर में जो...

एक माननीय सदस्य—उपाध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष कहिये।

श्री भैंरूं सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि अजमेर और राजस्थान के अब एक कानून बन रहे हैं तो कम से कम अजमेर में जो इस्तमरारदार हैं और जिन्हें अब खत्म कर दिया गया है, वहां के भी इस्तमरारदार बड़े बड़े थे और उनकी आमदनी भी ज्यादा थी, उनके नौकर चाकर भी रहते थे, भले ही जो राजस्थान में जागीरों के एम्पोलाईज़ हैं, उनको नौकरी मिले या न मिले, पर मैं समझता हूं कि कानून में ऐसा प्रोवीजन अवश्य हो कि अजमेर के अन्दर इस्तमरारदारिया खत्म किये जाने के साथ निश्चित रूप से सरकार की ओर से ऐसा आश्वासन दिया जाय कि भविष्य में चलकर जो भी धन्धे होने वाले हैं उनमें जो भी जगहें होने वाली हैं, उनमें जागीर रिज़म्प्शन के कारण जो बेकारी बढ़ी है, उनको एब्जार्ब किया जाय। उनकी समस्याओं को हल कर देने के लिए कमेटी का निर्माण कर दिया है और कमेटी बनाकर उसके लिए

[श्री भैरूंसिंह]

प्रोग्राम चोक आउट (Chalkout) कर दिया है और उसने एक पोलिसी बना दी है कि इनको अवश्य और शीघ्र ही नियुक्त किया जाय। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह एक राजनैतिक स्टन्ट हो सकता है। जागीरदारी की समाप्ति के साथ साथ ऐसी भी बातें हैं, कि राजनैतिक कारण से लोगों को तंग किया जाता है। ऐसी सरकार की पोलिसी होनी चाहिए कि लाइज़न आफिसर उन्हें बनाना चाहिए जिनको कि इस समस्या का अच्छी तरह ज्ञान हो, जागीरदारी समाप्त होने के कारण कई प्रकार की ऐसी समस्यायें होनी सम्भव हैं। लेकिन होता यह है कि लाइज़न ऑफिसर इनको बनाया जाता है जो कि जागीर रिज़म्पशन में पड़ा हुआ हो या न हो, जागीरदारी समाप्त होने के साथ ही ऐसी कई विषम परिस्थिति आई हैं, जिनका उन ऑफिसरों को अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। उनको इन सब समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए लेकिन जो जागीरदार हैं, उनकी विरोधी कांग्रेस है, इसलिए कम्पेन्सेशन की समस्या को हल करने, खुदकाश्त की समस्या को हल करने, जागीरी एम्पलाईज़ को धन्धा देने के नाम पर नहीं बल्कि वे कांग्रेस के कितने सदस्य बना सकते हैं, इसके लिए उनको एम्प्लोय किया जाता है ...

श्री माधोसिंह भैंसरोड़ा—यह गलत बात है, कोई भी लाइज़न ऑफिसर इस आधार पर नियुक्त नहीं हुआ। I Challenge his statement.

श्री भैरूंसिंह—एक लाइज़न ऑफिसर है जिनसे सदस्य बनाने का काम लिया जाता है ...

श्री अध्यक्ष—There should be no interruptions. I will give an opportunity to the hon'ble member who challenges the statement, but the hon'ble member (Shri Bhairon Singh) should conclude early.

श्री भैरूंसिंह (दांतारामगढ)—सरकार की जागीर रिज़म्प्शन के बारे में यह नीति रही पर जागीरदारों को जो कि इस समय विस्थापित अवस्था में हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के बारे में काम नहीं किया गया। मेरा यह निवेदन है कि इनको रिहेबिलिटेट करने का काम करें, केवल कमेटीज़ बनाने से कोई काम नहीं चलने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का भी संकेत दिया है कि पंचायतों को उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिये कुछ विशेष धनराशि स्वीकार करना है वह लेंड रेवेन्यु से दी जायगी। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार का यह कार्य निस्संदेह सराहनीय है, पंचायतों की आर्थिक स्थिति निस्संदेह खराब है और गांवों में टेक्स लगाने की बातें, और टेक्स लगाने के साथ साथ जुर्माने करने की बातें और जो पंचायतें बनी हुई हैं उनको कोर्टस् का रूप देने, कोर्टस् के रूप में परिवर्तन करने की बातें इस तरह चल गई हैं कि गांवों में लोग पंचायतों को स्वायत्त शासन की संस्था न समझ कर कोर्ट समझने लग गये हैं।

[श्री भैरूंसिंह]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी पंचायत को इस प्रकार के अधिकार दें, लैंड रेवेन्यु से लेकर रकम दी जावे पंचायत एक्ट के माफिक जो अधिकार हैं वह दें, पर इस सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा में काफी शिकायतें पेश की गई हैं और राजस्थान विधान सभा के बाहर भी अच्छे अच्छे जिम्मेदार व्यक्तियों ने शिकायतें की हैं कि इस विभाग में जितने अधिकारी हैं वे एक कौम के हैं और उस कौम का पंचायतों से बहुमत कराने के लिये, कई प्रकार की गड़बड़ियां की जाती हैं, पंचों को नामजद किया जाता है, चुनावों में गडबड़ियां की जाती हैं, डिस्टरबेंन्सेज़ क्रियेट किये जाते हैं और सारी उथलपुथल की जाती है जिनसे इस कौम के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति चुन कर नहीं आवे। इस शिकायत पर, जहां तक पूरी तरह जांच करके, इन शिकायतों को दूर किये जाने के बाद इस प्रकार के अधिकार दिये जायें, इस प्रकार की सुविधाएं दी जायं। इस शिकायत पर मैं आशा करता हूँ कि मुख्य मंत्रीजी अवश्य स्पष्टीकरण करेंगे।

आज से दो तीन महीने पूर्व राजस्थान की सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया था कि पंचायत विभाग और लोकल बोडीज़ विभाग को एक महकमा कर दिया जाय और जो अभी चीफ पंचायत ऑफिसर हैं उनको दूसरी जगह भेज दिया जाय। यदि यह सच है तो मुझे दुख है कि किन कारणों से इन दोनों को आज तक एक नहीं किया गया है, यह अन्नेसेसरी बर्डन (unnecessary burden) राजस्थान के लोगों पर क्यों रखा गया है? लोग जो इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं उनके बारे में मैं एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा।

श्री अध्यक्ष—You have already taken much time.

श्री भैरूंसिंह—नहीं साहब, एक छोटा सा है।

श्री अध्यक्ष—आपका छोटा सा भी बहुत बड़ा होता है। आपका जो रेजोल्यूशन है, उसको मूव करते वक्त रखें।

श्री भैरूंसिंह—यह दूसरी बात है, छोटी सी है वह यह है कि मेरे क्षेत्र में बनाथला पंचायत है। उस पंचायत का चुनाव ३ दफा माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करके स्थगित कराया गया। इसलिये चुनाव स्थगित कराये कि केन्द्र के स्थान पर चुनाव नहीं हो रहे थे, मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने १४ तारीख को आज्ञा दी कि चुनाव स्थगित किये जाते हैं और १८ तारीख को चुनाव होने वाले थे। जिन्होंने रिप्रेज़ेन्टेशन किया था उनको चीफ पंचायत ऑफिसर ने कह दिया कि चुनाव नहीं होगा। सूचना तार से देनी चाहिये थी पर सूचना जाती है १६ तारीख को जब कि चुनाव हो गये, पर जिस अधिकारी ने जानबूझ कर यह चालाकी की उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी दिल से चाहते हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें पर वे मजबूर हैं, एक्शन ले

[श्री भैरूंसिंह]

नहीं सकते, कोटा ट्रान्सफर का आर्डर दे दिया था, अजमेर का अजमेर रहे पर ऑर्डर होने के बाद दूसरे दिन ऑर्डर केन्सल कर दिया गया। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री यह भी चाहते हैं कि वह व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा बिना पब्लिक सर्विस कमीशन की एप्रूवल के नियुक्त हुआ है इसलिये उसे रिमूव किया जाय।

(घण्टी)

पर स्वायत्त शासन मंत्रीजी ऐसा करने में मजबूर हैं।

श्री अध्यक्ष—There should be no reference to the person of any officer.

श्री भैरूंसिंह—मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष—वह काफी है जो आप बता रहे हैं। यही बाकी रहा, आप नाम भी ले लीजियेगा अगर संतोष हो तो।

श्री भैरोंसिंह—मैं यह कहना चाह रहा था कि यदि माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी किसी कारण से मजबूर हैं, उनके हाथ इस प्रकार की कार्यवाहियां करने में कमजोर हैं तो अपने हाथों को मजबूत करें और अगर अपने हाथ मजबूत नहीं कर सकते तो मंत्री मंडल से त्यागपत्र दे दें। और अगर उनको कुर्सी से मोह है तो मैं निवेदन करूंगा कि पंचायतें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनसे हमें पंचायती राज्य की कल्पना रखनी है, उनके जितने विरोधी हैं उनसे मिलकर आश्वासन दें कि मजबूत हाथ से एक्शन लेंगे तो हम आपको अगले इलेक्शन में ले आवेंगे। अगर वे इस शर्त पर भी इस्तीफा नहीं देते तो मैं समझूंगा कि वे मंत्री पद से चिपके रहना चाहते हैं।

पंचायत विभाग की मार्फत कुए खुदवाने और कुओं की मरम्मत करवाने व जल कष्ट को दूर करने के लिये जो कार्य किये गये हैं, जो पैसा खर्च किया गया है उसके बारे में उनको चाहिये कि इस बात की जांच करें कि कितना रुपया खर्च किया गया है, कितने रुपये का हिसाब आ गया है, कितनों का हिसाब नहीं आया है, कितने रुपयों का हिसाब बाकी है, अधूरा है। इन कार्यों में १० लाख रुपया खर्च किया गया, उसका हिसाब मार्च महीने तक आ जाना चाहिये था पर उनका हिसाब अब तक नहीं आया है और जो हिसाब अधूरा है उसके बारे में जांच होनी चाहिये। जो गड़बड़ियें हैं उनके लिये पुलिस में मुकदमें बनने चाहिये, केवल पुलिस में मुकदमें बनाने से ही काम नहीं चलेगा, उनके चालान नहीं होते हैं। अलवर के जलबोर्ड में, वे मानेंगे कि जितने रुपयों का गबन हुआ था उतने रुपयों के गबन को दूसरे रास्तों से पूरा कर देने की चेष्टा कई दिनों से चल रही थी, १० दिन पहले तक तो वे इस चेष्टा में सफल नहीं हुए थे।

श्री अध्यक्ष—कितना समय और लेंगे ?

श्री भैरूंसिंह—पांच-सात मिनिट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष—राज्यपाल के भाषण के सम्बन्ध में अब पोलिसी की बातों पर बोलें, आप विभागों की बातें क्या कह रहे हैं ?

श्री भैरूंसिंह—पंचायतों का नाम आया है। कई मुकदमें बन जायेंगे.........

श्री अध्यक्ष—बन जायेंगे तो बन जायेंगे।

श्री भैरूंसिंह—पैसा हमारा है। इन बातों को न कह कर कुछ ही समय में अपना भाषण समाप्त करने की चेष्टा करूंगा। मैंने कुछ श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का भी उल्लेख पाया है कि हमें स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण करना चाहिये। मैं समझता हूँ कि नया राजस्थान बना उस दिन भी स्वस्थ परम्परा को तोड़ा गया है, इस तरह नहीं कि अजमेर मिल गया, इस तरह से नहीं कि गवर्नर आ गये, इस तरह से नहीं कि राजप्रमुख नहीं रहे बल्कि इस तरह से टूटी कि राजस्थान विधान सभा के एक सज्जन सदस्य नहीं हैं फिर भी उनको राजस्थान का मंत्री बना दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारे संविधान ने हमें इस प्रकार का अधिकार दिया है पर उस अधिकार का हमें इमर्जेन्सी में ही उपयोग करना चाहिये, हर समय नहीं।

यदि राजस्थान की विधान सभा के सदस्य और खास तौर से सत्तारूढ़ दल के सदस्य और उसमें भी कोई आदमी जो वित्त जैसे विभाग का मंत्री हो, राजस्थान के वित्त मंत्रालय का काम अपने हाथ में ले ले तो यह उचित नहीं है। अभी तो हमारे मेड़ते से आने वाले भूतपूर्व वित्त मंत्रीजी भी हैं उनको ऐसा मौका दिया जा सकता है। मगर उनको इस प्रकार का मौका नहीं देकर एक ऐसे व्यक्ति को जो राजस्थान विधान सभा का सदस्य नहीं होते हुए भी उनको मौका दिया जा रहा है यह एक स्वस्थ परम्परा नहीं है और इस स्वस्थ परम्परा को १ नवम्बर को तोड़ दिया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आज वे उनके साथी होने के कारण, दल के सदस्य होने के कारण किसी को ले सकते हैं मगर यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है। राजस्थान विधान सभा के सदस्य न होते हुए भी उनको वित्त मंत्री रखा जा रहा है यह एक प्रकार की स्वस्थ भावनाओं पर ठेस पहुंचाती है। आज कोटे के कई माननीय सदस्य उनके त्यागपत्र देने के साथ साथ मंत्री बनने की उम्मीद में बैठे थे कि हमारा भी नम्बर आवेगा मगर उनका नम्बर नहीं आया, उसका हमें कोई अफसोस नहीं है। हमें अफसोस है इस बात का कि जो परम्परा डाली जा रही है वह स्वस्थ परम्परा नहीं बनेगी।

[श्री भैरूंसिंह]

अजमेर की सर्विसेज़ के बारे में काफी चर्चाएं हुईं। माननीय अध्यक्ष, इस बात का जिक्र किया गया है कि अजमेर में जितने भी टेम्परेरी आदमी थे और जिनकी सर्विसेज़ एक महीने की थी उनको नौकरीयों से अलग कर दिया गया है। इस बात को कोई भी व्यक्ति ज्यादती बतावे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय चीफ मिनिस्टर इस बात से परिचित होंगे कि अजमेर के विलय के बाद अजमेर के डाइरेक्टर ऑफ कोटेज और इन्डस्ट्रीज़ की नियुक्ति की गई है। मुझे मालूम नहीं अब उनको यहां पर किस पद पर लिया गया है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि राजस्थान में अजमेर का मर्जर हुआ उससे दो रोज पहले ही उनकी नियुक्ति की गई थी। उनका नाम कृष्णकान्त है और वे अजमेर के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके रिश्तेदार हैं। आज अजमेर के गरीब कर्मचारियों को और चपरासियों को यह कहा जाता है कि जिनकी नवम्बर ५५ की नियुक्ति है, उनकी टेम्परेरी सर्विस है उनको अलग किया जा सकता है, तो जिसकी अजमेर में दो या चार दिन की सर्विस है उसको भी अलग किया जा सकता है। यदि उनको निकालेंगे और दो दिन पहले की नियुक्ति वाले ५०० रु० पाने वाले अधिकारी रहेंगे तो उन गरीब लोगों के कलेजे को एक तरह की चुनौती है और यह सरासर अन्याय है। अन्याय हो सकता है उन गरीबों के साथ। बड़ों के लिए अन्याय नहीं हो सकता। हमारी राजस्थान सरकार में साले-बहनोई और भाई-भतीजे की परिपाटी है और मैं यहां पर इन चीजों में पड़ना नहीं चाहता। मैं यह समझता था कि इस प्रकार की परिपाटी अजमेर में नहीं होगी, मगर उन्होंने भी तो इस परिपाटी को निभाया है। मुझे इस बात को सुनकर बहुत दुख हुआ।

माननीय अध्यक्ष, जब अजमेर का राजस्थान में मर्जर होने वाला था तो अजमेर के लोग भी खुश हुए होंगे और राजस्थान के लोग भी खुश हुए होंगे कि उनको सुख की सांस लेनी होगी कि एक 'सी' क्लास स्टेट, जिसमें मामूली से मामूली आदमी को १०० रु० से कम तनख्वाह नहीं मिलती तो राजस्थान के मुलाजिम थे वे भी यह सोच रहे थे कि सरकार अजमेर की नकल करेगी और उनको भी अच्छी तनख्वाह मिलेगी, वे भी अच्छी तनख्वाह पाने के हकदार होंगे क्योंकि 'ए' स्टेट बनी है। लेकिन उन पर वज्र पड़ा और उसका असर अजमेर पर ही नहीं बल्कि राजस्थान पर भी पड़ा। अगर आज अजमेर के डिअरनेस को शामिल करने की बात आती है तो सारे लोगों में परिवर्तन होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यदि सर्विसेज़ में किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं है, कोई उनके भरण-पोषण की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो चाहे उस सरकार को एटली की तरफ से सर्टीफिकेट मिला हो अच्छी सरकार होने का या किसी दूसरे से मिला हो, जिसकी तारीफ दुनिया करती हो वह भले ही करे लेकिन गरीब लोग हैं वे कभी भी इसकी तारीफ नहीं करेंगे।

(घंटी)

माननीय अध्यक्ष, मैं इन सारे छोटे कर्मचारियों के बारे में जिक्र तो करता और करना चाहता भी था लेकिन अब समय कम होने के कारण नहीं कर सकूंगा। लेकिन मैं माननीय मुख्य

[श्री भैरोंसिंह]

मंत्रीजी से कहूंगा कि उन्होंने सदन में आश्वासन दिया है कि जितने भी अध्यापक हैं चाहे वे जागीर के हों चाहे सरकार के, जिस समय फिक्सेशन का प्रश्न आया था उस समय दिसम्बर में कहा था और यह आश्वासन दिया था कि उनका फिक्सेशन मई के पहले पहले कर दिया जावेगा और खत्म हो जावेगा। लेकिन मैं यह कहूंगा कि अध्यापकों के मामले आज ६-६ वर्षों से पड़े हैं, मगर उनका फिक्सेशन नहीं होता, कई लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती, उनके टी० ए० और डी० ए० व तनख्वाह वितरण की कोई सुव्यवस्था नहीं है। अध्यापक जो राजस्थान के नवयुवकों को भव्य नागरिक बनाने की चेष्टा करते हैं उनकी यह स्थिति है। हमारे नवयुवकों की, भारतवर्ष की भावी पीढ़ी को तैयार करने वाला जो अध्यापक है उस अध्यापक को हमें इस चिन्ता से मुक्त करना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं हैरान होता हूं जब यह देखता हूं कि सरकार उन पर एक टकटकी लगाए बैठी है। मैं समझता हूं माननीय चीफ मिनिस्टर अध्यापकों के लिये इलेक्शन से पहले निपटारा कर दें। जागीरदारों के यहां पर जो अध्यापक थे उनके लिये यह कहा जाता है कि जिस दिन से जागीर रिजम्शन हुआ उस दिन से उनकी सर्विस शुमार की जावेगी। मगर जागीरदारों का भार सरकार ने लिया है इसलिये जो अध्यापक हैं उनके लिये जिस दिन से उन्होंने जागीरदारों के यहां नौकरी शुरू की है उस दिन से उनकी डेट आफ एपोइन्टमेन्ट शुमार की जावे न कि जिस दिन से जागीर रिजम्शन में आई है। वे लोग २० वर्षों से लगातार वहां जागीरदार के यहां नौकरी कर रहे हैं और उन्हें तनख्वाह जागीरदारों के यहां से मिल रही है। उनको यह कहना कि जागीरदारों के यहां नौकरी की, उस सर्विस को नहीं काउन्ट किया जावेगा मैं कहूंगा कि यह सरासर अन्याय होगा। आखिर यह कौनसा कानून है। आपने सीकर और खेतड़ी में पुलिस विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति उसी दिन से की है जिस दिन से उन्होंने वहां पर नौकरी शुरू की। आपने जुडिशियल ओफिसर्स को इसी तरह लिया हैं, रेवेन्यू स्टाफ को भी इसी तरह से लिया है। फिर इस तरह का व्यवहार शिक्षा विभाग द्वारा उनके साथ क्यों किया जा रहा है? चाहे वह कोई भी हो चाहे प्रोफेसर हो, चाहे लेक्चरार हो उसकी नियुक्ति उसी दिन से, उसी तारीख से मानी जानी चाहिये जिस तारीख को उसने जागीरदार के यहां नौकरी जोइन की है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—५ मिनट के बजाय १० मिनट हो गये हैं।

श्री भैरूंसिंह—५ मिनट का समय और दिया जाए।

श्री अध्यक्ष—Sorry.

श्री भैरूंसिंह—मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—आप ही आप बोले हैं, और भी बहुत बोलेंगे। बहुत कम बोले हैं।

श्री भैरूसिंह—५ मिनट की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष—दो मिनट में समाप्त कर दें। फिर शायद आपको मौका मिले या न मिले, मगर घंटी बजाने के पहले ही समाप्त कर दें।

(श्री माधोसिंह भैंसवाडा के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री भैरूसिंह(१६)—माननीय अध्यक्ष, दो मिनट का समय मुझे दिया गया है, मैं दो मिनट में सारी बातें कह नहीं सकूंगा इसलिये आप घंटी बजावें इससे पहले मैं यहीं अपना भाषण समाप्त करता हुआ अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा—माननीय अध्यक्ष, राज्यपाल के भाषण पर जो बहस हुई है उसके बारे में मुझे भी दो मामलों के बारे में अर्ज करने की इच्छा हुई है। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने जागीरों के रिहेबिलिटेशन के बारे में जो प्रकाश डाला है उससे सदन के सभी सदस्यों को गलत बात बताने की कोशिश की गई है। जहां तक जागीरदारों के रिहेबिलीटेशन का प्रश्न है राजस्थान सरकार ने पूरी व्यवस्था की है और इसके लिये हर जिले में एक जागीर पुनर्ग्रहण एडवाइज़री कमेटी मुकर्रर की है। उसमें जागीरदारों के सदस्य लिये गये हैं। ऐसी ही चीज हर डिविजन में कायम करके जागीर एडवाइज़री डिविजन कमेटी बनाई है। इसी तरह से मेरे पूर्व वक्ता ने यह कहा कि राजनैतिक काम के लिये उनको कांग्रेस के सदस्य बनाये रखा है। मैं यह कहूंगा कि उनका यह आरोप बिल्कुल गलत है। इन लोगों को इसलिये रखा गया है कि गलत लोग छोटे जागीरदारों को गलत सलाह देकर कम्पेन्सेशन नहीं लेने देना चाहते हैं, उन लोगों को सही सलाह बता कर, उनको रिहेबिलिटेट कर दें ताकि वे लोग बेकार न हो जावें और ठिकाने लग जावें, इसलिये यह काम किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, और भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने जागीर डिपार्टमेंट के बारे में बोलते हुए यह कहा कि जागीरदार बेघर बार हो गये, उनको अलग अलग बांट दिया गया। इसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय, खुद वे ही सोचें कि वह इस ओर बैठने वाले सदस्यों की है या उस ओर बैठने वाले सदस्यों की है ? जो उन लोगों को आज तक मुआवजा नहीं लेने दिया है यह किसकी जिम्मेदारी है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह अर्ज करूंगा कि जातिवाद के बारे में जो बात कही गई उसके बारे में मैं आपके सामने दो तीन बातें बताऊंगा कि जहां तक इस ओर बैठने वालों का सवाल है जातिवाद का कोई सवाल हो वह नहीं उठाते। मैं आपको बताऊं कि आज चाहे कोई भी व्यक्ति हो वह चाहे इस तरफ का हो या उस तरफ का हो और चाहे किसी भी पार्टी का हो उसको जातिवाद पहले छोड़ना पड़ेगा और अगर कोई व्यक्ति उसको लेकर चलता है तो वह गलती पर है। (करतल-ध्वनि) अब एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जो लोग जातिवाद के

Page No 89

[श्री माधोसिंह]

नाम पर संसद में बोलते हैं और उसके लिये एजीटेशन करते हैं वही अगर इस चीज को करने लग जाते हैं तो दूसरों को वह क्या सीख दे सकते हैं और फिर यह है भी कहां तक उचित ? जातिवाद के सवाल के बारे में मैं कुछ कहूंगा। तो उस ओर बैठने वाले जो सदस्य हैं उनके बारे में मैं कहूं कि अभी जिला बोर्ड के चुनाव थे तो उन लोगों ने एक ही जाति के लोगों को खड़ा कराया जब कि इधर के लोगों ने जिनको खड़ा किया वह सब जाति के थे। तो फिर वही लोग जो जातिवाद को बुरा बताते हैं वही इस चीज के शिकार हो गये।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्व विभाग का सवाल है उसके बारे में मुझे भी दो तीन बातों पर दुख जरूर है। राजस्व मन्त्री ने दो तीन काम कुछ ऐसे ही किये हैं जिनसे मैं सहमत नहीं था और उन्हीं के बारे में मुझे दुख है। तो इससे मेरे यह कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं इस विभाग से असन्तुष्ट हूं। आखिर सभी से. थोड़ी बहुत गलतियां तो होती ही रहती हैं, हर इन्सान गलती करता है। जगह जगह लोगों को तकावी दी जाती हैं और दूसरी प्रकार की सहायता लोगों को खूब दी जाती है तो यह बातें भी छिपाई नहीं जाती हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि श्रीमान राज्यपाल ने यहां आकर इतना कष्ट किया और हमें हमारे राज्य में हो रहे काम से परिचित कराया इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं और जो नीति राजस्थान सरकार ने अपनाई है उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। यह मैं और अर्ज करूंगा कि हमारे जो दूसरे विभाग हैं उनमें काफी तरक्की हुई है। मगर जहां उन्नति हुई है वहां कई त्रुटियां भी अवश्य हुई हैं और उनको दूर करने की कोशिश भी की जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि त्रुटियां पक्षपात की वजह से होती हैं। जमीदारी के सम्बन्ध में तो मैं साफ कहूंगा कि इसमें जिम्मेदारी कोई राजस्थान सरकार की नहीं है। सरकार तो जागीरदारों को और जमीदारों को रिहेबिलिटेट करना चाहती है लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो उनको गलत रास्ते पर ले जाते हैं और जातिवाद जैसी चीज में ढकेल देते हैं। इस विभाग में जो लाइजन ऑफिसर्स रखे गये हैं वह पूरे सरकारी आदमी नहीं हैं वह जागीरदार लोग ही हैं और वह उनका पूरा ध्यान रखते हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि राजस्थान में जो व्यवस्था जागीरदारों के लिये की गई वही व्यवस्था अजमेर के लिये भी कर देनी चहिये, अगर अजमेर के जागीरदारी कानून में किसी प्रकार की त्रुटियां रह गई हों तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे मुख्य मन्त्री की होगी। परन्तु इसका मतलब यह नहीं होता कि इस सदन के लोगों को जातिवाद के चक्कर में पड़े रहने दिया जाय। इस जातिवाद का परिणाम तो आप जगह जगह जा कर देखें तो पता चलेगा कि जातिवाद का नारा कौन बुलन्द करता है, इस तरफ के लोग या उस तरफ के लोग ? आखिर में मैं ज्यादा न कह कर सदस्यों से केवल यह प्रार्थना करूंगा कि राज्यपाल ने जो यहां भाषण दिया इसके लिये उनको अवश्य ही धन्यवाद दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—Shri Kumbha Ram Arya.

Page No 90

श्री श्रीमान सिंह—Aer there some names to be read and hon'ble members to speak according to their names ?

श्री अध्यक्ष—Different parties have submitted a list and I call the members in that order.

श्री श्रीमान सिंह—May I bring to your notice that I was not asked by the chief Whip of My party.

श्री अध्यक्ष—I can't help. I will see if there is time left.

श्री कुम्भाराम आर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण पर जो वाद-विवाद हुआ है उसके सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे लिए यह बड़ेही सौभाग्य की बात है कि हमको आज इस तरह का सुअवसर मिला है कि हमारी स्टेट जो 'बी' क्लास स्टेट थी वह 'ए' क्लास स्टेट बन गई और राजप्रमुख की जो व्यवस्था यहां चलती थी उसकी जगह राज्यपाल की व्यवस्था आई और आबू, जिसके लिए राजस्थान का एक एक आदमी तड़प रहा था, वह हमको मिल गया और अजमेर की वृद्धि से हमारी शक्ति बढ़ी है। इस प्रकार से यह अवसर जो आज हमारे हाथ में आया है यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है और हमें इसके ऊपर गर्व और हर्ष दोनों ही होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत दिनों से इस प्रकार की इच्छा रखते थे कि हमारी स्टेट 'ए' क्लास में आये। आज हमको मिला और अजमेर को मिलाकर हमने अपनी शक्ति को बढ़ाया है। इसलिए मैं इसमें इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह इतना विवाद का विषय नहीं है। इस अभिभाषण में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में हम ऐसा कहें कि यह धन्यवाद के योग्य नहीं है।

सुरक्षा के सम्बन्ध में जो बातें आई हैं उनमें दो तरह की बातें कही गई। एक तरफ से तो यह कहा गया कि पुलिस ने अच्छा काम नहीं किया और दूसरी तरफ यह कहा गया कि पुलिस ने अच्छा काम किया है। मैं इसके अन्दर विवाद में न जाकर आंकड़ों में जाना चाहता हूं। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी पुलिस ने उन्नति की है और जहां तक अनुशासन का सवाल है वहां भी हम आगे बढ़े हैं। लेकिन जो सही चित्र है उसको किसी ने नहीं समझा जिसे समझकर चलना चाहिए। हमारे पुलिस विभाग ने जहां डाकुओं को दबाया है और दूसरे सराहनीय कार्य किये हैं और उसके अनुशासन में भी कुछ उन्नति आई है पर रिश्वतखोरी में कमी नहीं कर पाई यह बात किसी ने भी नहीं कही। इसमें कोई कमी नहीं आई है। सब क्षेत्रों में हम उन्नति करते जा रहे हैं। इसलिये रिश्वतखोरी को कम करने में भी प्रयत्न करना चाहिये।

भूमि सुधार के कानून के सम्बन्ध में बहुत अच्छी बातें कहीं हैं और उनको टालने के लिए यह भी कहा गया है कि यह तो समय की गति के कारण होना अनिवार्य था। मैं बतलाना चाहता हूं कि समय की गति राजस्थान के ऊपर ही नहीं आकर गिर गई थी। दूसरे राज्य भी तो ये

[श्री कुम्भाराम आर्य]

यू० पी० था, पंजाब था और भारत के दूसरे राज्य तथा हिन्दुस्तान के अन्दर और बहुत सी सरकारें हैं जिन पर और स्थिति का सब पर समान असर क्यों नहीं पड़ा ? राजस्थान सरकार ही इसके अन्दर क्यों आगे बढ़ी ? इसका कारण स्पष्ट यह है कि यहां की सरकार उन्नति की तरफ आगे आना चाहती है। इसलिए इस विवाद को इस रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा कि सरकार अधिक प्रगतिशील है, उसके कदम प्रशंसनीय हैं। लेकिन इस कदम के साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की यह जो नीति रही है कि कर करदाता की देयशक्ति पर लगाना चाहिए इस सिद्धांत के अनुसार किसानों पर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाया गया है, हमने इसका स्वागत किया हैं और इसका स्वागत होना भी चाहिए क्योंकि वह प्रगति का कदम है लेकिन एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के बाद लैण्ड रेवेन्यु जो किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं वह खत्म होना चाहिए था, लैण्ड रेवन्यु समाप्त करने के बारे में थोड़ा सा भी जिक्र माननीय राज्यपाल के भाषण में हो जाता तो सोने में सुगन्ध हो जाता। भूमि सुधार कार्य के सम्बन्ध में कहना पड़ेगा कि यह सोना तो है ही लेकिन सुगन्ध नहीं है। क्योंकि जब इसमें हमने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगा दिया तो बिना आधार का लैण्ड रेवेन्यू जिसका कोई सिद्धान्त नहीं उसको हम लगाये रखें न्याय और व्यवहार संगत नहीं। भूमि कर (लैण्ड रेवेन्यु) तो राजस्थान में ऐसा है कि जिसकी सीमा नहीं है। अगर इसका कहीं पर विरोध दिखाई नहीं देता है तो इसका एक कारण और है कि किसान सरकार पर बहुत विश्वास रखते हैं और उनको आशा है कि सरकार इस पर गौर करेगी यह विश्वास उठा हुआ होता तो सरकार को विदित हो जाता कि किसान कितना असन्तुष्ट और दुखी है। सरकार को किसानों के इस विश्वास को कम नहीं होने देना चाहिए क्योंकि राजस्थान अधिकांश में कृषि प्रधान है। इतना सा यह देखने के बाद इसमें जरूर कुछ बातें रह गई हैं।

जागीरदारी समस्या, सरकार द्वारा जिस नीति और रीति से सुलझाई जा रही है वह धन्यवाद के लायक ही नहीं है हमें उससे कुछ सबक भी लेना चाहिए कि किस तरह समन्वय बैठाकर सरकार इस समस्या को हल कर रही है। लेकिन सरकार का ध्यान मैं इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि जागीरदारी समस्या जो हमारे राजस्थान में है उससे अधिक बड़ी समस्या हमारे यहां हरिजनों की भी है। हरिजनों को एक सवर्ण घृणा की दृष्टि से देखता है। कानून के अन्दर उनको सब अधिकार प्राप्त हैं लेकिन वह उन्हें पा नहीं सकते हैं। इसके लिए भी कोई प्लान (व्यवस्था) की ओर कोई संकेत होना चाहिए जो नहीं है। हमको यह महसूस नहीं होता कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण सर्वोच्चतम नहीं है। मेरे दिमाग पर थोड़ा सा यह असर पड़ा कि जागीरदार जो शक्तिशाली वर्ग था उसकी आवाज सुनी गई। मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ कि—

सभी सहायक सबल के कोउ न निबल सहाय,
पवन जगावत आग को दीपहिं देत बुझाय।

[श्री कुम्भाराम आर्य]

सामर्थ्यवान को सभी सहायक होते हैं। जागीरदार वर्ग विधान सभा के भीतर और बाहर दोनों स्थान में ज्यादा है उनके बारे में अच्छे अच्छे कानून बनाये गये, उनके लिये अच्छी व्यवस्था कायम की गई, उनके पुनर्वास के लिये कमेटी भी बनायी गई। लेकिन इसके साथ अगर हम हरिजनों को देखें तो क्या किया जो आज पिछड़ा और सवर्णों द्वारा दबा हुआ वर्ग है उसके सम्बन्ध में अगर आगे बढ़ाये जाने की बात होती तो मेरे मन में उत्साह होता। और मैं सही मायने में सरकार को धन्यवाद का पात्र समझता। लेकिन राज्यपाल महोदय के भाषण में हरिजनों के विषय में एक शब्द भी नहीं आया इससे मेरे हृदय को बड़ी ठेस पहुँची है।

पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाने में हमारी राजस्थान सरकार ने जो कार्य किया उसके लिये वह बधाई की पात्र है और जिस प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं उससे हमें आगे भी यह आशा है हम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहेंगे। जो कार्य किया वह मेरे दृष्टिकोण से काफी सुन्दर है लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा यह देख रहा हूँ कि पंचवर्षीय योजना जिसकी सफलता जन सम्पर्क पर आधारित है सरकार का विशेष ध्यान नहीं गया इस योजना में जनता का सहयोग लेने के स्थान पर सर्विसेज को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। नौकरशाही का बल बढ़ा है जनबल उतनी अनुपात में नहीं बढ़ पाया है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि नौकरशाही का बल बढेगा तो निश्चय ही जनबल घटेगा। जनबल के नहीं बढ़ने से सरकार को ज्यादा कटिबद्ध होकर काम करना पड़ेगा, सरकार को उसके कामयाबी के लिये शक्ति का व्यय अधिक करना पड़ेगा अगर हम किसी योजना में आसानी से कामयाब होना चाहते हैं तो हमें जनबल की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अर्थात् पंचायतों से सम्पर्क स्थापित करना होगा। अभिभाषण में इस ओर किसी प्रकार का संकेत नहीं किया गया। पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिये सरकार ने एक रुपये के पीछे एक आना रेवेन्यू का देने का तय किया है, मुझे इस बात से कतई सन्तोष नहीं है। पंचायतों के बारे में हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। हम शासन का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं केन्द्रीकरण नहीं चाहते। और जब हम विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम आर्थिक तौर से पंचायतों को आत्म निर्भर बनावें। आज पंचायतों को कायम हुए काफी अर्सा हो गया लेकिन सबसीडी के रूप में किसी भी पंचायत को एक पैसा भी नहीं दिया गया। जब कि हमारी सरकार म्युनिसिपेलिटीज़ को लाखों रुपया सबसीडी के रूप में दे रही है। पंचायतों को सबसीडी क्यों नहीं दी जाती? सरकार की नीति इस विषय में अच्छी है या बुरी है मैं नहीं कह सकता लेकिन इतना अवश्य है कि यह व्यवहार न्यायपूर्ण नहीं है। म्युनिसपेल्टी को तो सबसीडी देते हैं और पंचायतों को न दी जाय इसे न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। पंचायतों को ऊंचा उठाने के लिये यह ज्यादा जरूरी है कि इनको भी सबसीडी दी जाय और इनके आमदनी के जरिये बढ़ाये जांय। जिस समय पंचायत कानून इस असेम्बली में आया था हमने एक बात रखी थी कि प्रशासनिक अधिकार भी पंचायतों को दिये जांय और पटवारी को पंचायत के नीचे कर दिया जाय जिस जगह की पंचायतों का कार्य अच्छा हो। लेकिन आज राजस्थान में एक भी पंचायत ऐसी नहीं मिलेगी

Page No 93

[श्री कुम्भाराम आर्य]

जिसमें पटवारी को उसके अधीन किया गया हो। आज हम पटवारी को पंचायत के नीचे नहीं दे पाये हैं और हम यह दावा कर रहे हैं कि हम पंचायत राज की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे तो राजाओं के काल में, हालांकि वह शासन प्रजातंत्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल था, फिर भी उस समय पटवारी गांव का नौकर कहलाता था आज पटवारी सरकार का नौकर कहलाता है। हम चाहते थे पहली पंचवर्षीय योजना में पटवारी पंचायत के नीचे चले जाते। दूसरे अधिकारियों को दूसरी योजना में पंचायतों के अधीन करने की सोचते पर इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं। लोकतंत्र कायम करने के लिये लोकशाही कायम करनी होगी, अधिकार धीरे धीरे सब जनता के हाथ में देने चाहिये। नौकरशाही के हाथ में अधिकार नहीं रहने चाहिये। नौकर का काम तो केवल सेवा होना चाहिये। किन्तु आज इस युग में नौकर के हाथ में अधिकार हैं। अगर नौकर के हाथ में सेवा का कार्य रह जायगा तो वह पाप से भी बच जायगा। लेकिन आज की स्थिति में नौकर के हाथ में पाप और पुन्य दोनो हैं इसी कारण उसकी बुराई की जाती है। सत्ता नहीं देकर केवल सेवा का कार्य ही नौकर को दिया जाता तो वे आज पूजने योग्य होते उनके खिलाफ कोई नाम नहीं लेता। आज हमें चाहिये यह कि हम नौकरशाही की जगह लोकशाही स्थापित करें इसके लिये हमें पंचायतों को सत्ता देनी पड़ेगी राजनैतिक और आर्थिक दोनों। इस अभिभाषण में हमें यह संकेत नहीं मिला है कि सरकार इस ओर क्या कदम उठाने जा रही है। पंचायतों के संबन्ध में बोलते हुए यह तो सुना गया एक माननीय सदस्य की तरफ से यह महकमा तो तोड़ दिया जाना चाहिये। मैं यह चाहता हूँ कि जो आज पंचायत का महकमा है वह और बढ़ना चाहिये। इसके अधीन जो रेवेन्यू के ऑफिसर भी आने चाहिये ताकि पंचायतों में जो अनपढ़ व्यक्ति हैं उनको शिक्षित कर सकें और राजकाज सिखा सकें। अगर हम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो पंचायत राज आगे नहीं चल सकेगा। पंचायत राज्य के बारे में हमारा दृष्टिकोण साफ होना चाहिये कि पूरे के पूरे अधिकार पंचायतों के हवाले करना है। इसलिये सरकार का सबसे अधिक ध्यान इस ओर जाना चाहिए।

जागीरदारों का नाम लेकर जमींदारों का उल्लेख किया गया है और उसके लिये गंगानगर की ओर संकेत किया गया। मैं सदन की जानकारी के लिये कह देना चाहता हूँ कि गंगानगर में जमींदार नहीं बल्कि किसान हैं वे जागीरदार नहीं और न जमींदार ही हैं वे केवल मात्र किसान हैं। इस पर भी हम सीलिंग शीघ्र लागू करने के लिये पक्ष में हैं।

इसके अलावा एक प्रश्न और उपस्थित किया गया कि सीलिंग हमारे यहां कायम नहीं हो पाया सीलिंग कमेटी जरूर मुकर्रर हुई थी। उस सीलिंग कमेटी के निर्णय फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचने का कारण जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा वह रिपोर्ट नहीं आ सकी। अगर सीलिंग मुकर्रर हो जाता है तो जिन जागीरदारों से जागीरें लीं उनके खातेदारी राइट्स में आई जमीनें कम हो जायेंगी और उन पर दो पहाड़ एक साथ गिरेंगे। एक तरफ तो विपक्ष से बोलने वाले सदस्य महोदय जागीरदारों की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वे यह कहते हैं कि सीलिंग मुकर्रर हो जाना चाहिये। सरकार तो यह चाहती है

[श्री कुम्भाराम आर्य]

कि धीरे धीरे सब कार्य हों और विपक्ष के सदस्य महोदय यह चाहते हैं कि एक दम पत्थर डालकर उनको खत्म कर दिया जाय। आखिर सीलिंग कायम करने की बात कहकर क्या कराना चाहते हैं ? मैं नहीं जान पाया। वे ऐसी बातें कहकर जागीरदारों के भले करने का दावा करते हैं और होता इससे उल्टा है। सदस्य महोदय का दिमाग इस सम्बन्ध में स्पष्ट होना चाहिए; आज फ्युडल सिस्टम नहीं रहना चाहिये पर किसी भी जागीदार को इसलिये कि वह जागीरदारी भुगत चुका है उसको सजा मिलनी चाहिए ऐसी नीयत कोई सरकार रखती है तो मैं नहीं कह सकता कि वह सरकार क्या है ? मैं केवल अपने बारे में कह सकता हूँ अगर मुझे ऐसा मालूम हो तो मैं सब से पहला व्यक्ति हूंगा जो इस बात का विरोध करूंगा (हर्ष-ध्वनि) किसी राजपूत से इस कारण बदला लिया जाय कि वह जागीरदार था यह मेरे जैसे से सहन होने वाली बात नहीं है।

सदन में इस अभिभाषण पर विचार व्यक्त करते हुए एक माननीय सदस्य ने लॉ एन्ड ऑर्डर का उल्लेख करते हुए आखिया का भी नाम लिया और कह दिया कि उस सम्बन्ध में जो चिट्ठी प्रकाशित हुई थी वह सही थी, अदालत का ऐसा फैसला हो गया मुझे आश्चर्य है कि अदालत में तो मैं खड़ा हूँ उनको कैसे पता चल गया कि वह सही थी। अभी तो अदालत में मुकदमा चल रहा है, बिना फैसला हुए यह कहना कि वह चिठ्ठी सही थी, यह ठीक नहीं है। हमें जो कुछ भी यहां कहना है वह मर्यादित रूप में कहना चाहिए।

इसके अलावा दूसरे एक मेरे दोस्त ने जो दांता रामगढ़ से आये हैं उनकी मुझ पर बड़ी कृपा रहती है, वे हमेशा अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस बात की कोशिश करते हैं कोई बुरे से बुरा शब्द मिले तो वे उनके परम मित्र कुम्भाराम को अर्पण करें। मुझे उसे ग्रहण करने में कोई एतराज नहीं, किन्तु हमें सोचना यह चाहिए कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हम यहां करते हैं उसका बाहर क्या असर होता है ? हमारे बोलेने पर बाहर के लोग हमारे से शिक्षा ग्रहण करते हैं समाज का क्रीम इस हाऊस में है, अगर हम लोग ही ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो इस सदन की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। तो हमारे व्यवहार को नीचे के लोग सीखेंगे। अगर हम अपनी वाणी को बिगाड़ लेते हैं तो हम अपने कर्म को भी बिगाड सकते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि हमारा जो स्तर है वह बढ नहीं पायेगा। इसलिये मैं हाउस के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सोच समझ कर हमें वाणी का प्रयोग करना चाहिये।

श्री मानसिंह महार—बाहर तो लोग आपको अपने कार्यों से आंकते हैं। आपके कार्य कैसे हैं ?

श्री कुम्भाराम—(जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, मैं समझा नहीं, शायद मेरे लिये माननीय सदस्य ने कुछ कहा है।

श्री अध्यक्ष—आपको समझने की जरूरत नहीं।

श्री कुम्भाराम आर्य—(जारी) मेरा नाम तो आप ही मित्रों ने मशहूर कर रक्खा है। मैं तो मशहूर नहीं हूं। लेकिन मैं उन सब मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़े काल के लिए अब लम्बी बात क्यों बढ़ायें क्योंकि आगे फिर जब आवेंगे पांच साल का खाता फिर डाल लेवें। क्या पता कि दुबारा यहां किस भाई का आना होगा और किसका नहीं। मुझे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि जो गरजता है वह बरसता नहीं है। इसलिए थोड़े संयम से बात चले तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं अभिभाषण पर यह कह रहा था कि यह धन्यवाद के योग्य है। उद्योगों के सम्बन्ध में कहा गया है, उसको देखकर ऐसा महसूस हुआ कि हमारी सरकार बहुत आगे बढ़ी है, पर कुछ जरूरी मामलों की तरफ संकेत करने से रुक गई जिससे हमारे मन में यह शंका हो गई कि हमारा मामला कहीं रह तो नहीं गया है जैसे, रासायनिक उद्योग के खोलने की बात थी। यह हमारे राजस्थान की ही नहीं, भारतवर्ष की सबसे बड़ी बात थी। यह हमारा रासायनिक उद्योग का एक बहुत बड़ा उद्योग है जो हनुमानगढ़ में खुलने की बात थी और है। इस रासायनिक खाद के कारखाने में हिन्दुस्तान का कोई कोना हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी बराबरी के लेवल पर भी कोई नहीं आ सकता इस मामले में। पर यह मामला केन्द्र में किस स्थिति में है यह हमें इस भाषण से मालूम नहीं हो सका। इसमें इतना भी संकेत हो जाता कि प्रयत्न जारी हैं या बन जाने की आशा है तो हमें प्रसन्नता होती कि हमें एक बड़ा भारी उद्योग हमारी सरकार के सामर्थ्य से, उसके पराक्रम से या उसके प्रयत्नों से मिलने वाला है। पर इसका उल्लेख नहीं देखकर हमें चिन्ता और निराशा दोनों हुई। चिन्ता इस बात से कि हमारा राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है इसे खाद चाहिये और काफी मात्रा में चाहिये। अब हम वह खाद बंगाल से लेकर आते हैं एक तो और एक वही खाद हमें हमारे यहीं मिल जावे तो इसमें बड़ा अन्तर है। हमें सस्ता भी पड़ेगा और बहुतायत से भी प्राप्य होगा। आज हमारा सामान कच्चा सामान बंगाल में आता है और बंगाल में बना खाद हमारे खेतों के लिए वापिस यहां आता है यह एक तरह से उल्टा गोरखधन्धा चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे घर में ही हमारे कच्चे माल से सामान तैयार हो और काफी मात्रा में काफी सस्ता लोगों को मिले जिससे कि हमारा लक्ष्य अधिक उत्पादन करने का पूरा हो सके। हमारे यहां की खेती को भी हम बढ़ाना चाहते हैं और इसको बढ़ाकर ५६ लाख एकड़ जमीन जोतना चाहते हैं। तो इसके लिए खाद के लिए दूर जाना पड़ेगा पर जाना पड़ेगा जावेंगे। पर कुछ भी संकेत इस बारे में इस अभिभाषण में होता तो इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं घंटी बजने के भय से अपने आपको बैठा देता हूं। जयहिन्द।

श्री धर्मपाल—माननीय अध्यक्ष,...

श्री अध्यक्ष—आप कहां से टपक पड़े बीच में।

[श्री अध्यक्ष]

The Members who want to speak should keep themselves in readinese because their names may be called at any time.

श्री श्रीभानसिंह—I caught your eyes from the Looby, Sir.

श्री अध्यक्ष—I also want to warn the hon'ble members that the Assembly time is from 11. I expect that all the members must be here by the watch because the legislatures go by the watch and rise by the watch. I have to wait in my office and to see whether there is quorum in the House or not because the members come to the House ten to fifteen minules after the appointed time. That is not the proper decorum.

श्री श्रीभानसिंह— Mr. Speaker, Sir,......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं समझता हूं कि हमें स्पष्ट मानकर चलना चाहिये कि आज जितने भी भाषण होने है, हो जावेंगे ।

श्री अध्यक्ष— If you want we can close today.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं तो कल ही जवाब देना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—कल देना चाहें तो बात दूसरी है, otherwise the list is over.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पर हमारे स्वायत शासन मन्त्री आज बोलेंगे । कल कोई भाषण नहीं हो, ऐसा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri Sribhan Singh.

श्री श्रीभानसिंह—Mr. Speaker Sir, I must first thank your honour for giving me time to speak a few words in support of the Address. I must also at the outset thank the hon'ble member for proposing the vote of thanks and who has very kindly revised for me the figures of the two Five Year Plans. I would have also followed the advice of my hon'ble communist friend if only the centre of his thought was not in Moscow and if he had himself made a decision as to which cult is he going to follow now; whether the personality cult or the collective cult.

No doubt, sir, the key note of the Address is brevity and some hon'ble members have criticized the Address because it is brief and have complimented the

[श्री श्रीमानसिंह]

Address with such words as "Timid Affair." Before the general elections probably they expected it to be studied with so much figures and to be voluminous as it would have been beyond their comprehension to read it within a short time. There have been significant references in the Address as to the integration of the Indian States and the patriotism and the nationalism that guided the then rulers. There is also a reference of the successful combat against the forces of disruption-I mean the forces against the law and order-the dacoits. There is also a reference to the resumption of jagirs.

Sir, here in Rajasthan, the resumption of Jagirs has been a unique step. It has not been imposed from above, I cannot here abstain from complimenting those vested interests which have recognized and read the signs of time and have like their illustrious predecessors came forward and sacrificed their vested interests. But, sir, sometimes and during the debate I noticed that there were high tempers and some who call them selves progressive forces combined the two and instead of criticising the Feudul institution they criticised the persons. It is time to think whether we are progressive or reactionary. We will have to separate the two the institution and the human-beings. The institution served a certain purpose at a certain time. They are out-moded and we have abolished them. Today there is no jagirdari system. But if we perpetuate the same and raise some cry and impeach the human-beings I will not call it progressiveness or progressive ideas. Those jagirdars have sacrificed their vested interests. They are good citizens and I am not wrong if I say that they are intelligent, educated and it is our bounden duty that we must utilize their intelligence otherwise if we would let them fall into poverty, it would be our misfortune. Poverty is a disease which spreads like a cancer and one day it will swallow up all the good that we do. This brings me to the agricultural policy as envisaged in the Address and as referred to in the two successive Plans.

I must say that the ommission of zamindari abolition is a very significant omission and I cannot help observing that if we want the agriculture to improve one-half of Rajasthan be free and the other in not freed Both must be free. The conditions existing in zamindari the tracts are hopeless. There still the Zamindars continue to assert their rights and dominat the farmers. Therefore, I would request the Rajasthan Government to take early steps for its abolition.

As regards the agricultural policy there has been a very significant reference that eighty percent of our population depends upon it. During the span of five years this legislature did a lot. It passed certain legislative enactments in order to socialize our agriculture industry but unfortunately those legislative measures did not achieve the aims or the purpose that we desired.

Page No 98

[श्री श्रीमानसिंह]

It was because, sir, that while we formulated our plans, we successfully completed the first Plan and yet our agricultural economy has not responded who has neither been rehabilitated not revied by the completion of the First Plan. It is because, sir, we are still in the dark and the Government planners are still groping in the dark. Recently we have formulated the plan but have not formulated the Agricultural Policy. We are significantly ignoring as to what are the basic points for such plans. I would illustrate with examples. The U. S. S. R. before formulating its Agricultural policy it first decided certain pattern of forming. Americans before formulating their policy decided certain types and the new China was first made decision to formulate a pattern of agricultural policy and then they have come to the legislation, enactments and policy while we have not yet decided as to what type of our agricultural policy would be, whether the tppe of farming we would need would be individualistic or collective or co-operative. We are groping in the dark. We have legislations and the fact is that with these legislations we have created difficulties. The farmer does not feel security while we have given him the rights on the soil. But, sir, unfortunately he must know what type of agriculture farming we have to decide and the first decision, if any could be, in any plan is the pattern of farming. Secondly is, Sir, while I am aware that the Rajasthan Government is doing its best for improving the seed and the manure, but the manure which the Government is supplying is beyond the means of the farmers. It remains within the cellers of the Agriculture Department. The farmer does not purchase it because of the higher prices, and beyond its reach and the failure to supply improved agricultural implements. The third point on this connection I would like to point out is that we are affecting a cure of agriculture disease which does not exist. The problem of agriculture is due to over population, we have not decided how to remove this inbalance, how to change this occupational pattern of our aggrarian sector. So long it continues as it is and there is a fight between men and Bovine population of the country, I am sorry, sir, and with all the emphasis at my command I would say, sir, that agriculture will not improve. While we had the first plan yet 80 per cent condition has not improve. All measure will be failure unless we have a definite pattern of farming which is to be decided. Here is the test ground. We need change. Let me bring, sir, the point as to what should be the change? Unfortunately our planners have not been able to decide the greatest conflict, the conflict between heavy industries, conflict between the small industries, and the cottage industries. While the national income is supposed to have increased in the first Plan but our agricultural economy did not improve. Farmers did not have savings. Increase in income should be reflected in the increase of the savings and in the investments. But unfortunately such is not the case. In the second plan we have taken under

[श्री श्रीमानसिंह]

developed economy to be an statagic economy but we have forgotten the conditions on which our Agriculture industries depend. First of all we ought to have taken the weather conditions and the wind fall factors. It is the basic thing. We have taken it in the first plan, but in the second plan we have not taken the trouble. Supposed we have planned for surplus economy, but our weather condition do not permit and shortage of out-put occures what would be the condition ? Our economy would not adjust to it. Our plans would fail and will not be able to meet the shortages.

Similarly this is the question for our industrial policy. Why there is no increase in the Industries ? The obvious result is that our industrial policy is vague. We want to provide industries and our country should be industrialised, so that occupational pattern may be changed. But essentially we have provided for heavy and basic industries, small and cottage industries. As a student of economics I would say, sir, that according to the economic conditions our country we must have industries for consumers goods and we have ignored the industries for consumers goods. They are for long term. Therefore, in Industrial policy we must make consumers industries essential, instead of we make such heavy industries, and cottage industries essential or the doubtful validity of Ambar Charkha essential This conflict has not been solved. The commission has followed discriminating policies towards industries. They have given protection to the small and the cottage industries. But this discriminating policy will not solve our problem. Every problem and problem of every plan is to provide increased employment. Unfortunately in Governor's address it has been ignored. The House could not know what was the rate of Employment in first plan and what would be in the second plan. However, some figures are there, and some amount of unemployed would be employed. I am doubtful because in the first plan their target increased, and that has not been provided in the second plan. Because, sir, whatever if we want to combat that unemployment we will have to take the opportunities of employment in to account and the growth of work force is more than the opportunities for employment. It will have to be taken, but it has not been taken into consideration either by the Rajasthan Government and the Central Government Planning Commission.

It means four points. The Administrative set up. Well, to take an example we have in the second plan provided for a policy for administrative set up. We are told in Governor's address that the Collectors and Commissioners would be relieved from their day to day administrative work to look after the development work, but today the question is, Sir, at the secretariat level whether there is any tec-

[श्री श्रीमानसिंह]

hnical person, who are I. A. S. and R. A. S. and since planning means a technical job the Secretareis should be technical men.

Because, Sir, being a non-technical man a Secretary cannot understand the technical side of the thing. He may be a good administrator. but we want a technical man. Therefore, as probably the Punjab Government is considering to appoint the Chief Engineers as Secretaries to the P. W. D. Ministers, therefore, Rajasthan Government must consider this question that at the Secretariat level we must have technical hands.

Similarly, Sir, in a business organisation different type of temperament is needed, a different outlook is needed, and different types of decisions have to be made, and for that we have made no change in our rules. The recruitment to the services has been the same as in I. A. S. and R. A. S. persons are recruited. The competitive examinations are the same, and their interviews are the same. But, Sir, those who are in business they know that decisions have to be made and arrived at quickly. Business has a risk. There is a certain risk. That quick decision and the element of risk-taking what is called enterprising spirit which is entrepreneurial decisicns is sadly lacking in our administrative side. For this we should have made and provide the background for recruiting the staff in the First Plan. But Rajasthan Government has singulary failed to recruit that particular type of personal and then in the Second Plan again we will have to face with the same condition. Therefore, for 4 years of the plan period our administrative machinery could not response to the tempo of economic development. They were not able to take right decisions at the right time with the obvious result that all our amount lapsed and then within a short space of time they have spent lacs and lacs of money. But the same Machinery which incompetent to spend that amount and in keeping up the tempo of economic activity and which has failed for four years, has become competent to keep up the tempo within one year with no change in personnel with no change in number with the same checks and balances in the administrative systems of accounting and the auditing systems, which is again a great check on our development. New rules will have to be devised, and, therefore. Sir, with your permission I have taken this opportunity to establish upon the Government and through you on this House that we must take the lessons from the First Plan. We must gear up our administrative machinery. We must have our economy responsive to our tempo. We must set in comulative forces. We must have a machinery that is ready to take advantages of increased output and to adjust itself in cases when there is shortage of goods.

[श्री श्रीमानसिंह]

Similarly, Sir, if I would say that this Second Plan, to me it appears this thing, it is only a consolidated statement of Government's expenditure as to what it is going to do within the next five years, and it is not a plan. In this direction, and we can not copy from the west but take lesson from the First Plan.

श्री जेठमल—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं दिन भर से सुन रहा हूं। चारों तरफ से इस अभिभाषण को लेकर सरकार की आलोचनाएं हुई हैं। मैं इनको दो भागों में बांटता हूं। कुछ आलोचक हमारे मित्र कांग्रेसी थे और दूसरे जागीरदार लोग। जहां तक कांग्रेसी मित्रों से ताल्लुक है मेरी निश्चित मान्यता है कि उनकी आलोचनाएं तथ्यपूर्ण हैं, और उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए. क्योंकि कोई भी मनुष्य अपनी पार्टी की आलोचना जब तक नहीं करता है जब तक कि वह मजबूर न हो जाय, और मुझे उम्मीद है कि सरकार उनके सुझावों पर पूरे तौर से ध्यान देगी। दूसरी आलोचनाओं का जहां तक संबंध है मुझे ऐसा लगा कि यहां के जागीरदार लोग और भूस्वामी सरकार से बहुत कुछ असंतुष्ट है और उनकी आलोचनायें इस असंतोष से प्रेरित होकर की गई हैं। उनका असंतुष्ट होना एक हद तक तो समझ में आता है कि उनकी जागीरें समाप्त हो गई हैं इसलिए उनका असंतुष्ट होना एक प्रकार से स्वभाविक है। लेकिन वह तो समय की मांग थी और उसको उन्हें खिलाड़ीपन की भावना से लेना चाहिए। राजाओं ने जिस तरह के त्याग का परिचय दिया उसी प्रकार का अगर वे परिचय देते तो बड़ा सुन्दर होता। वास्तव में मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें इतना निराश होने की बात क्या है? यहां पर तो अभी तक जागीरें मौजूद हैं छोटी छोटी जागीरें। हमारे यहां अजमेर में तो इस्तमरारदारी बिल्कुल समाप्त कर दी गई। मुझे आश्चर्य है कि अभी तक यहां जागीरें हैं कैसे? और मै मानता हूं कि उन्हें तो जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ मुआवजे की मात्रा भी राजस्थान में अजमेर स्टेट से कहीं ज्यादा दी गई है। फिर भी यहां के लोग असंतुष्ट हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि उनके असंतुष्ट होने का कोई कारण हो फिर भी यदि आलोचनाओं में कोई तथ्य हो तो सरकार को ध्यान देना चाहिये और आशा है जरूर दिया जायगा आलोचना इसी सिलसिले में कुछ मित्रों ने अजमेर के इस्तमरारदारों के साथ सहानुभूति का रुख दिखाया है उन्होंने यह मांग की है कि वहां के मध्यस्थ उन्मूलन कानून में संशोधन किया जाय और यहां के जागीरदारों के मुआफिक मुआवजा दिया जाय। यह इन लोगों की कोई नई बात नहीं है। हमारे यहां अजमेर में भी जिस वक्त यह कानून बन रहा था हमारे कुछ मित्रों ने इसमें देरी कराने का प्रयत्न किया है और हम जानते थे कि वह इसीलिए किया गया था। लेकिन, श्रीमान्, मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि वास्तव में वे लोग मुआवजे के कतई हकदार भी नहीं थे मैं उस कमेटी में था जो कि इस उन्मूलन के संबन्ध में विचार करने के लिए बनाई गई थी और मैंने उसका खूब अध्ययन किया है और मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि उन्हें कोई कम्पेन्सेशन देने की जरूरत नहीं है। यह

[श्री जेठमल]

मात्र Service tenures हैं । कुछ सर्विसेज़ के लिए उन्हें जागीरें दी गई थीं । इनका काम जनता की रक्षा करने का था । वे जनता की सेवा करते थे और उसके बदले में तनख्वाह के बजाय उस वक्त जो प्रथा थी उसके अनुसार यह जागीरें दी गई । लेकिन उसमें जो कुछ सनदें दी गई हैं उनमें स्पष्टतः यह है कि जिस वक्त भी वे सर्विसेज़ देने के काबिल नहीं रहें या सरकार उनकी सर्विसेज़ लेने की जरूरत नहीं समझे ये सनदें ज़ब्त की जा सकती हैं और कोई मुआवजे की जरूरत नहीं है । इस तरह के उदाहरण हुए हैं । मैंने इस बात का जिक्र कमेटी के अन्दर जो मेरा मतभेद सूचक पत्रक लिखा है किया है, और मुझे खुशी है कि उसकी वजह से वहां के किसानों को कोई मुआवजा नहीं देना पड़ा और जो कुछ मुआवजा दिया गया वह सरकार ने अपनी ओर से दिया । उसमें किसी तरह का संशोधन करना न्यायसंगत नहीं होगा । मैं तो चाहता हूं कि यहां के जागीरदारी उन्मूलन कानून को वहां की लाइन्स पर ठीक किया जाय और इसमें कुछ संशोधन करके उसी तरह का यहां पर बना दिया जावे, और मेरी तो निश्चित मान्यता है कि यहां के जागीरदारों की परिस्थितियां अजमेर के इस्तमरारदारों से किसी प्रकार भिन्न नहीं है ।

दूसरी बात अभी कहा गया है कि गृहद्योगों को बड़े उद्योगों के मुकाबले में प्रश्रय न दिया जाय । मेरे एक मित्र ने अभी कहा कि बेकारी बड़े उद्योगों से ही मिट सकती है । श्रीमान्, मेरी निश्चित धारणा है कि बड़े उद्योगों से इस देश की बेकारी नहीं मिट सकती है, खास तौर से राजस्थान की जहां कि लोग बहुत दूर दूर तक छीतरे हुए बसे हुए हैं और घर के धन्धों को छोड़ कर बाहर नहीं जा सकते हैं, जिन्हें घरों का ज्यादा मोह है । अतः उनकी बेकारी की समस्या गृहद्योगों से ही हल हो सकती है । इसके लिये सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिये । मैं मानता हूं कि जो कुछ भी अभी मदद दी जा रही है गृहद्योगों के लिये वह कम है, और ज्यादा दिया जाना चाहिये ।

इसी प्रकार से छोटे २ उद्योगों को भी बढ़ावा देना चाहिये । इस संबन्ध में मुझे अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ती है कि अजमेर राज्य में कुछ स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ के लिये कर्जा मन्जूर किया गया था कुछ लाख । मेरा खयाल है कि वह एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन वह अभी तक नहीं दिया गया है । वहां के कुछ लोग उसी के इन्तजार में बैठे हैं कि वह रकम मिले तो धन्धा शुरू करें । तो मैं चाहूंगा और आपके मारफत सरकार से निवेदन करूंगा कि उस ओर जल्दी ध्यान दे और कर्जे की रकम जल्दी से जल्दी दे ताकि वे काम को स्टार्ट कर सकें और वे खुद भी धन्धे से लगें और कई लोगों को रोजगार मिले ।

शासन की ढिलाई के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन उसका कारण मेरी मान्यता है, सर्विसेज़ में कुछ पुराने ढंग के लोग आये हुए हैं । राजस्थान में यह कोई नई बात नहीं है । राजस्थान में एक २२ झोपड़ियों को गिराकर बड़ा महल बनाना पड़ा है और यहां के

[श्री जेठमल]

शासकों के सामने बड़ी कठिनाइयां थीं। पुरानी सर्विसेज़ को लेने और उनको एब्जोर्ब करने की और उनकी भावनाओं को बदलने की अपने आप में एक बड़ी समस्या थी, यह खुशी की बात है कि इसमें उन कर्मचारियों में भी पुरानी भावना अब तक नहीं गई है और यही कारण है शासन की ढ़िलाई का। फिर भी चाहे किसी भी कारण से सही शासन में आई हुई ढ़िलाई को मिटाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिटाना चाहिये।

जहां तक डकैतियों का ताल्लुक है निश्चित रूप से कम हुई है किन्तु मेरे एक मित्र ने कहा कि चोरियों में बढ़ोती हुई है। यह सच है अभी मुझे ब्यावर के एक मित्र ने कहा था कि एक रात में ८ ताले टूटे हैं। मैं आशा करता हूँ कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया होगा और अगर नहीं दिया है तो जल्दी से जल्दी ध्यान दे।

मुझे मालूम हुआ है कि केकड़ी के पास देवली से पुलिस स्टेशन उठाया जा रहा है। यदि सरकार ने यह निर्णय लिया है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है। वह स्थान ऐसा है जिसके आस पास ऐसी कौमें रहती हैं जिनका पेशा ही चोरियां और डकैतियां करना है। यदि वहां से पुलिस स्टेशन उठाया गया तो लॉ एण्ड ऑर्डर की हालत में फ़र्क आएगा।

यह बात तो सच है कि कुछ कमियां हैं और उनका होना स्वाभाविक भी है। लेकिन धीरे धीरे सभी कमियां मिट रही हैं। यदि हम तुलना करें आज़ादी मिलने के समय के राजस्थान की आज के राजस्थान से तो हमें मालूम होगा कि हमने कितनी तरक्की की है। मैं अपने मित्रों से कहूँगा कि थोड़ा धैर्य रक्खें आज जो राजस्थान ने तरक्की की है उसकी तुलना ५ साल के बाद के राजस्थान से करेंगे तो हम और भी आगे बढ़े हुए मालूम होंगे।

अब मैं चन्द सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा—मियादी जगहों पर काम करने वाले तथा एक महिने से कम मुलाजमत वाले कर्मचारियों को छोड़कर किसी भी स्थायी या अस्थायी सरकारी कर्मचारी की छटनी नहीं की गई।

मेरा खयाल है इस सम्बन्ध में शायद अजमेर के कर्मचारी उनकी निगाह से रह गये हैं। अभी पन्चायतों के कर्मचारियों के बारे में कुछ मित्रों ने जिक्र किया। उनकी दशा खराब है करीब ४०० कर्मचारी पंचायतों के हैं जिनकी नौकरी का प्रश्न है। वे लोग रात को डेपुटेशन लेकर आये थे। अभी तक उनकी समस्या हल नहीं हुई है। जब एक महिने से अधिक के कर्मचारियों को नहीं निकाला गया है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्यों हटाया गया, मुझे मालूम है कि उनकी सर्विसेज़ चार छः महिनों से अधिक हैं। उनका अपोईन्टमेंट फरवरी तक हुआ है, यदि ऐसी बात है तो उनको अभी हटाना ठीक नहीं है। यह सही है कि पंचायतें इतने मंहगे क्लर्क्स और सर्वेन्ट्स नहीं

[श्री जेठमल]

रख सकतीं लेकिन सरकार के हाथ लम्बे हैं उनको कहीं न कहीं एब्जोर्ब करना मुनासिब है । और कुछ नहीं हो सके तो उनको Surplus डिक्लेयर किया जाय, उनकी लिस्ट बनाई जाय और उनको आश्वासन दिया जाय कि जब भी मौका होगा तब उनको पहले चान्स दिया जायगा । मुझे यह जानकर ताज्जुब हुआ कि राजस्थान में कम क्वालीफाइड लोगों को तरक्की दी गई है और अजमेर से आये हुए ज्यादा क्वालीफाइड लोगों को तरक्की देने की ओर ध्यान नहीं रखा गया । मैं चाहता हूँ कि अजमेर के लोगों की ओर भी ध्यान देना चाहिये यदि वे राजस्थान के लोगों से ज्यादा क्वालीफाइड हैं तो उनको भी चान्स देना चाहिये । अब वे अजमेर के ही नहीं हैं, वे भी राजस्थानी हैं । उनके साथ सौतेला बरताव नहीं करना चाहिये । मैं चाहूँगा कि सरकार जल्दी से जल्दी इन समस्याओं को हल करे ।

भूमि के अधिकारों के सम्बन्ध में, इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान में बहुत कुछ किया गया है । आज किसानों के अधिकार सुरक्षित हैं लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है । बहुत सी जागीरें लेनी बाकी हैं जिन्हें लेनी चाहिये ।

इसी प्रकार अजमेर से इस्तमरारदारों की प्रथा समाप्त हुई है लेकिन भोम और जागीर अभी तक समाप्त नहीं हुई है । मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी दोनों को समाप्त किया जाय । सरवाड़ के पास सामालोव एक गांव है जहां पर आज भी राजस्थान सरकार अनाज लाटती है । एक अजमेर के इस्तमरारदार ने किशनगढ़ में इस गांव को बेच दिया था । राजस्थान सरकार बाद में एक प्रकार की इस्तमरारदार हुई किशनगढ़ की तरफ से पहले लटाई होती थी । लेकिन राजस्थान में आने के बाद और यहां पर जागीर उन्मूलन के बाद भी, मेरी समझ में नहीं आता सरकार लाटें लाटती कैसे है ? मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस ओर ध्यान दिया जाय और वहां के लोगों को भी दूसरों के अनुसार राहत दी जाय ।

अजमेर में किसानों को जो सहूलियतें मिली हुई हैं उनमें और राजस्थान में कुछ फर्क है, दोनों स्थानों के लगान में फर्क है । जहां तक मुझे मालूम हुआ है, अजमेर में लगान राजस्थान के लगान से कहीं कम है इसकी जांच होनी चाहिये । अजमेर से यहां की जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं है इसलिये होना तो यह चाहिये कि अजमेर में लगान की दर यहां से कम हो लेकिन बात उल्टी है । अतः इसे कम किया जाय कम से कम अजमेर के बराबर तो कर ही दिया जाय ।

विकास कार्यों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है और कुछ प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की बात कही गई है । मुझे इसमें यह बात न देख कर अफसोस हुआ कि इसमें सार्वजनिक सहयोग की बात नहीं कही गई है । मैं समझता हूँ ऐसी योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जब कि जनता की मदद हो । सरकार प्रशासनिक ढांचे को ठीक कर सकती है लेकिन इसके लिये बुनियादी बात सार्वजनिक सहयोग की है । हमने अजमेर में सार्वजनिक सहयोग के कारण काफी काम किया

[श्री जेठमल]

और अच्छा काम हुआ। केकड़ी खास का मुझे तजुर्बा है। वहां पर विकास कार्य काफी अच्छा हुआ। इसका कारण यह है कि वहां के लोगों की लोकल कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के लोगों को दौरा करके लोगों को प्रोत्साहन देने का अच्छा मौका मिला था सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं से मैं चाहूँगा कि सरकार वहां के उदाहरण से सबक ले और उसी प्रकार की लोकल कमेटियां बना कर काम करे।

पंचायतों को एक आना रुपया देना निश्चय किया गया है, लेकिन मेरी निगाह में यह बहुत कम है। पंचायतें आज भी टेक्स लगाने की हालत में नहीं हैं। यदि वे टेक्स लगाती हैं तो पहले ही से बदनाम होती हैं इसलिये उनको अनुदान ज्यादा देना चाहिये। अजमेर में पंचायत एक्ट बनाया गया था उसमें १५ पर्सेन्ट मालगुजारी का कम्पलसरी देना तय किया गया था। मैं चाहूँगा कि सरकार कम से कम अजमेर के बराबर १५ पर्सेन्ट मालगुजारी का पंचायतों को देना मंजूर करे ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। राजस्थान की पंचायतों के सम्बन्ध में काफी आलोचना की गई। मैं यहां के लिये नया हूँ; वैसे तो मेरी पैदायश यहां की है और मैं यहां काफी रहा भी हूँ लेकिन पंचायतों के बारे में मुझे तजुर्बा नहीं है। लेकिन जहां मैं जानता हूँ राजस्थान में पंचायतें बहुत कुछ काम कर रही हैं और उनसे लोगों को राहत मिलती है। यदि उनमें कुछ कमी रह गई हो तो उसे सुधारने का काम करना चाहिये लेकिन उनको मदद निश्चित तौर से देनी चाहिये।

कृषि उत्पादन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है यह प्रसन्नता की बात है राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोलने के लिये कहा गया, :

"राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के खोलते समय सिंचाई वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाय और प्रत्येक विस्तार सेवा खण्ड का लक्ष्य निश्चित किया जाये।" यह निश्चय वाकई सराहनीय है। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे सरवाड़ में सिंचाई के साधन बहुतेरे हैं। उसका "सरवाड़" नाम इसलिये है कि उसके चारों तरफ तालाब और सिंचाई के साधन हैं। वहां पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड नहीं खोला जाना एक आश्चर्यजनक बात है। वह स्थान केकड़ी के पास होने से वहां के लोग भी काफी उत्साह रखते हैं और वे लोग चाहते हैं कि उनके यहां भी विस्तार खण्ड खुलें। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस ओर जल्दी ध्यान देगी। इसी सिलसिले में मुझे एजूकेशन के बारे में एक बात याद आ गई। जब सारवाड़ में एक हाईस्कूल कायम किया गया तो उस वक्त सरकार द्वारा लोगों से कहा गया कि अगर १०,००० रुपया इकट्ठा कर दो तो गांव में हाईस्कूल कायम हो। उस गांव के निवासियों ने किसी तरह से १०,००० रुपया इकट्ठा कर दिया। उसके बाद उनसे कहा जाता है कि स्कूल के लिए बिल्डिंग भी बनवा कर दे दो। उन गांव वालों ने रुपया तो दे दिया, उसके बाद उनसे बिल्डिंग भी बनवा कर देने की बात कही जाती है और उसके बाद उनको एक नोटिस भी दिया जाता है कि अप्रेल तक बिल्डिंग दे दो नहीं तो हाईस्कूल उठा दिया जायगा। मैं

Page No 106

[श्री जेठमल]

समझता हूं कि यह सरकार की नीति गलत है कि हाईस्कूल के लिए रुपया और बिल्डिंग गांव वाले दें। इससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर क्षेत्र शिक्षा से वंचित रह जायेंगे। यह एक गलत मिसाल कायम करना होगा। सरवाड़ के आदमी काफी गरीब हैं, उनका स्तर ऊंचा नहीं है और मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि एक बिल्डिंग भी बनवा कर दे दें और १० हजार रुपया भी दे दें। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और वहां की जनता को दिया हुआ नोटिस वापिस भेजे सरकारी खर्चे से ही हाईस्कूल भवन बनावे। अजमेर शिक्षा की दिशा में उन्नत है। मैं मानता हूं कि शिक्षा की राजस्थान में कमी है, यहां शिक्षा का अभाव है। आप गांवों में आज भी चले जाइये तो वहां पर जिस प्रकार पहले पुराने राजाओं और महाराजाओं के साथ व्यवहार किया जाता था वहीं पंच और सरपंच के साथ किया जाता है। इसकी वजह यह है कि वहां के लोग शिक्षित नहीं हैं। मेरे पास कई जगहों की जानकारी है क्योंकि मैं राजस्थान के बीच बैठा हुआ हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार की शर्तें रखना गलत बात है कि जहां पर बिल्डिंग गांव वाले बनायें वहीं पर हाईस्कूल बनाये जायं। मैं चाहता हूँ कि सरकार अपनी इस नीति को तुरन्त बदले और जहां तक आवश्यकता हो वहां खास कर पिछड़े हुए इलाकों में हाईस्कूल चलाये सरकारी खर्चे पर। इसके लिए अजमेर सरकार ने प्रयत्न किया वह सराहनीय है। मैं चाहूँगा कि यहां पर भी शिक्षा की दिशा में काफी तरक्की की जाय और दो-तीन मील के अन्दर स्कूल खोले जायं।

(घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनिट में समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—आपको २० मिनिट तो हो गये।

श्री जेठमल चौधरी—हाथ करघे के कपड़े की दुकानें खोलने के लिए, हर जिले में खोलने के लिए अभिभाषण में कहा गया है। अभी तक अजमेर में कोई दुकान नहीं है। अतः मैं चाहूँगा कि इस ओर भी ध्यान दिया जाय तो ठीक है।

मैं बहुत बातें कहना चाहता था पर मैं नहीं चाहता कि श्रीमान् को बार बार घंटी बजाने का कष्ट हो।

श्री अध्यक्ष—बार बार नहीं, सिर्फ एक बार।

श्री जेठमल चौधरी—अन्त में मैं राज्यपाल महोदयजी को उनके अभिभाषण के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री गौरीशंकर आचार्य।

[श्री अध्यक्ष]

(श्री मोतीलाल चौधरी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री गौरीशंकर आचार्य ।

श्री मोतीलाल चौधरी—वे बैठे हुए थे, वे खड़े नहीं हुए थे ।

श्री अध्यक्ष—श्री गौरीशंकर आचार्य ।

श्री गौरीशंकर आचार्य—अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में उन सब बातों पर जोर दिया गया है, जिनकी सरकार ने उस अर्से में प्रगति की है। मुझे यह जानकर कुछ अफसोस हुआ कि आप अन्न के बारे में उतना जिक्र नहीं कर सके जितना कि करना चाहिए था। आज इतने बड़े बड़े उसूलों की चर्चा करें, बड़ी बड़ी बातों की चर्चा करें, बड़े बड़े उद्योगों की चर्चा करें लेकिन जिससे आम जनता की परेशानियां बढ़ती हैं वह मंहगाई है। वे जानते हैं कि आपकी नई नई योजनाओं से, पुरानी योजनाओं ने, नये नये उद्योग का जिक्र करने से उनकी परेशानी नहीं घटेगी। पहले अनाज ५ सेर का, १० सेर का मिलता था जब कि आज सिर्फ ३ सेर का अनाज मिलता है और अगर आने वाले दिनों में, वार के काले बादल मंडराने लगे तो और भी मंहगाई बढ़ जायगी और इससे राजस्थान के लिए एक गम्भीर समस्या खड़ी हो जायगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह बड़े बड़े उसूलों के साथ, बड़ी बड़ी बातों के साथ आम जनता के सामने प्रति-दिन आने वाली परेशानियों पर भी गम्भीरता के साथ गौर करे और उनको हल करने की कोशिश करे। आज एक साधारण आदमी ३०), ४०) रुपये माहवार पाता है, उसके तीन चार बच्चे होते हैं, वह इतनी छोटी तनख्वाह में किस तरह से अपने बच्चों का और अपना पेट का पालन कर सकता है? आप ऊंची ऊंची तनख्वाहें पाने वालों की बात करते हैं और बड़े बड़े उसूलों की बात करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि उन गरीबों की तरफ भी आप गौर करने की कृपा करें।

दूसरी बात मैंने देखी कि हम सबने सब बातों की चर्चा की, लेकिन शिक्षा के बारे में चर्चा नहीं की। हिन्दुस्तान के अन्दर जनता को शिक्षा की जरूरत है और उनके लिए शिक्षित होना नितान्त आवश्यक है। इतने भाषण हुए उनमें मैंने इसका अभाव पाया। आज राष्ट्र के निर्माण के लिये, भारत के निर्माण के लिये देश में शिक्षा सबको मिले, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा के बारे में किसी ने भी चर्चा नहीं की, जब कि शिक्षा के बारे में आज चर्चा अवश्य होनी चाहिए। जब युनेस्को का सम्मेलन हुआ तो उसमें अन्तर्राष्ट्रीय विद्वानों ने भारतवर्ष में शिक्षा के बारे में चर्चा की है और हमारी सरकार शिक्षा के बारे में चर्चा नहीं करना चाहती है। मुझे अफसोस होता है कि शिक्षा विभाग जैसे महकमे में प्रतिक्षण डाइरेक्टर बदलते रहते हैं, सेक्रेटरी बदलते रहते हैं। और यदि मैं यह कहूँ कि जो कलेक्टर की जगह के लिए अनफिट हो गये हैं और जिन्होंने जनता पर गोली चलवाई है उनको शिक्षा विभाग का डाइरेक्टर बना दिया जाता है। मुझे रहम

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

आता है उस सरकार पर जिसने यह नहीं सोचा कि आखिर शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर को विशेष योग्यता वाला व्यक्ति होना चाहिए। जो व्यक्ति बिना सोचे-विचारे गोली चलाने का ऑर्डर दे सकता है, जो व्यक्ति डाइरेक्टर नहीं बनना चाहता है, उसको इस विभाग का डाइरेक्टर सरकार बनाना चाहती है। इस एक वर्ष के समय में इस विभाग के शिक्षा सचिव बदलते जा रहे हैं और उस महकमे की पोस्ट के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं समझी जाती है। और यह विभाग ऐसे व्यक्ति के हाथों सौंप दिया जाता है। यहां हिन्दुस्तान में रहने वालों के लिए अंग्रेजों ने शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी लेकिन आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिये और और इस ओर कार्य करना चाहिए। आप कई उद्योग धन्धे खोल दीजिए बड़े बड़े कल कारखाने खोल लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा कर लीजिए, नई नई योजनायें बना लिजीए, लेकिन उनमें अक्ल की बात तो नहीं रही, इस प्रकार अक्ल की इज्जत नहीं रही।

मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं। यहां पर डाकों की चर्चा हुई, और और बातों की चर्चा हुई, पर एक बात की चर्चा नहीं होती जिसकी ओर कि सारे संसार का ध्यान आकर्षित है और वह है रेगिस्तान की समस्या, जो कि हमसे खास सम्बन्ध रखती है। आपने नई नई योजनायें बनाई पिछली पंच वर्षीय योजना बनाई, जिसमें निश्चित कर दिया है कि सिंचाई और बिजली के साधन उपलब्ध हों, और भी कई योजनायें आप चलायेंगे, लेकिन इनमें कहीं भी रेगिस्तान का जिक्र नहीं है जहां पर कि लोगों को पानी नही मिलता है और सब सुविधाओं से वे वंचित हैं, न उनके लिये कुछ पिछली योजनाओं ने किया और न आगे वाली योजनायें करेंगी। मैं रेगिस्तान का रहने वाला हूं और इसलिये कह सकता हूं कि राजस्थान के लिए रेगिस्तान की काफी बड़ी समस्या है, जिसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज रेगिस्तान की चर्चा युनेस्को के सम्मेलन में होती है और वहां पर बड़े बडे अन्तर्राष्ट्रीय विद्वान इस पर चर्चा करते हैं। वे इस पर चर्चा करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। लेकिन यहां की सरकार इस पर विशेष ध्यान नहीं देती, जो कि इस समस्या के इतनी पास रहती है, वह इस पर विचार करना अपना कर्तव्य, फर्ज नहीं समझती है। संसार के विद्वान हैं वे इस पर विचार करते हैं, इस पर युनेस्को में चर्चा करना उन्होंने आवश्यक समझा क्योंकि भारत में रेगिस्तान बढ़ रहा है। लेकिन यहां इस सदन में रेगिस्तान की समस्या के बारे में चर्चा नहीं की गई। मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा करें और इस पर नीति निर्धारित करें और वहां पर जो रहते हैं उनके पानी और दूसरी जरूरत की चीजों की, कपड़ों की जरूरत पूरी करने की जरूरत है। जो यह समस्या है उसके बारे में कुछ सोचने की, कुछ करने की नितान्त आवश्यकता है और सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिये।

जहां तक राज्यपाल के भाषण का ताल्लुक है, यह मानना पड़ेगा कि हमारी सरकार ने पिछले सालों में काफी कामयाबी हासिल की है और यहां से बाहर जाने का मुझे कई दफा मौका मिला

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

है। वहां पर मैंने लोगों से राजस्थान सरकार की तारीफ सुनी है कि राजस्थान सरकार ने पिछले वर्षों में काफी तरक्की की है। वह तारीफ राजस्थान की प्रतिष्ठा के अनुकूल है और उसकी प्रतिष्ठा को बाहर कायम रखे हुए है। वह इसलिए नहीं कि पिछली पंचवर्षीय योजना में जो खर्चा करने का था वह कर दिया है बल्कि इसलिये कि वह खर्चा सही तौर पर किया है। इससे राजस्थान सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये भी जो धन-राशि राजस्थान सरकार को मिलती है वह सफलता के साथ व्यय हो इसलिये राजस्थान सरकार बधाई को पात्र है। इसी सफलता के साथ सरकार ने पिछले वर्ष द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये यहां अधिक से अधिक धन-राशि मंजूर करवाई इसके लिये आपको राजस्थान की जनता धन्यवाद देगी।

जहां तक सरकार की सफलता का प्रश्न है वहां यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि उसने यह साबित कर दिया और इसीलिए विरोधी दल की संख्या दिन प्रतिदिन घटती गई। यह सफलता इससे भी साबित होती है कि जो सरकार ने चाहा वह उसको तीन दिन में ही मिल गया। सरकार की सफलता इससे भी साबित होती है कि यहां की जनता ने श्रमदान दिया। सरकार की सफलता के लिए जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए सरकार की पिछली कार्यवाहियों के बारे में मुझे कुछ कहना है कि हम झूठी तारीफ करने के हामी नहीं हैं। मुझे कहना पड़ता है कि सरकार ने पिछले दिनों बहुत अच्छा काम किया है, अपनी प्रतिष्ठा को निभाया है और जनता की भलाई के काम किये हैं। मुझे दुःख सिर्फ इस बात का है कि यहां की रेगिस्तान की समस्या की उपेक्षा की गई है और दूसरी, शिक्षा के बारे में भी गौर किया जाना चाहिये तथा बढ़ी हुई मंहगाई पर भी गौर करना चाहिये और जो सबसे बड़ी समस्या है वह बेकारी का प्रश्न है। आज कल बेकारी बढ़ती जा रही है, इस पर अवश्य गौर करना चाहिये।

विरोधी दल के सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण के कुछ शब्दों के प्रति आपत्ति प्रकट की। वे लोग शब्दों का अर्थ नहीं जानते हैं। वे श्री और स्वर्गीय का भेद नहीं जानते और फिर वे आपत्ति करते हैं। वे नहीं जानते कि वाक्य विन्यास कैसे होता है? मुझे दुःख है कि शब्दों की रचना पर, वाक्य विन्यास पर उन्होंने आपत्ति की। वास्तव में यह प्रश्न नहीं है, बल्कि राज्यपाल के भाषण में देखना यह है कि सरकार ने पिछले वर्षों में क्या काम किये? सरकार की पिछली सफलता को देखने और भावी योजनाओं को देखने की आवश्यकता है।

कुछ व्यक्तियों का यह एतराज है कि राज्यपाल का भाषण लम्बा होना चाहिये था। मुझे अफसोस है कि इस प्रकार की बात कही गई। जितने बड़े आदमी होते हैं, थोड़ा ही बोलते हैं, पढ़े-लिखे समझदार लोगों के सामने लम्बा बोलना ठीक नहीं। आम लोगों के सामने एक-दो घंटा बोला जाय तो वह ठीक है, परन्तु विधान सभा के सदस्यों के सामने एक-दो घंटा बोला जाय यह ठीक नहीं, यह उनकी बुद्धि को चुनौती देना है। श्रीमान् राज्यपाल ने संक्षेप में कहा, यह ठीक किया। १५, २० मिनिट से ज्यादा बोलना राज्यपाल के लिये शोभा नहीं देता।

श्री वेदपाल त्यागी—वे इशारों से भी समझा सकते थे।

श्री गौरीशंकर आचार्य—पुराने समय में एक ऋषि का उल्लेख आता है कि उन्होंने केवल "ग" कहकर उपदेश दिया था। एक-दो माननीय सदस्य ने आलोचना करते समय इस बात का भी खयाल नहीं रखा कि यह बातें श्रीमन् राज्यपाल के भाषण से ताल्लुक रखती हैं कि नहीं ?

एक बात मुझे बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि एक वर्ष मुझे यहां आये हुए हो गया, जिन डाकुओं की बात जिस दिन मैं यहां आया था उस दिन मैंने सुनी थी, जिन डाकुओं की चर्चा उस समय की गई वही चर्चा बार बार आती है; तो क्या इससे अधिक कुछ और कहने को विधान सभा के सदस्यों के पास कुछ है ही नहीं ? हमारे पास अजमेर आ गया है जो राजस्थान का हृदय है, हमारे पास आबू आ गया है जो राजस्थान का मस्तिष्क है, हमारा राजस्थान बहुत विशाल हो गया है, पर हृदय में विशालता आनी चाहिये जो नहीं आई है। यह हमारा विदाई का सेशन है, इसमें विदाई के वातावरण में बातें होनी चाहिये थीं, पर अफसोस है कि विदाई की बातें न हो कर लड़ाई की बातें हुई हैं। मुझे वह आशा थी कि जब हमारे अजमेर के भाई यहां सेशन में आये हुए हैं और यह सदन का आखिर वक्त है तो हमारे माननीय सदस्य इस बात का खयाल रखेंगे कि भविष्य में राजस्थान का विकास किस तरह से किया जाय, भविष्य में राजस्थान का नक्शा किस प्रकार का हो, किस प्रकार की देन हिन्दुस्तान को राजस्थान दे सकेगा और हिन्दुस्तान जो देन अन्तर्राष्ट्रीय जगत को दे रहा है उसमें राजस्थान कितना योग दे सकेगा, इन सब बातों पर चर्चा होगी। आज जब हिन्दुस्तान विश्व के सामने पंचशील की बात कर रहा है तो ऐसे समय में हमारे माननीय सदस्य कुछ और ही बातें कहें, यह अफसोस की बात है।

अब मैं दो शब्द भावी योजनाओं के बारे में कहूंगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है। एक सदस्य ने कहा कि इन योजनाओं के लिये हमें राजस्थान सरकार को क्यों धन्यवाद देना चाहिये, जब कि ऊपर से केन्द्रीय सरकार से ये योजनाएं बन कर आती हैं ? पर जहां तक मेरी जानकारी है भारत सरकार से बन कर नहीं आई हैं बल्कि हमारे मुख्यमंत्री और एक और व्यक्ति थे, उन्होंने मिल कर इतनी धन-राशि भारत सरकार से मनवाई है और ये योजनायें ऊपर से बन कर नहीं आईं, बल्कि हमारे यहां बनी हैं इसके लिये हमें उनको धन्यवाद देना चाहिये। यह बात ठीक है कि इस योजना के कुछ मुख्य अंग, कुछ निश्चित अंग ऊपर से निश्चित किये गये हैं।

भावी योजना के बारे में मैं कुछ बातें अर्ज करूंगा, हालांकि वे छोटी हैं, पर बड़ा महत्व रखती हैं। हमारे राष्ट्रीय चिकित्सा क्षेत्र में हमें जो कुछ करना चाहिये था वह नहीं किया गया है। सम्बन्धित मन्त्री महोदय यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति की ओर भावी योजना में ध्यान नहीं दिया गया है। जिस लोर्ड मैकॉले ने भारत को गुलाम बनाये

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

रखने के लिए जिस शिक्षा पद्धति को चलाया था उसी शिक्षा की चिकित्सा पद्धति, जो पढ़े हुए हैं, उनको बड़ी-बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं, वहां हमारी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकों को उनके मुकाबिले में बहुत कम तनख्वाहें दी जाती हैं, यह बड़े अफसोस का विषय है। देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद और हमारी राष्ट्रीय सरकार के समय में अगर उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है तो उनके पोषण की हम किससे आशा कर सकते हैं ? राष्ट्रीय सरकार कहलाने वाले सज्जनों, आपको इस बात का अभिमान होना चाहिये था कि आप राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के पोषक कहलायें, उस पद्धति का पोषण करें। यह कहा जाता है कि कहना आसान है पर कहने के अनुसार करना बड़ा मुश्किल है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब मैं बीकानेर गवर्नमेंट में था, शिक्षा मंत्री था तो अपने मुख्य मन्त्री को मैंने लिखा कि हम यह सहन नहीं कर सकते कि हिन्दी और संस्कृत पढ़ाने वालों को कम वेतन दिया जाय अपेक्षाकृत अंग्रेजी पढ़ाने वालों के और दोनों का बराबर वेतन किया यही नहीं बल्कि ७ महीने पहले का वेतन दिलाया। तो जिस बात को मैं कहता हूँ उस बात को मैंने स्वयं ने किया है। वही व्यक्ति राष्ट्रीय कहलाने का अधिकारी है जो राष्ट्रीय पद्धति में पैदा हुए, पले हुए, शिक्षा पाये हुए व्यक्तियों का पोषण करे। मैं चाहता हूं कि हमें इन बातों पर विचार करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो योजनाएं हमारे यहां बनती हैं वे उसी लाइन पर बनती हैं जिस प्रकार कि ब्रिटिश शासन काल में बनती थीं। उसी आधार पर अगर हमारी योजनायें बनती रहीं और मशीनरी बढ़ गई तो हमें एक बड़ा भारी खतरा है कि या तो भारत को अपने उपनिवेश स्थापित करने होंगे या भयंकर बेकारी का मुकाबला हमें करना होगा। इसलिए हमें इस खतरे से बचने के लिए छोटे छोटे उद्योग-धन्धों को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये।

जागीरदारी समस्या को राजस्थान सरकार हल कर रही है, पर जो अव्यवहारिकता बरती जा रही है उस ओर हमें गौर करना चाहिये ताकि जागीरी समस्या का हल जल्दी से हो सके।

मुझे हिन्दुस्तान में एक खतरा और नजर आ रहा है कि ये जागीरदार, राजा-महाराजा और साम्प्रदायिक तत्व मिलकर आखिरी लड़ाई और लड़ेंगे और इस लड़ाई के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमान् राज्यपाल को धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

(श्री रूपनारायण शास्त्री और श्री मोतीलाल चौधरी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, अब जवाब होंगे।

(विराम)

कल देंगे।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय अध्यक्ष,.......

श्री अध्यक्ष—५ मिनिट में बोल देंगे ?

श्री रूपनारायण शास्त्री—५ मिनिट में तो मैं नहीं कह सकता।

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं ५ मिनिट में ही भाषण समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—I do not want any speech to be inflicted in the zero hours.

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४. ५८ बजे सायंकाल, दिनांक ७-१२-५६ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-६ दिसम्बर, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

(कृपया प्रश्न संख्या २२ का उत्तर देखिये)

List showing the rates (Tehsil-wise) at which wheat seed was recently purchased in Kotah Distt.

S. No.	Names of the Tehsil.	Rate at which purchased.
1.	Ramganjmandi.	Rs. 19/2/-
2.	Anta.	Rs. 20/3/-
3.	Chhabra.	Rs. 19/11/-
4.	Baran.	Rs. 18/5/-
5.	Ladpura.	Rs. 18/3/-
6.	Kishanganj.	Rs. 19/4/-
7.	Chechat.	Rs. 20/--/-
8.	Kanwas.	Rs. 20/4/-
9.	Sangod.	Rs. 20/8/-
10.	Chhipabarod.	Rs, 20/--/-

List showing the names of the parties and the quantity of wheat seed recently purchased in the Kotah District.

S. No.	Name of the party.	Quantity of wheat seed purchased.
1.	M/s. Manbhar Dayal Ramniwas Ramganjmandi.	1000 Maunds.
2.	M/s. Mangal ji Chhotelal, Kotah.	12400 do
3.	M/s. Nathulal Jagannath, Kotah.	1500 do
4.	M/s. Gulabchand Navalmal, Pali.	3700 do
	Total—	18600 Maunds.

शुद्धि—पत्र

कार्य-विवरण दिनांक ६ दिसम्बर, १९५६

क्र०सं०	पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२०५	शीर्ष	अभिभाषण षपर सामान्य	अभिभाषण पर सामान्य
२	२७२	शीर्ष	वाद-विव	वाद-विवाद
३	२७६	५	from the looby	from the lobby